SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण
पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार
2024 की प्रतिवेदन संख्या 6
(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण
पर प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

2024 की प्रतिवेदन संख्या 6

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	1-6
अध्याय-1		
परिचय		
1	परिचय	7
1.1	संगठनात्मक संरचना	8
1.2	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	9
1.3	लेखापरीक्षा मानदंड	10
1.4	लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली	10
1.5	प्रतिवेदन की संरचना	11
अध्याय-2		
आयोजन और नियंत्रण		
2.1	कल्याणकारी योजनाओं का गैर-कार्यान्वयन	13
2.2	राज्य सलाहकार समिति	14
2.3	मानव-बल की कमी	15
2.4	लाभार्थियों में जागरूकता की कमी	17
2.5	उपकर का गैर-आकलन	18
2.6	भवनों के नींव क्षेत्रफल दर का गैर-संशोधन	19
2.7	लाभ का कम/गैर-वितरण	20
अध्याय-3		
बजट और निधियों का प्रबंधन		
3.1	बजट की गैर-तैयारी और निधियों का कम उपयोग	23
3.2	वार्षिक लेखा की गैर-तैयारी	24
3.3	प्राथमिकता वाले कार्यों को निष्पादित करने में विफलता	25
3.4	आयकर की परिहार्य कटौती	27
अध्याय-4		
प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण		
4.1	प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण	29
4.2	प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में विलंब	31

कंडिका		पृष्ठ संख्या
4.3	भवन कर्मकारों का पंजीकरण	32
4.3.1	पंजीकरण के लिए कर्मकारों की पहचान	32
4.3.2	विशिष्ट पहचान संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली	33
4.3.3	कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब	34
4.3.4	आयु का पता लगाए बगैर कर्मकारों का पंजीकरण	36
4.3.5	पेशे की पुष्टि किए बगैर कर्मकारों का पंजीकरण	36
4.3.6	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए पंजीकरण हेतु अपूर्ण पहचान	37
4.3.7	पंजीकृत कर्मकारों की प्रतिवेदित संख्या में विसंगतियां	39
4.4	अंशदान का गैर-भुगतान	40
4.5	अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पहचान पत्रों का निर्गत नहीं होना	41
अध्याय-5		
कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन		
5.1	कर्मकारों की मृत्यु या नि:शक्तता पर सहायता	45
5.1.1	एमडब्ल्यूएस व एपी के अनुसार सहायता राशि का गैर-संरेखण	46
5.1.2	लाभार्थियों के मृत्योपरांत आश्रितों को लाभ की गैर-अदायगी	48
5.1.3	सहायता भुगतान में विलम्ब	49
5.1.4	अपात्र लाभार्थियों को भुगतान	50
5.2	पेंशन का आच्छादन	52
5.2.1	सामान्य पेंशन के तहत पेंशनभोगियों का कम आच्छादन	52
5.2.2	पेंशन का गैर-भुगतान	53
5.2.3	नि:शक्तता और अनाथ पेंशन	54
5.3	मातृत्व लाभ	55
5.4	कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता	56
5.5	अन्य कल्याणकारी योजनाएं	57
5.5.1	अधिक/अपात्र भुगतान	57
5.5.2	साइकिल सहायता योजना (बीएएस)	58
5.6	लाभार्थियो के आच्छादन में कमी	59

कंडिका		पृष्ठ संख्या
अध्याय-6		
प्रभाव आकलन		
6.1	मूलभूत सुविधाओं का अभाव	63
6.2	चार सौ पंजीकृत कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष	67
अध्याय-7		
उपकर का संग्रहण और जमा		
7.1	संगृहीत उपकर का गैर-अंतरण	69
7.2	स्थानीय निकायों द्वारा उपकर का संग्रहण और जमा	70
7.2.1	उपकर की गैर-उगाही	71
7.2.2	स्थानीय निकायों द्वारा उपकर जमा न करना	71
7.3	उपकर की गैर-वसूली	72
	परिशिष्ट	75-89
	संक्षेपाक्षर	91

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
4.1	4.3	राज्य में बीओसी कर्मकारों के रूप में अधिसूचित कर्मकारों की श्रेणियां	75
4.2	4.3.5 एवं 6.2	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पंजीकृत कर्मकारों की सूची जिन्होंने गैर-बीओसी कार्य में लगे रहने की बात स्वीकार की थी	77
5.1	5.1.4 (अ)	गैर-आश्रितों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान	78
5.2	5.1.4 (ब)	अपात्र लाभार्थियों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान	79
5.3	5.3	मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत अपात्र भुगतान	81
5.4	5.5.2	साइकिल सहायता योजना के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों की सूची	82
6.1	6	संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु लिये गये स्थलों की सूची	83
7.1	7.2.1	बैंकों द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए पोस्ट-डेटेड चेकों का विवरण	84
7.2	7.2.2	संवेदकों से संगृहीत श्रम उपकर को बीओसीडब्ल्यू के खाते में अंतरित नहीं करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की सूची	86
7.3	7.2.2	योजनाओं के निष्पादन के लिए विपत्रों से कटौती की गई श्रम उपकर की राशि, जिसे कल्याण बोर्ड के पास जमा नहीं की गई	87
7.4	7.3	उपकर निर्धारण मामले जिनके विरुद्ध पीडीआर अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट निर्गत किए गए थे	88

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान देखे गए और साथ ही वे भी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में देखे गए परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। 2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देश और लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम के अनुरूप किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से प्राप्त सहयोग का, लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करना चाहता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में :

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित श्रमिकों का एक बहुसंख्यक और सबसे कमजोर वर्ग है। इनके कार्य का स्वभाव, इनकी आकस्मिक प्रकृति, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच अस्थायी संबंध, अनिश्चित कार्यावधि, बुनियादी सुविधाओं की कमी और कल्याणकारी सुविधाओं की अपर्याप्तता है।

ऐसे कर्मकारों पर लागू मजदूरी, काम करने की दशा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों को विनियमित करने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम), 1996 अधिनियमित किया (अगस्त 1996)। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान[1] पर लागू होता है जो दस या अधिक भवन कर्मकारों को रोजगार देता है। ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान को कार्य शुरू होने से 60 दिनों के अंदर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना होता है। आगे, अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक भवन कर्मकार को, अपनी निधि से लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन करना अपेक्षित है। भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) भी अधिनियमित किया (अगस्त 1996), जिसमें बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर का आरोपण और संग्रहण की परिकल्पना की गई है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 (झारखण्ड नियमावली) अधिसूचित किया (अगस्त 2007) और झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया (जुलाई 2008)। बोर्ड एक कोष संचालित करता है, जिसे झारखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष के नाम से जाना जाता है।

---

[1] सरकार, किसी निगम, निकाय या फर्म, किसी व्यक्ति या संगठन या व्यक्तियों के अन्य निकाय से संबंधित या उसके नियंत्रण में कोई प्रतिष्ठान, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करता है; और इसमें संवेदक से संबंधित प्रतिष्ठान शामिल है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे कर्मकारों को अपने निवास के लिए, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य में नियोजित करता है, जिस निर्माण की कुल लागत दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

हमने इस प्रतिवेदन को क्यों लिया?

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण" पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच किया गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या: (i) झारखण्ड सरकार (झा.स.) द्वारा अधिसूचित नियमावली अधिनियम की भावना के अनुरूप थे (ii) प्रतिष्ठानों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी (iii) उपकर का निर्धारण, साथ ही साथ इसका संग्रहण और कल्याण कोष में अंतरण, को कुशलतापूर्वक किया गया था (iv) झा.स. ने उपयुक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए थे और नियोक्ताओं द्वारा इन मानदंडों के अनुपालन का वातावरण सुनिश्चित करने में सक्षम थे (v) श्रम उपकर के अपवंचन की जाँच करने और नियोक्ताओं द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए झा.स. ने निरीक्षण की एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली लागू की थी और (vi) बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधियों का उपयोग और प्रशासन कुशल और प्रभावी था।

हमने क्या पाया और हम क्या अनुशंसा करते हैं?

आयोजन और नियंत्रण

भारत सरकार द्वारा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम अधिनियमित किये जाने (अगस्त 1996) के दस वर्ष बाद झा.स. ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 अधिसूचित किया गया (अगस्त 2007)। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड और कल्याण कोष के सृजन (जुलाई 2008) में विलंब हुआ था। दो लाभों से संबंधित योजनाएं, अर्थात् (i) घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों के ऋण और अग्रिम और (ii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत अनिवार्य लाभार्थियों के, समूह बीमा योजनाओं का प्रीमियम, बोर्ड के गठन के 10 वर्षों से अधिक समय बाद भी लागू नहीं किया गया था। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के लागू करने से उत्पन्न किसी भी मामले पर, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए आवश्यक राज्य सलाहकार समिति का नियमित अंतराल पर पुनर्गठन नहीं किया गया था। विभाग में विशेषकर बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पदों में बड़ी संख्या में रिक्तियां थीं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य में कोई उपकर निर्धारण पदाधिकारी नहीं रहा था। बड़ी संख्या में लाभार्थियों को कल्याण कोष के माध्यम से उन्हें उपलब्ध होने वाले लाभों की जानकारी नहीं थी। बोर्ड वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य में की गई निर्माण गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने और मूल्यांकन के आदेश पारित करने में भी विफल रहा था। बोर्ड ने जुलाई 2016 से नींव क्षेत्रफल दरों में संशोधन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप भवन योजना

अनुमोदन प्राधिकरणों द्वारा स्रोत पर उपकर का कम शुल्क आरोपित किया गया। इसके अलावा, लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए खरीदी गई ₹ 5.57 करोड़ मूल्य की साड़ियां और शर्ट-पैंट के कपड़े, उनकी खरीद के बाद तीन वर्ष से अधिक समय तक जिला कार्यालयों में पड़े हुए थे।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार अधिकारियों की भर्ती के प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई करते समय संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रासंगिक शक्तियां प्रत्यायोजित करके जिम्मेदारी के सभी स्तरों पर पर्याप्त मानव-बल तैनात कर सकती है।

अनुशंसा 2: बोर्ड, पंजीकृत कर्मकारों को उपलब्ध कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां शुरू कर सकता है।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार निर्माण गतिविधियों से संबंधित जानकारी बोर्ड के साथ साझा करने के लिए विभागों/अन्य संगठनों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित कर सकती है।

बजट और निधियों का प्रबंधन

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। इसके अलावा, इसने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया था और औसत व्यय आवंटित निधि का 50 प्रतिशत तक था। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया था, जैसा कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक था। राज्य सरकार ने राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी तथा लेखापरीक्षा भी सुनिश्चित नहीं की थी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, भारत सरकार ने कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए एक मॉडल कल्याण योजना और कार्य योजना (एमडब्ल्यूएस व एपी) को अग्रेषित किया था (अक्टूबर 2018), जिसमें कल्याणकारी कार्यों को अन्य लाभों पर वरीयता दी जानी थी। हालांकि, आवास, जागरूकता, कौशल विकास और पेंशन जैसे घोषित कार्यों को प्राथमिकता देने के बजाय, बोर्ड ने अतिरिक्त लाभों, जैसे साइकिल सहायता, टूल-किट सहायता, विवाह सहायता, सिलाई मशीन सहायता, और साड़ियों तथा शर्ट-पैंट के लिए कपड़ों के वितरण पर 42 प्रतिशत खर्च किया था। बोर्ड ने अपने सृजन के 12 वर्षों के बाद भी, आयकर से छूट प्राप्त इकाई के रूप में स्वयं को अधिसूचित कराने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा इसके कल्याण कोष से टीडीएस के रूप में ₹ 91.15 लाख की कटौती की गई।

अनुशंसा 4: बोर्ड, आवास और जागरूकता सहित प्राथमिकता वाले कार्यों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे सकता है।

प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम यह निर्धारित करता है कि निर्माण कार्य शुरू होने के 60 दिनों के अंदर अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों को पंजीकृत कराना होगा। हालांकि, बोर्ड ऐसे प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा था। नमूना-जाँचित चार जिलों में भवन और पथ निर्माण प्रमंडलों द्वारा किए गए 1,869 निर्माण कार्यों में से कोई भी बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया। बोर्ड ने उपकर की लागू राशि का आकलन करने के लिए चालू अथवा अनुमोदित निर्माण कार्यों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/योजना अनुमोदन प्राधिकरणों के साथ समन्वय नहीं किया था। संसद में प्रस्तुत किए गए (मार्च 2014) निर्माण कर्मकारों पर संसदीय स्थायी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन के अनुसार, जून 2013 तक झारखण्ड में सन्निर्माण कर्मकारों की अनुमानित संख्या 16.99 लाख थी। इसके विरुद्ध, झारखण्ड में 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 तक क्रमशः 5.96 लाख और 12.57 लाख पंजीकृत कर्मकार थे। इस प्रकार, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में कर्मकारों का पंजीकरण होना बाकी था। बोर्ड कर्मकारों के पंजीकरण के लिए, अधिनियम के तहत आवश्यक जागरूकता अभियान चलाने और प्रमुख स्थानों पर सुविधा केंद्र स्थापित करने में विफल रहा था। बोर्ड प्रत्येक लाभार्थी को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) का आवंटन सुनिश्चित करने में भी विफल रहा था, जिसके कारण एक ही लाभार्थी के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक से अधिक बार लाभ उठाने के उदाहरण मिले थे। सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा का अनुपालन, कर्मकारों के तय सीमा के अंदर पंजीकरण को, सुनिश्चित करने में, नहीं किया गया था। पंजीकरण अधिकारियों ने आयु या पेशे से संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना पंजीकरण के आवेदनों को मंजूरी दे दी थी। लेखापरीक्षा में अल्प-आयु और गैर-बीओसी कर्मकारों के पंजीकरण के दृष्टांत पाये गए थे। पंजीकरण के ऑफलाइन मोड में, यूआईएन के बजाय, कर्मकारों को प्रखंड-स्तर पर पंजीकरण संख्या दी गई थी। एक ही पहचान वाले कर्मकारों, जो एक से अधिक प्रखंडों में पंजीकृत थे और एक से अधिक बार समान लाभ प्राप्त कर रहे थे, के उदाहरण पाये गए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए, केवल 26 प्रतिशत कर्मकारों के आवश्यक विवरण (आधार संख्या और बैंक खाता विवरण) को अद्यतन किया गया था। बोर्ड ने उन कर्मकारों की पंजीकरण स्थिति की समीक्षा नहीं की थी जो मृत्यु या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के कारण पंजीकृत कर्मकार नहीं रह गए थे। वर्षों से, अंशदान का भुगतान करने वाले सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, न तो बोर्ड और न ही इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने कर्मकारों को नियमित अंशदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया था। पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में पहचान पत्र जारी नहीं किए गए थे, जिससे कार्ड पर ही रोजगार के विवरण की प्रविष्टि सुनिश्चित हो जाती।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों के उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है, जिन्होंने बोर्ड के साथ नियोक्ताओं

की जानकारी साझा नहीं की। राज्य सरकार बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार/राज्य पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों से संबंधित निविदा दस्तावेजों में एक खंड जोड़ने पर भी विचार कर सकती है।

अनुशंसा 6: बोर्ड वेब पोर्टल में ऑफलाइन डेटाबेस के एकीकरण में तेजी ला सकता है, जिसमें आधार संख्या और आधार के साथ मैप किए गए बैंक खातों सहित सभी पहचान शामिल हों।

अनुशंसा 7: वेब पोर्टल के डेटाबेस को समय-समय पर उन पंजीकृत कर्मकारों के संबंध में अद्यतन किया जा सकता हैं, जिन्होंने पेंशन योग्य आयु प्राप्त कर ली है, जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जो बीओसी कर्मकार नहीं रह गए थे।

अनुशंसा 8: बोर्ड पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में कर्मकारों को पहचान पत्र निर्गत करना सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें नियोक्ताओं के लिए कर्मकारों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दर्ज करने हेतु पर्याप्त स्थान हो। पंजीकृत कर्मकारों को लाभ के प्रावधान को पहचान पत्रों में दर्ज कार्यों के ब्यौरे के साथ जोड़ा जा सकता है।

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

बोर्ड ने पंजीकृत मृत कर्मकारों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली सहायता की राशि को एमडब्ल्यूएस व एपी की सिफारिशों के साथ संबद्ध नहीं किया था। लाभार्थियों के लिए बीमा आच्छादन के अभाव में, बोर्ड ने अनुशंसा की गई दो लाख या चार लाख रुपये के बजाय केवल एक लाख रुपये, मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया था। बोर्ड ने सभी पात्र लाभार्थियों या उनके आश्रितों को मृत्यु के बाद के सभी लाभों को प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया था। बोर्ड ने मृत कर्मकारों के आश्रितों को 60 दिनों के अंदर मृत्यु उपरान्त के लाभों का भुगतान भी सुनिश्चित नहीं किया था। 97 प्रतिशत मामलों में, मृत्यु पर सहायता का भुगतान 60 दिनों की निर्धारित अवधि के विरुद्ध तीन वर्ष से अधिक तक के विलंब से किया गया था। नमूना-जाँचित जिलों में, 11 मामलों में गैर-आश्रितों को ₹ 10.30 लाख की मृत्योपरांत सहायता का भुगतान किया गया था, जबकि 37 मामलों में अपात्र लाभार्थियों को ₹ 37 लाख का भुगतान किया गया था। पेंशन योजना का कार्यान्वयन अप्रभावी रहा था। नमूना-जाँचित जिलों में, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 60 वर्ष की पेंशन योग्य आयु प्राप्त करने वाले 10,710 पंजीकृत कर्मकारों में से केवल 159 कर्मकारों (एक प्रतिशत) को पेंशन स्वीकृत की गई थी। नि:शक्तता और अनाथ पेंशन का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। ₹ 1.23 लाख के मातृत्व लाभ का भुगतान संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये बिना किया गया था। इसके अलावा, पात्रता से अधिक ₹ 2.84 लाख के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया था। बोर्ड ने 71 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 0.89 लाख की टूल-किट और सुरक्षा-किट सहायता का भुगतान किया था। सात लाख रुपये की साइकिल सहायता अपेक्षित नकद रसीदों द्वारा समर्थित नहीं थी और 15 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 52,500 का भुगतान किया गया था।

बोर्ड ने उन मामलों में लाभार्थियों को लाभों का पुनर्भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था, जहां बैंकों ने लाभार्थियों के बैंक विवरण में विसंगतियों के कारण संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के खाते में राशि वापस कर दी थी।

अनुशंसा 9: बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि एमडब्ल्यूएस व एपी के तहत, दुर्घटना/स्वाभाविक मृत्यु पर पंजीकृत कर्मकारों को अनुशंसित न्यूनतम आच्छादन प्रदान किया गया है। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करे कि मृत्यु के बाद के लाभों का भुगतान, जो कि एमडब्ल्यूएस व एपी के तहत अनुशंसित राशि से कम नहीं हो और समय सीमा के भीतर, पंजीकृत कर्मकारों के आश्रितों को प्रदान किया जाय।

अनुशंसा 10: बोर्ड पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकता है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों के लिये पेंशन आच्छादन का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभाव आकलन

बोर्ड ने नियोक्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण, निर्माण स्थलों का निरीक्षण, सुरक्षात्मक उपायों के प्रावधान के साथ-साथ निर्माण स्थलों पर सन्निर्माण कर्मकारो के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे अस्थायी आवास, शौचालय, मूत्रालय और प्राथमिक उपचार पेटी जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया था। निर्माण स्थलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कर्मकारों द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर जैसे हेलमेट, जूते, जैकेट आदि पहने बगैर कार्य करने के दृष्टांत पाये गए थे। आगे, यह देखा गया कि बोर्ड ने चयनित निर्माण स्थलों का निरीक्षण नहीं किया था।

अनुशंसा 11: बोर्ड, निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए वार्षिक योजना बना सकता है, ताकि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की पहचान की जा सके और उस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उपकर का संग्रहण और जमा

झा.स. ने मार्च 2022 तक बोर्ड को ₹ 504.67 करोड़ की संगृहीत उपकर अंतरित नहीं की थी। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एक स्थानीय निकाय) ने क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के स्थान पर उपकर की वसूली के लिए वाणिज्यिक बैंकों के चेक स्वीकार किए थे। इससे ₹ 28.79 लाख का उपकर की उगाही नहीं हो पायी थी, क्योंकि बैंकों ने 53 चेक अस्वीकृत कर दिए थे। स्थानीय निकायों ने बोर्ड के खाते में ₹ 37.47 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच संगृहीत) की राशि जमा नहीं की थी, हालांकि इसे संग्रहण के 30 दिनों के अंदर जमा करना आवश्यक था। बोर्ड 16 आवेदकों से संबंधित ₹ 75.48 लाख की उपकर राशि की वसूली के लिए किये गये सर्टिफिकेट केसों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी विफल रहा था।

अनुशंसा 12: राज्य सरकार, बोर्ड को उपकर की संगृहीत राशि का अंतरण सुनिश्चित कर सकती है। बोर्ड, स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है, ताकि संगृहीत उपकर की राशि को अपने खाते में ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1 परिचय

भारत सरकार (भा.स.) ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए उपाय प्रदान करने के लिए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन), अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) अधिनियमित किया (अगस्त 1996)।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत, प्रत्येक राज्य सरकार को एक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन करना है, जो लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार को लाभ प्रदान करता हो। इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड को एक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष का गठन करना है, जिसमें (i) केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड को दिया गया कोई अनुदान एवं ऋण (ii) लाभार्थियों द्वारा किए गए सभी अंशदान और (iii) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों, जो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए हों, से प्राप्त सभी राशियां शामिल हों। 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का प्रत्येक भवन कर्मकार, जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों तक किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य[2] में संलग्न हो, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम प्रत्येक प्रतिष्ठान[3] पर भी लागू होता है जो दस या अधिक निर्माण कर्मकारों को नियोजित करता है। प्रत्येक प्रतिष्ठान को कार्य शुरू होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) भी अधिनियमित किया (अगस्त 1996), जिसमें

---

[2] भवनों, गलियों, सड़कों, रेलवे, ट्रामवे, हवाई क्षेत्रों, सिंचाई, जल निकासी, तटबंध और नेविगेशन कार्यों, बाढ़ नियंत्रण कार्यों (तूफान जल निकासी कार्य सहित), उत्पादन, बिजली का संचरण और वितरण, जल कार्य (जल वितरण के लिए चैनलों सहित), तेल और गैस प्रतिष्ठानों, बिजली लाइनों, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार, बांधों, नहरों, जलाशयों, जलकुंडों, सुरंगों, पुलों, नहर, जलसेतु, पाइप लाईन, टावरों, कूलिंग टावरों, संचरण टावरों और ऐसे अन्य कार्य जो इस संबंध में समुचित सरकार के अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों, परन्तु इसमें कोई भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य शामिल नहीं हो, जिसके लिए कारखाना अधिनियम, 1948 या खान अधिनियम के उपबंध, 1952, लागू होते हों, के या उसके संबंध में, निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या विध्वंस को संदर्भित करता है।

[3] सरकार, किसी निगम, निकाय या फर्म, किसी व्यक्ति या संगठन या व्यक्तियों के अन्य निकाय से संबंधित या उसके नियंत्रण में कोई प्रतिष्ठान, जो किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करता है; और इसमें संवेदक से संबंधित प्रतिष्ठान शामिल है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसे कर्मकारों को अपने निवास के लिए, किसी भवन या सन्निर्माण कार्य में नियोजित करता है, जिस निर्माण की कुल लागत दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपकर का आरोपण और संग्रहण करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी दर नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं परन्तु एक प्रतिशत से कम नहीं होगी। भारत सरकार ने निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर अधिसूचित (सितम्बर 1996) किया। भारत सरकार ने उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 (उपकर नियमावली) भी तैयार की।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 (झारखण्ड नियमावली) अधिसूचित किया (अगस्त 2007) तथा झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन (जुलाई 2008) किया। बोर्ड के पास झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष है। इसकी अध्यक्षता श्रम आयुक्त करते हैं और इसमें 16 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें (i) केंद्र सरकार (एक) (ii) राज्य सरकार (पांच) (iii) कर्मकारों के प्रतिनिधि (पांच) और (iv) नियोक्ताओं के प्रतिनिधि (पांच) द्वारा नामित किया जाता है।

1.1 संगठनात्मक संरचना

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (विभाग), झा.स., बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, उपकर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन में बोर्ड को सुविधा प्रदान करता है। उपकर का संग्रहण केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य में स्थित स्वायत्त निकायों आदि द्वारा किया जाता है। बोर्ड/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्तरदायित्वों और विभाग के विभिन्न प्राधिकरणों को सौंपे गए कार्यों का विवरण क्रमशः **चार्ट 1** और **2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: बोर्ड/सरकार/पीएसयू की जिम्मेदारियां

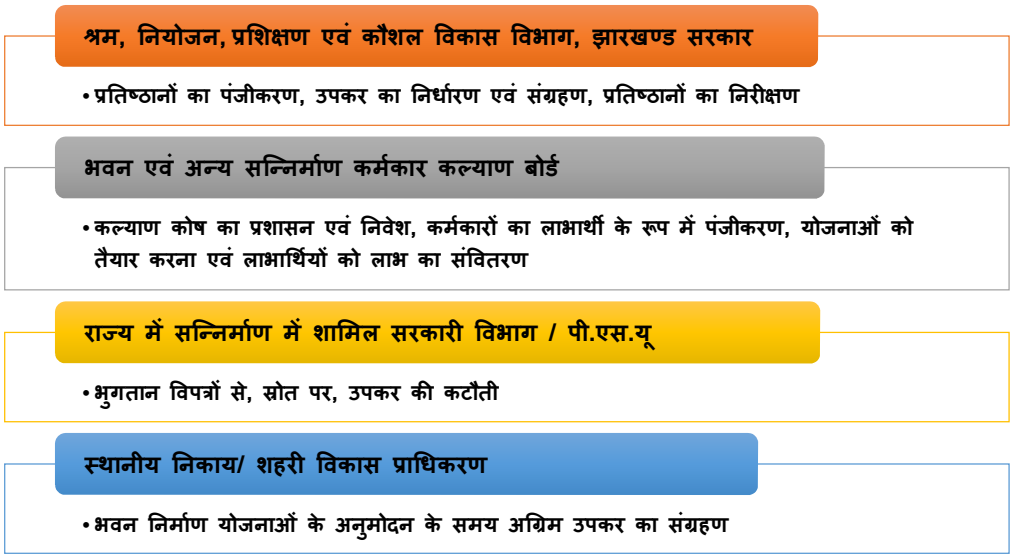

चार्ट 2: विभाग के अधिकारियों को सौंपे गए कार्य

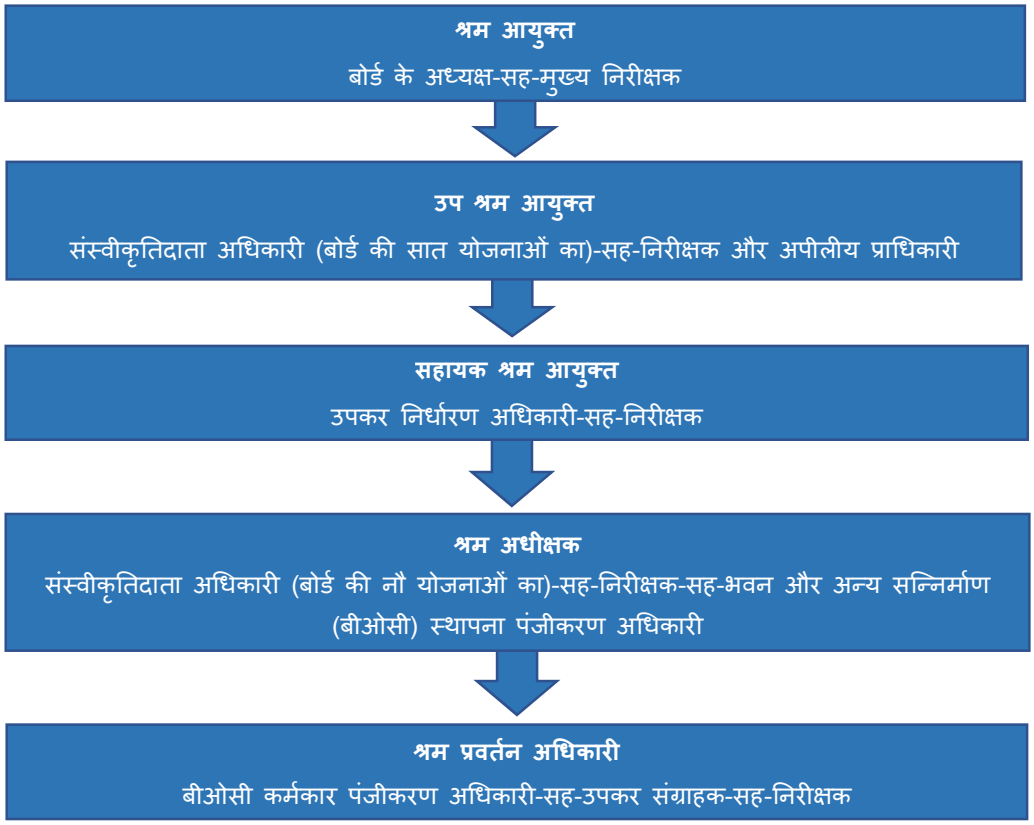

1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) अधिनियम के अंतर्गत झा.स. द्वारा अधिसूचित नियमावली, अधिनियम की भावना के अनुरूप थे।

(ii) प्रतिष्ठानों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी।

(iii) उपकर का निर्धारण, संग्रहण एवं संगृहीत उपकर का कल्याण कोष में अंतरण का कार्य कुशलतापूर्वक किया गया था।

(iv) झा.स. ने उपयुक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक निर्धारित किए थे और नियोक्ताओं द्वारा इन मानदंडों के अनुपालन का वातावरण सुनिश्चित करने में सक्षम थे।

(v) झा.स. ने नियोक्ताओं द्वारा श्रम उपकर के अपवंचन को रोकने और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली कार्यान्वित की थी।

(vi) बोर्ड द्वारा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर निधियों का प्रशासन और उपयोग कुशल और प्रभावी था और यह झा.स. द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों के अनुसार था।

1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

जिन मानदण्डों के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मानकीकरण किया गया था, वे निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए हैं :

(i) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996;

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन), झारखण्ड नियमावली, 2006;

(iii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली, 1998;

(iv) झारखण्ड वित्तीय नियमावली;

(v) बोर्ड द्वारा पारित संकल्प; और

(vi) झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011

1.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए राज्य स्तर पर बोर्ड के श्रम आयुक्त-सह-अध्यक्ष के अभिलेखों की जाँच के माध्यम से संचालित की गई थी। राज्य के 24 में से चार[4] जिलों को क्षेत्रीय इकाइयों के अभिलेखों की जाँच के लिए चुना गया था। दो जिलों (बोकारो और धनबाद) का चयन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संवितरण राशि के आधार पर किया गया था, जबकि शेष दो जिलों (रांची और पूर्वी सिंहभूम) का चयन उपकर के संग्रहण की राशि के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, 22 कल्याणकारी योजनाओं में से 10[5] का चयन इन योजनाओं में शामिल उच्च, मध्यम और कम संवितरण राशि के आधार पर उनके कार्यान्वयन का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। चयनित योजनाओं में से, 400 पंजीकृत लाभार्थियों[6] को उनकी पात्रता का विश्लेषण करने और लाभों के समय पर वितरण के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया था। चयनित जिलों के उप श्रम आयुक्त, कार्यपालक अभियंताओं, पथ/भवन निर्माण प्रमंडलों (बीसीडी); नगर आयुक्त/शहरी स्थानीय निकायों के उपाध्यक्ष; एवं श्रम अधीक्षकों के अभिलेखों की जाँच, उपकर के संग्रहण एवं अधिनियम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु की गई। लेखापरीक्षा ने निर्माण स्थलों पर कर्मकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी

---

[4] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और रांची।

[5] **उच्चतम संवितरण** (1) मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति (2) मातृत्व लाभ (3) श्रम टूल किट सहायता (4) मृत्यु पर/अंत्येष्टि सहायता (5) श्रम सुरक्षा किट सहायता, **मध्यम संवितरण**: (6) साइकिल सहायता (7) आम आदमी बीमा योजना/ प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (8) पारिवारिक पेंशन, और **सबसे कम संवितरण** (9) विकलांगता पेंशन और (10) अनाथ पेंशन योजना।

[6] चार चयनित जिलों में से प्रत्येक से, 10 चयनित योजनाओं में से प्रत्येक के लिए 10 लाभार्थी हैं।

उपायों के संबंध में सुविधाओं का आकलन करने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ 24 प्रतिष्ठानों[7] का भी दौरा किया। लेखापरीक्षा साक्ष्य, चित्रों, लेखापरीक्षा प्रश्नावली और लेखापरीक्षा ज्ञापन निर्गत करने, के माध्यम से एकत्र किए गए थे।

18 अगस्त 2022 को बोर्ड के सचिव के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, दायरा और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई।

13 सितंबर 2023 को विभाग के सचिव और बोर्ड के श्रम आयुक्त-सह-अध्यक्ष (एलसी-कम-चेयरमैन) के साथ एक बहिर्गमन सम्मलेन भी आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की अवधि से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा की गई। सचिव ने आश्वासन दिया कि सन्निर्माण कर्मकारों को कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सुधार के साथ-साथ उपकर के निर्धारण और संग्रहण के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के जवाब को प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.5 प्रतिवेदन की संरचना

यह प्रतिवेदन, बोर्ड के समग्र कार्यों के आधार पर संरचित है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विषयों के तहत सात अध्यायों में निम्नानुसार प्रतिवेदित किया गया है:

- अध्याय 2: आयोजन और नियंत्रण
- अध्याय 3: बजट और निधियों का प्रबंधन
- अध्याय 4: प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण
- अध्याय 5: कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन
- अध्याय 6: प्रभाव आकलन; और
- अध्याय 7: उपकर का संग्रहण और जमा

[7] भवन निर्माण प्रमंडलों और शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी से निर्माण स्थलों/प्रतिष्ठानों का चयन किया गया था

अध्याय 2

आयोजन और नियंत्रण

अध्याय 2 आयोजन और नियंत्रण

बोर्ड, अधिनियम के कार्यान्वयन, कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन, कर्मकारों को लाभों का वितरण और कल्याण कोष के प्रबंधन का समग्र जिम्मेदारी वहन करता है। राज्य सलाहकार समिति[8] (एसएसी), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित एक समिति है, जो बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देती है।

लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार, विभाग और बोर्ड की ओर से आयोजन में कमियां पाईं, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1 कल्याणकारी योजनाओं का गैर-कार्यान्वयन

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22, भवन निर्माण कर्मकारों को लाभों के विस्तार के संबंध में बोर्ड के कार्यों[9] को निर्धारित करती है। बोर्ड स्थानीय प्राधिकारी या नियोक्ता को ऋण या सब्सिडी दे सकता है या वार्षिक अनुदान सहायता का भुगतान कर सकता है, जो सन्निर्माण कर्मकारों और उनके परिवारों को बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक के कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार द्वारा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अधिनियमन (अगस्त 1996) के 10 वर्षों के बाद झा.स. ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 (झारखण्ड नियमावली) अधिसूचित (अगस्त 2007) किया था। झारखण्ड नियमावली की अधिसूचना में विलंब के परिणामस्वरूप बोर्ड और कल्याण कोष के सृजन (जुलाई 2008) में विलंब हुआ, जिससे अंततः भवन निर्माण कर्मकारों को लाभों के वितरण में विलंब हुआ।

---

[8] इनमें शामिल हैं: (क) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष (ख) राज्य विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाने वाले - राज्य विधानमंडल के दो सदस्य, (ग) केंद्र सरकार द्वारा नामित किये जाने वाला सदस्य (घ) मुख्य निरीक्षक - सदस्य, पदेन (ङ) अन्य सदस्यों की संख्या, ग्यारह से अधिक नहीं किन्तु सात से कम भी नहीं, जैसा कि राज्य सरकार नियोक्ताओं, सन्निर्माण कर्मकारों, वास्तुकारों के संगठन, इंजीनियरों, दुर्घटना बीमा संस्थाओं और किन्हीं अन्य हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने के लिए और जिनका राज्य सरकार की राय में राज्य सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

[9] (क) दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को तत्काल सहायता (ख) लाभार्थियों को पेंशन, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद (ग) घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को ऋण और अग्रिम मंजूर करना (घ) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए, प्रीमियम का भुगतान, जैसा कि उचित हो (ङ) लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (च) चिकित्सा व्यय, लाभार्थी या उसके आश्रितों की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए (छ) महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ और (ज) ऐसे अन्य कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं, जो निर्धारित की जा सकती हैं।

यह भी देखा गया कि बोर्ड ने मार्च 2022 तक, न तो घरों के निर्माण के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान की थी, न ही लाभार्थियों के लिए समूह बीमा योजनाओं के विरुद्ध प्रीमियम का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई थी। आगे, बोर्ड ने कल्याण कोष के सृजन के दो वर्ष से अधिक समय के पश्चात् लाभार्थियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित योजनाओं को अधिसूचित (मार्च 2011) किया था।

बोर्ड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था कि स्थानीय प्राधिकरण या नियोक्ताओं ने, कर्मकारों और उनके परिवारों को कल्याणकारी उपाय और सुविधाएं प्रदान की हैं।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन में 10 वर्षों से अधिक का विलंब किया। बोर्ड ने इसके सृजन (जुलाई 2008) के 14 से अधिक वर्षों के बाद भी कर्मकारों या उनके परिवारों को सभी लाभों का प्रावधान भी मार्च 2022 तक सुनिश्चित नहीं किया था, यद्यपि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत इसकी परिकल्पना की गई थी।

2.2 राज्य सलाहकार समिति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 (झारखण्ड नियमावली) के नियम 11 में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का पुनर्गठन किया जाना है। यह अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के कार्यकाल को तीन वर्ष[10] के रूप में भी निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, नियम 20(1) में प्रावधान है कि एसएसी की बैठक छः माह में कम से कम एक बार अथवा जब कभी कोई मामला सरकार द्वारा उसे सलाह के लिए भेजा जाए, होनी चाहिए।

झा.स. ने प्रारंभ में जुलाई 2008 में एसएसी का गठन किया था, जिसके बाद, यह हर तीन वर्ष के बाद पुनर्गठित किए बिना जुलाई 2014 तक छः वर्ष के लिए क्रियाशील रहा। हालांकि, सरकार ने जून 2014 में एसएसी का पुनर्गठन किया, पुनर्गठित एसएसी ने अगस्त 2014 से काम करना शुरू किया और अक्टूबर 2018 में इसका पुनर्गठन होने तक तीन वर्ष से अधिक समय के लिए क्रियाशील रहा। अक्टूबर 2018 में गठित एसएसी दिसंबर 2022 तक चार वर्ष से अधिक समय के लिए क्रियाशील थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएसी ने जुलाई 2008 और दिसंबर 2022 के बीच आवश्यक 27 बैठकों में से केवल पांच[11] बैठकें आयोजित की थीं।

आगे, एसएसी बैठकों (सितंबर 2016, दिसंबर 2018 और जून 2021) के कार्यवृत की जाँच से पता चला कि एसएसी ने बोर्ड की वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया था और

---

[10] राज्य विधानमंडल के सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें तीन वर्ष के लिए पद धारण करना है, या जब तक वे विधान सभा के सदस्य बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

[11] जुलाई 2014, मार्च 2016, सितंबर 2016, दिसंबर 2018 और जून 2021

कर्मकारों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी, जैसे पंजीकृत कर्मकारों की संख्या में सुधार; वस्तु के रूप में लाभों के वितरण के बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभों का प्रावधान; अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं का सृजन; छूटे हुए क्षेत्रों का आच्छादन; कर्मकारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन; आयुष्मान भारत योजना के साथ लाभार्थियों को जोड़ना; कर्मकारों के पंजीकरण और उन्हें लाभों के अंतरण को सुगम बनाने के लिए श्रमिक मित्रों की नियुक्ति; कर्मकारों के पंजीकरण कार्ड तैयार करने, उपकर के संग्रहण में सुधार आदि ।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि 4 जुलाई 2023 को राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया था और एसएसी के नियमित पुनर्गठन और समय पर बैठकें आयोजित करने का प्रस्ताव एसएसी के समक्ष उनकी आगामी बैठक में रखा जाएगा।

2.3 मानव-बल की कमी

झारखण्ड नियमावली के नियम 273 के साथ पठित बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड को राज्य सरकार की पूर्व सहमति से अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए किसी अन्य विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना था, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका[12] के संबंध में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए एक समग्र मॉडल योजना तैयार करने का निर्देश दिया था (मार्च 2018)। तदनुसार, मंत्रालय ने एक मॉडल कल्याण योजना और कार्य योजना (एमडब्ल्यूएस व एपी) तैयार की थी (सितंबर 2018) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ, इसे अनुपालन के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को अग्रेषित किया था (अक्टूबर 2018)। एमडब्ल्यूएस व एपी यह अनुशंसा करता है कि राज्य सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में उपकर का निर्धारण और संग्रहण के उद्देश्य से स्थानीय/नगरपालिका/पंचायत स्तर पर अधिकारियों को उपकर संग्राहक और कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती हैं। एमडब्ल्यूएस व एपी ने जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्रों में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रशासित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत करने का भी सुझाव दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड अपनी योजनाओं को श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग (विभाग) के अधिकारियों के माध्यम से लागू कर रहा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए

[12] रिट याचिका सं। 318/2006 - सन्निर्माण कर्मकार पर केंद्रीय विधि निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति बनाम भारत संघ और अन्य।

जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत बल (एसएस) और कार्यरत बल (पीआईपी) **तालिका 2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1: स्वीकृत बल और कार्यरत बल

वर्ष	उप श्रम आयुक्त (लाभों की स्वीकृति)			सहायक श्रम आयुक्त (उपकर का निर्धारण)			श्रम अधीक्षक (लाभ की स्वीकृति और पंजीकरण)			श्रम प्रवर्तन अधिकारी (पंजीकरण और उपकर का संग्रहण)		
	एसएस	पीआईपी	रिक्ति (प्रतिशत)	एसएस	पीआईपी	रिक्ति (प्रतिशत)	एसएस	पीआईपी	रिक्ति (प्रतिशत)	एसएस	पीआईपी	रिक्ति (प्रतिशत)
2017-18	10	4	6 (60)	14	1	13 (93)	43	27	16 (37)	203	75	128 (63)
2018-19	10	4	6 (60)	14	1	13 (93)	43	22	21 (49)	203	56	147 (72)
2019-20	10	1	9 (90)	14	शून्य	14 (100)	43	22	21 (49)	203	42	161 (79)
2020-21	10	1	9 (90)	14	शून्य	14 (100)	43	22	21 (49)	203	32	171 (84)
2021-22	10	1	9 (90)	14	शून्य	14 (100)	43	20	23 (54)	203	18	185 (91)

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 2.1 से यह देखा जा सकता है कि बीओसीडब्ल्यू/उपकर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के सभी पदों के विरुद्ध व्यापक रिक्तियां थीं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य में कोई निर्धारण अधिकारी नहीं था। श्रम अधीक्षकों और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के पदों में रिक्तियां, जो लाभार्थियों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी थे, 37 से 91 प्रतिशत के बीच थीं।

बोर्ड ने विभाग में अधिकारियों की भारी कमी के बावजूद बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रशासित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने या संबंधित जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने के लिए राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था।

इस प्रकार, मानव-बल की अनुपस्थिति ने लाभार्थियों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, निर्माण स्थलों का निरीक्षण, उपकर का निर्धारण और संग्रहण; और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभ के वितरण को प्रभावित किया था, जैसा कि **अध्याय 4, 5** और **7** में चर्चा की गई है।

जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि श्रम अधीक्षकों और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की भर्ती के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड को अनुरोध (फरवरी 2023) किया गया है।

तथापि, तथ्य यह है कि विभाग पर्याप्त मानव-बल की नियुक्ति के लिए इतने लंबे समय तक कार्रवाई करने में विफल रहा, जिससे बोर्ड के कुशल कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई।

अनुशंसा 1: राज्य सरकार अधिकारियों की भर्ती के प्रस्ताव पर अनुवर्ती कार्रवाई करते समय संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रासंगिक शक्तियां प्रत्यायोजित करके जिम्मेदारी के सभी स्तरों पर पर्याप्त मानव-बल तैनात कर सकती है।

2.4 लाभार्थियों में जागरूकता की कमी

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार, बोर्ड द्वारा अपने कल्याण कोष से प्रदान किए गए लाभों का पात्र था। झारखण्ड नियमावली के नियम 277 के अनुसार, कल्याण कोष के लाभार्थी को छमाही या वार्षिक आधार पर कल्याण कोष में अंशदान करना होता है। यदि कोई लाभार्थी लगातार एक वर्ष की अवधि के लिए अंशदान के भुगतान में चूक करता है, तो वह कल्याण कोष का लाभार्थी नहीं रहेगा। हालांकि, सचिव, या उसके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी की अनुमति से, इस संबंध में, सदस्यता को जुर्माना के साथ, अंशदान की बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर फिर से शुरू किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के साथ उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें लाभ दिया गया था, का विवरण **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: पंजीकृत लाभार्थियों और उन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें लाभ दिया गया का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत कर्मकारों की संख्या		वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पंजीकृत कर्मकारों की संख्या (संचयी)	लाभान्वित कर्मकारों की संख्या[13] (कुल कर्मकारों का प्रतिशत)
		नए पंजीकरण	नवीकरण (कुल पंजीकृत कर्मकारों का प्रतिशत#)		
1	2016-17	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5,96,178	उपलब्ध नहीं
2	2017-18	1,53,627	52,300 (9%)	7,49,805	4,78,539 (64%)
3	2018-19	1,29,377	92,563 (12%)	8,79,182	9,37,213 (107%)
4	2019-20	89,406	45,787 (5%)	9,68,588	69,146 (7%)
5	2020-21	1,93,531	51,024 (5%)	11,62,119	1,06,568 (9%)
6	2021-22	95,833	56,453 (5%)	12,57,952	2,09,435 (17%)

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

 # पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पंजीकृत

तालिका 2.2 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केवल पांच से 12 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान किया था। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किसी भी वित्त वर्ष के दौरान केवल सात से 17 प्रतिशत कर्मकारों को कोई लाभ प्रदान किया गया था। इसके अलावा, लाभार्थी सर्वेक्षण से पता चला है कि 400 लाभार्थियों में से 39 (10 प्रतिशत), कल्याण कोष से उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों से अवगत थे।

जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि बोर्ड ने पहले ही एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य पंजीकरण को बढ़ावा देना और पंजीकरण के नवीकरण के साथ-साथ बीओसीडब्ल्यू बोर्ड, झारखण्ड द्वारा अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालना था।

[13] कई लाभ प्राप्त करने वाले एक लाभार्थी को कई लाभार्थियों के रूप में गिना गया है।

हालांकि, तथ्य यह है कि लाभार्थी सर्वेक्षण में शामिल 400 लाभार्थियों में से केवल 39 (10 प्रतिशत) को, कल्याण कोष से प्रदान किए जा रहे लाभों के बारे में पता था।

अनुशंसा 2: बोर्ड पंजीकृत कर्मकारों को उपलब्ध कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां शुरू कर सकता है।

2.5 उपकर का गैर-आकलन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 (उपकर नियमावली) के नियम 6 एवं 7 के अनुसार, प्रत्येक नियोक्ता को अपना कार्य शुरू करने अथवा उपकर के भुगतान, जैसा भी मामला हो, के तीस दिनों के भीतर फार्म-I[14] में निर्धारण अधिकारी को ब्यौरा प्रस्तुत करना था। उक्त सूचना प्राप्त होने पर कर निर्धारण अधिकारी को ऐसी सूचना की संवीक्षा करनी थी और ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से छः माह के भीतर देय उपकर की राशि दर्शाते हुए मूल्यांकन का आदेश जारी करना था और उसकी प्रति, नियोक्ता, बोर्ड और उपकर संग्राहक को प्रस्तुत करना था।

इसके अलावा, उपकर के संग्रहण को इष्टतम बनाने के लिए, एमडब्ल्यूएस व एपी यह निर्धारित करता है कि सभी विभागों/राज्य उपक्रमों/स्थानीय निकायों को, निष्पादित किए जाने वाले निर्माण कार्य के कार्य आदेश की एक प्रति, संबंधित पंजीकरण, उपकर संग्रहण और उपकर निर्धारण प्राधिकारियों को अग्रेषित करनी थी। राज्य को इस उद्देश्य के लिए निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकी/मानचित्रण आदि का उपयोग करते हुए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता थी। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रतिष्ठान पंजीकरण/श्रम लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों को उनके द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र/ लाइसेंस की एक प्रति निरपवाद रूप से उपकर संग्रहण, उपकर निर्धारण और कर्मकार पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ साझा करनी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नियोक्ता, बोर्ड को निर्माण कार्यकलापों की सूचना प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। बोर्ड राज्य के विभागों, या भारत सरकार के मंत्रालयों से कार्य आदेशों की प्रतियां एकत्र करने में भी विफल रहा था, जो राज्य के भीतर निर्माण कार्यों को निष्पादित कर रहे थे। इसके अलावा, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान किसी भी निर्माण कार्य के लिए उपकर का आकलन नहीं किया था। इसके बजाय, कार्यकारी एजेंसियां/स्थानीय निकाय कार्यों के निष्पादन के दौरान, या निर्माण योजनाओं के अनुमोदन के समय स्रोत पर उपकर संग्रह कर रहे थे और संगृहीत राशि को बोर्ड को अंतरित कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि श्रम कानूनों के तहत श्रम अधीक्षक श्रम लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकारी था, और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान पंजीकरण

[14] इसमें प्रतिष्ठान का नाम, कार्य का नाम, नियोजित कर्मकारों की संख्या, कार्य शुरू होने की तारीख, निर्माण की अनुमानित लागत, उपकर के भुगतान का विवरण, पूर्ण होने की तारीख, आकलन की तारीख आदि शामिल है।

प्राधिकारी भी था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, श्रम अधीक्षकों ने राज्य में विभिन्न नियोक्ताओं को 13,872 श्रम लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 1,023 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया था। श्रम अधीक्षकों ने उन प्रतिष्ठानों पर उपकर की देयता निर्धारित करने के लिए प्रतिष्ठान पंजीकरण आंकड़ों के साथ श्रम लाइसेंसों की भी जाँच नहीं की थी, जिन्हें ये लाइसेंस जारी किए गए थे।

इस प्रकार, बोर्ड वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य में की गई निर्माण गतिविधियों की पूरी जानकारी का संग्रहण सुनिश्चित करने या निर्धारण के आदेश पारित करने में विफल रहा था। इसके अतिरिक्त, श्रम अधीक्षक, उपकर की देयता का आकलन करने के लिए अपने पास उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों की पुनर्जांच करने में विफल रहे थे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जिला स्तर पर निर्धारण अधिकारियों को झारखण्ड सरकार द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में उपकर के निर्धारण के लिए अधिसूचित किया गया है। यह भी कहा गया कि विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्र और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों आदि से अनुरोध किया जाएगा कि वे राज्य में निष्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों के लिए सभी कार्य आदेशों/संविदा आदेशों की प्रतियां बोर्ड के साथ साझा करें।

अनुशंसा 3: राज्य सरकार निर्माण गतिविधियों से संबंधित जानकारी बोर्ड के साथ साझा करने के लिए विभागों/अन्य संगठनों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित कर सकती है।

2.6 भवनों के नींव क्षेत्रफल दर का गैर-संशोधन

उपकर नियमावली के नियम 4(4) में यह प्रावधान है कि जहां कहीं किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्माण कार्य के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वहां ऐसे अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ बोर्ड के पक्ष में, निर्माण की अनुमानित लागत पर अधिसूचित दरों पर उपकर की राशि के लिए, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा प्रकाशित नींव क्षेत्रफल दरों के आधार पर, और राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किये गये स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण लागत के अनुमानों का विश्लेषण करने के बाद, निर्माण कार्य की अनुमानित लागत पर उपकर के आकलन के लिए ₹ 800 प्रति वर्ग फीट की न्यूनतम दर को मंजूरी (अगस्त 2008) दी थी। एक समिति की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा दर को संशोधित (जुलाई 2016) कर ₹ 1,400 प्रति वर्ग फीट कर दिया गया था। समिति ने न्यूनतम दर की अनुशंसा करते समय राज्य में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित (अक्टूबर 2012) नींव क्षेत्रफल दर

(₹ 14,500 प्रति वर्ग मीटर) और ग्रेड-3 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए दर (₹ 1,457 प्रति वर्ग फीट) पर भी विचार किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीडब्ल्यूडी ने वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 1,542, ₹ 1,561 और ₹ 1,639 प्रति वर्ग फीट की संशोधित नींव क्षेत्रफल दरें प्रकाशित की थीं। अक्टूबर 2012 के दर (₹ 1,348 प्रति वर्ग फीट) के साथ तुलना करने पर, सीपीडब्ल्यूडी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने नींव क्षेत्रफल दर में लगभग 22 प्रतिशत (₹ 291 प्रति वर्ग फीट) की वृद्धि की थी। हालांकि, बोर्ड ने अपनी दरों में संशोधन नहीं किया था (मार्च 2023 तक) और जिम्मेदार प्राधिकारियों ने ₹ 1,400 प्रति वर्ग फीट की दर से स्रोत पर उपकर का आरोपण जारी रखा था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक झारखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकार[15] (जेरेरा) के साथ पंजीकृत 670 भवन योजना[16] की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कम दरों पर उपकर के आरोपण के कारण बोर्ड को ₹ 9.29 करोड़ का नुकसान हुआ।

इस प्रकार, छः वर्ष से अधिक पहले से अनुमोदित (जुलाई 2016) नींव क्षेत्रफल दर को संशोधित करने में बोर्ड की विफलता के परिणामस्वरूप भवन योजना अनुमोदन प्राधिकरणों द्वारा स्रोत पर उपकर की कम वसूली हुई।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2023) कि उपकर के आकलन के उद्देश्य से निर्माण की अनुमानित लागत की दर की समीक्षा के प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

2.7 लाभ का कम/गैर-वितरण

बोर्ड ने सभी पंजीकृत महिला कर्मकारों को साड़ियां और पंजीकृत पुरुष कर्मकारों को शर्ट-पैंट के लिए कपड़ा प्रदान करने का निर्णय लिया (जून 2019)। एक खुली निविदा (सितंबर 2019) के आधार पर, बोर्ड ने लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए जिलों में श्रम अधीक्षकों को वितरित की जाने वाली 3.89 लाख शर्ट-पैंट की जोड़ी और 4.97 लाख साड़ियों की आपूर्ति के लिए एक क्रय आदेश दिया (सितंबर 2019)। बोर्ड ने आपूर्ति आदेश के विरुद्ध संबंधित विक्रेता को ₹ 46.29 करोड़ का भुगतान भी किया (दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच)।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि खरीदी गई 4.97 लाख साड़ियों और 3.89 लाख शर्ट-पैंट की जोड़ी में से 4.69 लाख साड़ियों और 3.08 लाख शर्ट-पैंट की जोड़ी लाभार्थियों

---

[15] झारखण्ड में भू-सम्पदा क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए भू-सम्पदा स(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत गठित।

[16] 2019-20: 30 भवन योजनाएं (कुल नींव क्षेत्रफल: 2,86,64,689 वर्ग फीट) @ ₹ 142 प्रति वर्ग फीट; 2020-21: 173 भवन निर्माण योजनाएं (कुल नींव क्षेत्रफल: 32,95,434 वर्ग फीट) @ ₹ 161 प्रति वर्ग फीट; 2021-22: 209 भवन निर्माण योजनाएं (कुल नींव क्षेत्रफल: 86,64,783) @ ₹ 239 प्रति वर्ग फीट और 2022-23: 261 भवन योजनाएं (कुल नींव क्षेत्रफल: 1,09,49,116) @ ₹ 239 प्रति वर्ग फीट।

को जून 2022 तक वितरित किए गए थे। शेष 26,759 साड़ियां और 80,722 शर्ट-पैंट की जोड़ी, जिसकी कीमत ₹ 5.57 करोड़ थी, फरवरी 2023 तक खरीद के बाद तीन वर्ष से अधिक समय तक जिलों में पड़ी रही।

उप श्रम आयुक्त, बोकारो के कार्यालय में रखी गई साड़ियों तथा शर्ट-पैंट के कपड़ों का भंडार **चित्र 1** और **2** में दिखाया गया है।

चित्र 1	चित्र 2
	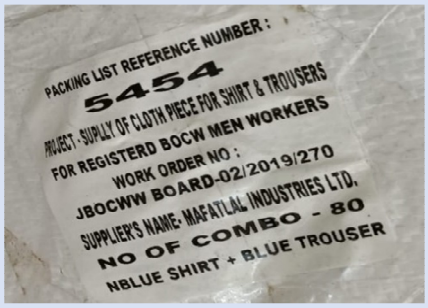
साड़ियों तथा शर्ट-पैंट के कपड़ों का भंडार (30 नवंबर 2022)	

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि बोर्ड ने पहले ही संबंधित श्रम अधीक्षकों को खरीदी गई वस्तुओं को तुरंत वितरित करने का निर्देश दिया था।

अध्याय 3

बजट और निधियों का प्रबंधन

अध्याय 3 बजट और निधियों का प्रबंधन

बोर्ड को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत आगामी वित्तीय वर्षों के लिए बजट तैयार करना आवश्यक है और लाभार्थियों की पहचान करने, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने और इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियाँ आवंटित करने के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड को भौतिक लक्ष्यों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों के जिलेवार आवंटन की सूचना संबंधित जिला प्राधिकारियों को देना भी अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने बोर्ड द्वारा बजट तैयार करने और निधियों के प्रबंधन में कमियाँ देखी, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.1 बजट की गैर-तैयारी और निधियों का कम उपयोग

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बोर्ड को अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करना होता है और उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अग्रेषित करना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। इसके बजाय, इसने प्रत्येक योजना के तहत वर्ष के लिए लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या के आधार पर, वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के अनुमानित लागत को अनुमोदित किया। इस अनुमोदन के आधार पर, इसने उत्तरदायी अधिकारियों को निधि आवंटित किया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बोर्ड के पास उपलब्ध निधि, निधि का आवंटन, किए गए व्यय और चालू कल्याणकारी योजनाओं की संख्या का विवरण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्ध निधि, निधियों का आवंटन और योजनाओं पर व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल को बोर्ड के पास उपलब्ध निधि	वित्तीय वर्ष के दौरान योजनाओं की अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित निधियां# (उपलब्ध निधियों का प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय (आवंटित निधि का प्रतिशत)	कल्याणकारी योजनाओं की संख्या
1	2017-18	171.67	100.31	86.63 (50)	41.64 (48)	22
2	2018-19	168.94	122.43	152.35 (90)	59.19 (39)	17
3	2019-20	306.88	147.34	105.65 (34)	75.77[17] (72)	18
4	2020-21	325.77	157.96	137.89 (42)	62.21 (45)	14
5	2021-22	342.94	185.07	195.24 (57)	102.56 (53)	14
कुल			**713.11**	**677.76**	**341.37 (50)**	

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

 # इस आंकड़े में पिछले वित्तीय वर्ष का आवंटन और बचत शामिल है

[17] साड़ी और शर्ट-पैंट के लिए कपड़े की खरीद पर खर्च किए गए ₹ 46.29 करोड़ शामिल हैं

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड ने उपलब्ध निधियों के अनुरूप कल्याणकारी योजनाएं शुरू नहीं की थीं। इसके अलावा, बोर्ड चालू कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित निधि का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं था, और वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपयोग 39 से 72 प्रतिशत के बीच था। निधियों का कम उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लक्षित लाभार्थियों के आच्छादन में कमी के कारण था, जैसा कि चयनित योजनाओं के नमूना-जाँच (**कंडिका 5.2**) के दौरान देखा गया था।

इस प्रकार, बोर्ड ने बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वार्षिक बजट की तैयारी सुनिश्चित नहीं की थी। बोर्ड ने निधि की उपलब्धता के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को भी अनुमोदित नहीं किया, और लक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से आवंटित निधि का उपयोग करने में विफल रहा था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने आश्वासन दिया (अक्टूबर 2023) कि अनुमानित राजस्व को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करने और बोर्ड के उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप चालू कल्याणकारी योजनाओं के दायरे की समीक्षा करने का प्रस्ताव एसएसी और बोर्ड के समक्ष उनकी आगामी बैठक में रखा जाएगा।

3.2 वार्षिक लेखा की गैर-तैयारी

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 26 और 27 के अनुसार, बोर्ड को उचित लेखों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखने और लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करना था। बोर्ड के लेखाओं की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित थी और बोर्ड के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करनी थी। झारखण्ड नियमावली के नियम 293 में ब्याज उचंत खाता के रखरखाव का प्रावधान है, जिसमें सभी ब्याज, किराया एवं अन्य वसूलित आय और निवेश पर लाभ या हानि का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, नियम 276 और 277 में कोष के सदस्यों से पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अंशदान के संग्रहण का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने इस संबंध में पाया कि:

- बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान वार्षिक लेखा और ब्याज उचंत खाता तैयार नहीं किया था। वार्षिक लेखा के अभाव में, वर्ष-वार प्राप्तियों और भुगतानों की प्रकृति, अर्थात शुल्क प्राप्तियां, उपकर संग्रहण, प्रशासनिक व्यय, कल्याण व्यय आदि, (जैसा कि बोर्ड द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार की निगरानी समिति को प्रतिवेदित किया गया है) का पता नहीं लगाया जा सका था। राज्य सरकार ने वार्षिक लेखाओं को राज्य विधान-मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से तैयार करना और लेखापरीक्षा करना भी सुनिश्चित नहीं किया था।

- कल्याण कोष के सदस्य बोर्ड के बैंक खाते में पंजीकरण या सदस्यता शुल्क जमा कर रहे थे और रसीदें जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर रहे थे। तथापि, बोर्ड ने बैंक के पास वास्तविक प्राप्तियों का पुनः सत्यापन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसी जमा प्राप्तियों का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि बोर्ड के वार्षिक लेखाओं की तैयारी के लिए विभाग द्वारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म नियुक्त की गई थी। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए लेखे तैयार किये हैं और 2022-23 के लिए लेखा तैयार किए जा रहे हैं।

3.3 प्राथमिकता वाले कार्यों को निष्पादित करने में विफलता

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 बोर्ड को विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को सौंपती है। इसके अलावा, एमडब्लूएस व एपी ने सात प्रकार[18] के कल्याणकारी कार्यों की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित किया था, जिन्हें अन्य सभी मौजूदा लाभों पर वरीयता दी जानी थी। इन प्राथमिकता वाले खर्चों को पूरा करने के बाद, शेष निधि, यदि कोई हो, का उपयोग अतिरिक्त लाभों पर किया जाना था।

जैसा कि **तालिका 3.1** में दिखाया गया है, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष में 14 से 22 योजनाओं[19] को लागू किया था। लेखापरीक्षा ने एमडब्ल्यूएस व एपी में अनुशंसित कार्यों की प्राथमिकता का आकलन करने के लिए इन योजनाओं पर व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया, जिसे **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

---

[18] (1) जीवन और नि:शक्तता आच्छादन (2) स्वास्थ्य और मातृत्व आच्छादन (3) शिक्षा (4) आवास (5) कौशल विकास (6) जागरूकता कार्यक्रम और (7) पेंशन।

[19] (1) साइकिल सहायता (2) श्रम उपकरण-किट सहायता (3) सिलाई मशीन सहायता (4) मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति (5) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (6) विवाह सहायता (7) पेंशन (8) पारिवारिक पेंशन (9) अनाथ पेंशन (10) नि:शक्तता पेंशन (11) मातृत्व लाभ (12) आम आदमी बीमा योजना (13) अंत्येष्टि सहायता (14) चिकित्सा सहायता (15) रोजगार प्रशिक्षण (16) बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरस्वती योजना (17) मृत्यु पर सहायता (18) सुरक्षा किट योजना (19) प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना (20) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (21) एनपीएस योजना और (22) साड़ी/ शर्ट-पैंट के कपड़ों का वितरण।

चार्ट 3.1: विभिन्न कार्यों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

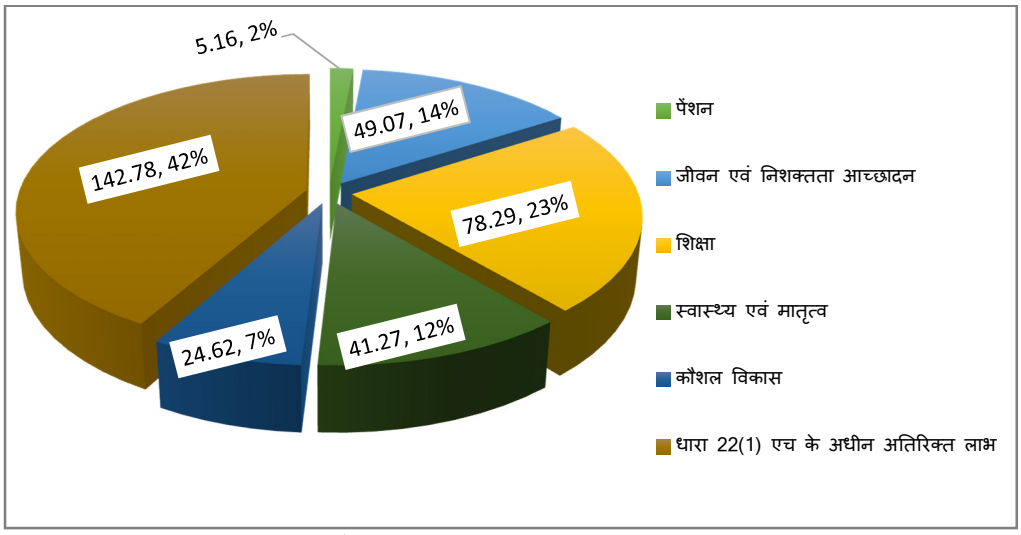

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

चार्ट 3.1 से यह देखा जा सकता है कि बोर्ड ने ₹ 341.18 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 142.78 करोड़ (42 प्रतिशत) की राशि अतिरिक्त लाभों[20] पर खर्च की थी और दो कार्यों अर्थात आवास और जागरूकता से संबंधित कोई भी योजना नहीं ली थी, जिन्हें एमडब्लूएस व एपी के अनुसार अतिरिक्त लाभों पर प्राथमिकता दी जानी थी। आगे लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि बोर्ड ने कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, क्योंकि राज्य के 24 जिलों में से केवल छः में रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी तरह, पेंशन को भी अधिक महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पेंशन योग्य आयु प्राप्त करने वाले 10,710 पंजीकृत कर्मकारों में से, चार नमूना-जाँचित जिलों में, केवल 159 कर्मकारों को पेंशन स्वीकृत की गई थी।

जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि एमडब्लूएस व एपी के मद्देनजर, बोर्ड की आगामी बैठकों में चालू कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, ताकि धारा 22 (1) (एच) के तहत अतिरिक्त लाभों पर व्यय करने से पहले धारा 22 (1) (ए) से 22 (1) (जी) के तहत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि बोर्ड ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एमडब्लूएस व एपी के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दिए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था।

अनुशंसा 4: बोर्ड आवास और जागरूकता सहित प्राथमिकता वाले कार्यों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे सकता है।

[20] (1) साइकिल सहायता (2) श्रम उपकरण किट सहायता (3) विवाह सहायता (4) श्रम सुरक्षा किट सहायता (5) सिलाई मशीन सहायता और (6) साड़ी/ शर्ट-पैंट के कपड़ों का वितरण।

3.4 आयकर की परिहार्य कटौती

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 18 (2) के अनुसार, बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय होगा। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46) के अनुसार, आम जनता के लाभ के लिए किसी कार्यकलाप को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित निकाय या बोर्ड या न्यास या आयोग को होने वाली आय इस शर्त के अध्यधीन कर से छूट दी जाएगी यदि उक्त संस्था किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित क्षेत्र के आयकर आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर किया जाना है, जिसके बाद इकाई का नाम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना है, जिसमें इकाई को आयकर से छूट दी गई है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार, बोर्ड एक कॉर्पोरेट निकाय है, जिसका गठन एक केंद्रीय अधिनियम के तहत किया गया है, और निर्माण गतिविधियों में लगे कर्मकारों के लाभ के लिए काम करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कल्याण कोष के लिए संचालित बोर्ड के बैंक खाते से आयकर के विरुद्ध टीडीएस के रूप में ₹ 91.15 लाख की कटौती की थी। बोर्ड ने अपने सृजन (जुलाई 2008) के 12 वर्ष बाद भी आयकर से छूट प्राप्त इकाई के रूप में स्वयं को अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। बोर्ड वापसी का दावा करने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि इसे कर छूट प्राप्त कंपनी के रूप में भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (46) के तहत बोर्ड के नाम को एक छूट प्राप्त इकाई के रूप में अधिसूचित करने के लिए आवेदन जमा किया गया है (जून 2023)।

हालांकि, तथ्य यह है कि बोर्ड ने कर छूट के लिए आवेदन करने में विलंब किया था, जिसके परिणामस्वरूप कल्याण कोष से ₹ 91.15 लाख के टीडीएस की परिहार्य कटौती की गई थी।

अध्याय 4

प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

अध्याय

4 प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम प्रत्येक नियोक्ता को अपने प्रतिष्ठान को पंजीकृत कराने और कार्य के प्रारंभ होने और पूरा होने की तारीखों, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, मजदूरी के भुगतान की आवधिकता आदि के बारे में बोर्ड को प्रतिवेदित करना अधिदेशित करता है। बोर्ड को ऐसी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए बिना, कार्य शुरू करने पर दंड लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यकलापों में लगे कर्मकार बोर्ड द्वारा बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभों के हकदार हैं। एक कर्मकार कल्याण सुविधाओं का लाभ तभी उठा सकता है जब वह कोष के लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हो।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रतिष्ठानों और कर्मकारों के पंजीकरण में कमियों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.1 प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 में निर्देशित है कि निर्माण कार्य करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को कार्य शुरू होने से 60 दिनों के अंदर संबंधित प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी को एक आवेदन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 12 के अनुसार, प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 60 वर्ष पूरे नहीं किए हैं और पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए किसी भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य में लगा हुआ है, अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

राज्य में निर्माण गतिविधि राज्य सरकार के विभागों, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, निजी और सरकारी भवनों के निर्माण की योजनाओं को क्रमशः स्थानीय सरकार और संबंधित विभाग के योजना अनुमोदन प्राधिकारियों[21] द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए पंजीकृत भवन कर्मकारों की तुलना में प्रतिष्ठानों के नए पंजीकरण के संबंध में रुझान **चार्ट 4.1** में दर्शाए गए हैं।

[21] क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और नगर निगम।

चार्ट 4.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का पंजीकरण

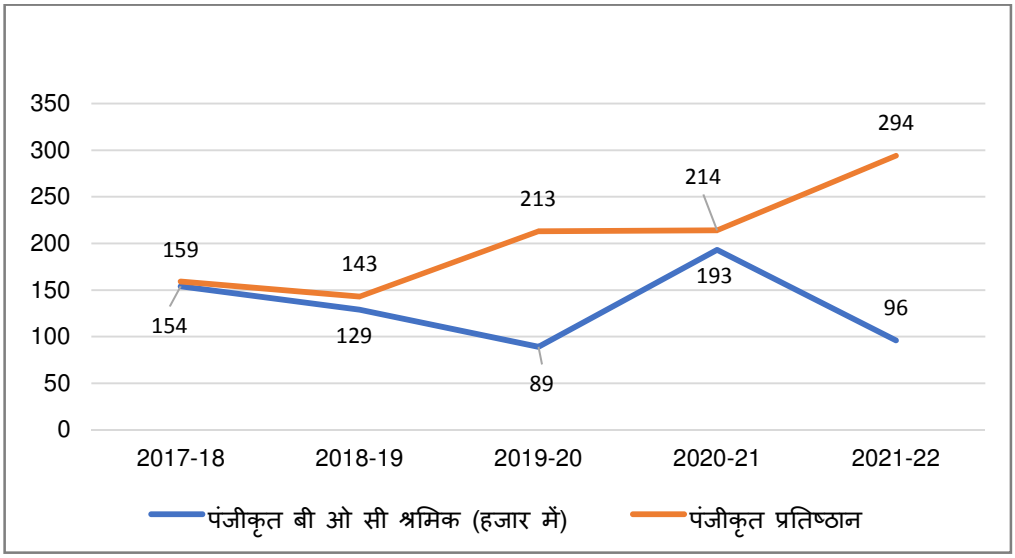

(स्रोत: जैप-आईटी और जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े)

चार्ट 4.1 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नए पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि के साथ नए पंजीकृत कर्मकारों की संख्या वास्तव में कम हो गई थी। इसका कारण राज्य में की जा रही निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा कर्मकारों की पहचान न करना, और बोर्ड तथा प्रशासनिक विभागों के साथ-साथ योजना अनुमोदन प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी को माना जा सकता है।

बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि, 24 निर्माण स्थलों/प्रतिष्ठानों (आठ पंजीकृत और 16 गैर-पंजीकृत) में सर्वेक्षण किए गए 220 कर्मकारों में से केवल 34 कर्मकार बोर्ड के साथ पंजीकृत थे, जैसा कि **कंडिका 6.1** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने आगे चार[22] नमूना-जाँचित जिलों में पाया कि भवन निर्माण प्रमंडलों (बीसीडी) और पथ निर्माण प्रमंडलों (आरसीडी) ने 1,869 कार्यों[23] को निष्पादित किया था। हालांकि, प्रमंडलों ने बोर्ड के साथ प्रतिष्ठानों की जानकारी साझा नहीं की थी, जैसा कि एमडब्ल्यूएस व एपी (**कंडिका 2.5** में चर्चा की गई है) के तहत आवश्यक है। संवेदकों (नियोक्ताओं) ने भी काम शुरू होने के बाद अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सुनिश्चित नहीं किया था, यद्यपि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड संबंधित प्रमंडलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में भी विफल रहा, जबकि प्रमंडल बोर्ड के निर्देशों के तहत स्रोत पर श्रम उपकर की वसूली कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के निरीक्षण प्राधिकारियों ने भी इन कार्यों के प्रारंभ

[22] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और रांची

[23] आरसीडी: 151 कार्य और बीसीडी: 1,718 कार्य

का निर्धारण करने और इन पर लगे प्रतिष्ठानों और कर्मकारों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए इन कार्यों का निरीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार, बोर्ड भवनों और अन्य सन्निर्माण कार्यों को प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत करने और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए इन कार्यों में लगे कर्मकारों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अनुशंसा 5: राज्य सरकार सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों के उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है, जिन्होंने बोर्ड के साथ नियोक्ताओं की जानकारी साझा नहीं की। राज्य सरकार बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार/राज्य पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों से संबंधित निविदा दस्तावेजों में एक खंड जोड़ने पर भी विचार कर सकती है।

4.2 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में विलंब

झारखण्ड नियमावली के नियम 24 के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी को किसी प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करने के बाद, आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर प्रतिष्ठान का पंजीकरण करना और आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निर्गत करना अपेक्षित है।

राज्य में, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 1,023 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया था। इनमें से 412 मामलों (40 प्रतिशत) में सीओआर 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद निर्गत किए गए थे, जैसा कि **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: सीओआर निर्गत करने में विलंब

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकरण	विलंब से हुये पंजीकरण	विलंब (कुल पंजीकरण का प्रतिशत)				
			दो वर्ष से अधिक	एक से दो साल	90 दिन से 180 दिन	30 से 90 दिन	16 से 30 दिन
2017-18	159	69	0	2	21	22	24
2018-19	143	85	4	4	14	28	35
2019-20	213	89	4	5	14	25	41
2020-21	214	81	9	7	22	21	22
2021-22	294	88	11	4	30	20	23
कुल	**1,023**	**412**	**28 (3)**	**22 (2)**	**101 (10)**	**116 (11)**	**145 (14)**

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि 15 प्रतिशत मामलों में (पांच प्रतिशत मामलों सहित, जिनमें विलंब एक वर्ष से अधिक का था) सीओआर निर्गत करने में 90 दिनों से अधिक का विलंब हुआ।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों के रूप में सन्निर्माण कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुबंधों/एसबीडी में अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

आगे यह भी बताया गया कि संबंधित जिलों के श्रम अधीक्षकों को अपंजीकृत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने और उचित कार्रवाई शुरू करने के अलावा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

4.3 भवन कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 2 (डी) ने राज्य सरकार को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 के तहत कर्मकारों के पंजीकरण के लिए 'भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य' के रूप में कार्य निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया है।

झारखण्ड सरकार ने कार्यों की 54 श्रेणियों **(परिशिष्ट 4.1**) को भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य के रूप में अधिसूचित किया था (अप्रैल 2011 और नवम्बर 2015)। बोर्ड ने मनरेगा कर्मकारों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीकृत करने का भी निर्णय लिया था (मार्च 2011)। इसके अतिरिक्त, संसद में प्रस्तुत (मार्च 2014) सन्निर्माण कर्मकारों संबंधी संसदीय स्थायी समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन के अनुसार, जून 2013 की स्थिति के अनुसार झारखण्ड में अनुमानित 16.99 लाख सन्निर्माण कर्मकार थे। लेखापरीक्षा ने कर्मकारों की पहचान, पंजीकरण और उन्हें पहचान पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया में कमियां पाईं, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.3.1 पंजीकरण के लिए कर्मकारों की पहचान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं के आच्छादन के तहत अधिकतम कर्मकारों को लाने के लिए, एमडब्ल्यूएस व एपी ने बोर्ड को जागरूकता अभियान चलाने और प्रमुख श्रम चौकों/अड्डों पर नियमित शिविर आयोजित और सुविधा केंद्र स्थापित करके कर्मकारों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने चार नमूना-जाँचित जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किए थे, या कोई सुविधा केंद्र स्थापित नहीं किया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि, झारखण्ड में 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 तक क्रमशः 5.96 लाख और 12.57 लाख पंजीकृत कर्मकार थे, जो जून 2013 में संसदीय समिति की प्रतिवेदन के अनुसार 16.99 लाख कर्मकारों के अनुमानित आंकड़े से कम थे।

हालांकि, राज्य में पंजीकृत कर्मकारों की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.96 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12.57 लाख हो गई थी, बोर्ड ने अभी भी सभी मनरेगा कर्मकारों और अन्य श्रेणियों के कर्मकारों[24] सहित बड़ी संख्या में छूटे हुए कर्मकारों को शामिल नहीं किया था, जिन्हें कल्याण कोष के लाभार्थियों के रूप में आच्छादन किया जाना आवश्यक था।

---

[24] चौकीदार, सीवरेज कर्मी, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना और मरम्मती, लिफ्टों, एस्केलेटर की स्थापना और मरम्मत में शामिल कर्मकार आदि।

इस प्रकार, बोर्ड कर्मकारों के पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने और प्रमुख श्रम चौकों/अड्डों पर सुविधा केन्द्र स्थापित करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पात्र सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह गए।

4.3.2 विशिष्ट पहचान संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली

विभाग ने राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को निर्देश (मई 2016) दिया था कि वे मई 2016 से केवल ऑनलाइन माध्यम से कर्मकारों को पंजीकृत करें, जो झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी[25] (जैप-आईटी) द्वारा विकसित और अनुरक्षित 'श्रमाधान'[26] नामक समर्पित वेब पोर्टल पर है। इसके अलावा, एमडब्ल्यूएस व एपी में कर्मकारों के लिए कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करनी चाहिए और राज्य तथा राष्ट्रीय वेब पोर्टलों पर पूरा ब्यौरा अपलोड करना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजीकरण मार्च 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से जारी रहा था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए नमूना-जाँचित जिलों में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन माध्यम के तहत किए गए पंजीकरण के बारे में विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: बीओसी कर्मकारों का पंजीकरण

वित्तीय वर्ष	रांची		धनबाद		पूर्वी सिंहभूम		बोकारो		कुल		
	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	ऑफ़लाइन	ऑनलाइन	कुल
2017-18	3,246	4,075	9,577	4,764	8,879	699	9,395	927	31,097	10,465	41,562
2018-19	0	7,008	6,568	5,162	12,332	967	15,180	1,399	34,080	14,536	48,616
2019-20	10,443	3,243	1,469	3,034	0	3,085	4,319	90	16,231	9,452	25,683
2020-21	11,284	3,345	0	3,626	0	3,747	0	3,192	11,284	13,910	25,194
2021-22	0	4,713	0	5,508	0	7,646	0	9,910	0	27,777	27,777
कुल	**24,973**	**22,384**	**17,614**	**22,094**	**21,211**	**16,144**	**28,894**	**15,518**	**92,692**	**76,140**	**1,68,832**

(स्रोत: जिला कार्यालयों और जैप-आईटी द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 4.2 से यह देखा जा सकता है कि 1,68,832 पंजीकरणों में से 92,692 पंजीकरण (55 प्रतिशत) ऑफ़लाइन माध्यम से किए गए थे। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से पंजीकृत किसी भी कर्मकार को यूआईएन भी प्रदान नहीं किया था।

---

[25] झारखण्ड राज्य में आईटी विकास और आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी।

[26] प्रतिष्ठानों के साथ-साथ सन्निर्माण कर्मकारों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक समर्पित पोर्टल। पोर्टल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करता है और योजनाओं के तहत कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा आवेदन की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ऑफ़लाइन माध्यम से किए गए पंजीकरण के मामले में, पंजीकरण अधिकारियों (आरओ) ने कर्मकारों को प्रखंड-वार पंजीकरण संख्या आवंटित की थी। बोर्ड ने वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण के आंकड़े को भी कम्प्यूटरीकृत किया था। नमूना-जाँचित चार जिलों में 1.93 लाख पंजीकृत कर्मकारों से संबंधित कंप्यूटरीकृत ऑफ़लाइन आंकड़े की जाँच से पता चला कि केवल 1,306 कर्मकारों को 2,374 पंजीकरण संख्या निर्गत किए गए थे। इन 1,306 कर्मकारों में से, 65 कर्मकारों को एक से अधिक प्रखंडों में अलग-अलग पंजीकरण संख्या के साथ पंजीकृत पाया गया और 67 पंजीकरणों में एक ही आधार संख्या के साथ पंजीकृत एक से अधिक कर्मकार शामिल थे।

इस प्रकार, बोर्ड ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को यूआईएन सुनिश्चित करने में विफल रहा था, जिसके कारण विभिन्न प्रखंडों में एक ही लाभार्थी को कल्याणकारी योजनाओं का दोहरा लाभ भी हुआ था। जैसा कि **कंडिका 5.5.1** में चर्चा की गयी है।

4.3.3 कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 (सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम या आरटीजीएस अधिनियम) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी (दिसंबर 2015) की, जिसमें कहा गया है कि श्रम अधीक्षक 30 दिनों के भीतर बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत कर्मकारों को पंजीकरण की सेवा प्रदान करेगा। आरटीजीएस अधिनियम की धारा 7 में यह भी प्रावधान है कि पर्याप्त और उचित कारण के बिना, निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवा प्रदान करने में विफलता पर ₹ 500 से ₹ 5,000 का एकमुश्त जुर्माना लगेगा।

इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 (5) में कहा गया है कि आवेदक 30 दिनों के अंदर बोर्ड के सचिव, या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपील कर सकते हैं, यदि वे पंजीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान किए गए 92,692 ऑफलाइन पंजीकरणों में से, चार नमूना-जाँचित जिलों में, लेखापरीक्षा ने 300 आवेदनों (चार जिलों में से प्रत्येक से 75) की नमूना-जाँच की। यह देखा गया कि इनमें से किसी भी आवेदन पर जमा करने की तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, पंजीकरण अधिकारियों ने इन आवेदनों की प्राप्ति को दर्ज करने या स्वीकार करने के लिए कोई पंजी का संधारण नहीं किया था। अतः लेखापरीक्षा पंजीकरण अधिकारियों द्वारा आरटीजीएस अधिनियम के अनुपालन का पता नहीं लगा सकी।

नमूना-जाँचित चार जिलों में किए गए 76,140 ऑनलाइन पंजीकरणों के मामले में, 9,546 पंजीकरण (13 प्रतिशत) निर्धारित 30 दिनों से परे 1,356 दिनों तक की विलंब के साथ पूरे किए गए थे, जैसा कि **तालिका 4.3** और **4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3: कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब

वित्तीय वर्ष	धनबाद		रांची		बोकारो		पूर्वी सिंहभूम		कुल		
	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	कुल पंजीकरण	विलंबित पंजीकरण	विलंब से पंजीकरण का प्रतिशत
2017-18	4,764	0	4,075	107	927	359	699	189	10,465	655	6
2018-19	5,162	3	7,008	471	1,399	162	967	112	14,536	748	5
2019-20	3,034	161	3,243	406	90	28	3,085	516	9,452	1,111	12
2020-21	3,626	404	3,345	339	3,192	264	3,747	1,458	13,910	2,465	18
2021-22	5,508	155	4,713	754	9,910	2,153	7,646	1,505	27,777	4,567	16
कुल	**22,094**	**723 (3%)**	**22,384**	**2,077 (9%)**	**15,518**	**2,966 (19%)**	**16,144**	**3,780 (23%)**	**76,140**	**9,546 (13%)**	**13**

(स्रोत: जैप-आईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 4.4: कर्मकारों के पंजीकरण में विलंब की सीमा

जिला	कुल पंजीकरण	विलंब से पंजीकरण (प्रतिशत)	विलंब (प्रतिशत)				
			400 से अधिक दिन	301 से 400 दिन	201 से 300 दिन	101 से 200 दिन	31 से 100 दिन
बोकारो	15,518	2,966 (19)	8	29	41	95	2,793
धनबाद	22,094	723 (3)	0	0	8	33	682
पूर्वी सिंहभूम	16,144	3,780 (23)	81	21	84	218	3,376
रांची	22,384	2,077 (9)	99	192	84	128	1,574
कुल	**76,140**	**9,546 (13)**	**188 (2%)**	**242 (3%)**	**217 (2%)**	**474 (5%)**	**8,425 (88%)**

(स्रोत: जैप-आईटी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े)

तालिका 4.3 और **4.4** से यह देखा जा सकता है कि इन वर्षों में पंजीकरण में विलंब बढ़ गया था। इसके अलावा, अन्य जिलों की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले में विलंब बहुत अधिक थी। यह भी देखा जा सकता है कि 430 कर्मकारों के पंजीकरण आवेदनों को 300 दिनों से अधिक विलंब के बाद मंजूरी दी गई थी।

आगे यह भी देखा गया कि आरटीजीएस अधिनियम के तहत विलंब के मामलों में 30 दिनों के अंदर पंजीकरण या दंड के प्रावधान या पंजीकरण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील के संबंध में प्रावधान को बड़े पैमाने पर हितधारकों को जानकारी देने के लिए प्रचारित नहीं किया गया था, ताकि वे इस संबंध में अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। इन प्रावधानों का कोई उल्लेख न तो वेब पोर्टल 'श्रमाधान' पर, न ही बोर्ड द्वारा वितरित किए जा रहे पैम्फलेट में उपलब्ध पाया गया।

इस प्रकार, बोर्ड ने यह सुनिश्चित नहीं किया था कि सभी पंजीकरण निर्धारित अवधि के भीतर पूरे किए गए हों, न ही इसने कर्मकारों के बीच बिना किसी अनुचित विलंब के स्वयं को पंजीकृत करने के उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा की थी।

4.3.4 आयु का पता लगाए बगैर कर्मकारों का पंजीकरण

झारखण्ड नियमावली के नियम 276 के साथ पठित बीओसीडब्लू अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच का प्रत्येक सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कोष की सदस्यता के लिए पात्र है। कर्मकारों को पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आयु के समर्थन में तीन निर्धारित दस्तावेजों[27] में से कोई एक प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने 300 लाभार्थियों (नमूना-जाँचित चार जिलों में से प्रत्येक से 75) के आवेदनों की जाँच की, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान ऑफ़लाइन पंजीकरण किया था, और निम्नलिखित कमियाँ पायी:

- आयु के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज 300 आवेदनों में से किसी के साथ संलग्न नहीं पाया गया। इसके बजाय, आधार कार्ड की प्रतियां (जो उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेजों की निर्धारित सूची का हिस्सा नहीं थीं) आवेदनों के साथ संलग्न पाई गईं। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कुछ आधार कार्डों में केवल जन्म का वर्ष दर्शाया गया है न कि सही जन्म तिथि।

- बोर्ड ने वेब पोर्टल 'श्रमाधान' के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से सन्निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत करने का निर्णय लिया था (मई 2016)। पोर्टल कर्मकारों को सहायक दस्तावेजों को अपलोड करके बैंक खातों, आधार संख्या, जन्म तिथि, पेशा आदि के विवरण के साथ स्वयं को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। इन ब्यौरों को अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाना था और संबंधित पंजीकरण अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था, जिसके बाद विशिष्ट पंजीकरण संख्या वाले पहचान पत्र तैयार किए जाने थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पोर्टल में अपात्र कर्मकारों को ऑनलाइन आवेदन करने से प्रतिबंधित करने के लिए कोई सत्यापन नियंत्रण नहीं था, जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग में नहीं थे। नमूना-जाँचित चार जिलों में ऑनलाइन पंजीकरण आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पंजीकरण तिथि को 91 पंजीकृत कर्मकारों की आयु 18 वर्ष से कम थी, जबकि 106 कर्मकारों की आयु 60 वर्ष से अधिक थी।

इस प्रकार, पंजीकरण अधिकारी कर्मकारों की आयु से संबंधित आवश्यकताओं के उचित सत्यापन के बिना पंजीकरण कर रहे थे।

4.3.5 पेशे की पुष्टि किए बगैर कर्मकारों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार, एक सन्निर्माण कर्मकार, जो पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए किसी भी भवन और अन्य

[27] (i) स्कूल रिकॉर्ड (ii) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र और (iii) एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सहायक सिविल सर्जन या सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से नीचे नहीं।

सन्निर्माण कार्य में लगा हुआ है, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है। इसके अलावा, झारखण्ड नियमावली के नियम 276 (3) में प्रावधानित है कि, रोजगार के समर्थन में: (i) नियोक्ता या ठेकेदार से एक प्रमाण पत्र या (ii) पंजीकृत निर्माण कर्मकार संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्र या (iii) संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त/उप-श्रम आयुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।

- चार नमूना-जाँचित जिलों में 300 पंजीकृत कर्मकारों के आवेदनों की नमूना-जाँच से पता चला कि उनके आवेदनों पर पेशे के विरुद्ध 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों' को क्षेत्र 'व्यवसाय' के विरुद्ध दर्ज किया गया था। तथापि, इन लाभार्थियों[28] में से 176 की बैंक पासबुक में उनके पेशे का उल्लेख छात्रों, गृहणियों; कृषि अथवा निजी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों; और स्व-नियोजित व्यक्तियों आदि के रूप में दर्शाया गया था। इन 300 लाभार्थियों में से केवल 111 लाभार्थियों ने पेशे के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज जमा किए थे। शेष 189 लाभार्थियों ने या तो कोई दस्तावेज जमा नहीं किया था, या अपने पेशे के बारे में स्व-प्रमाण पत्र जमा किए थे। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 400 पंजीकृत कर्मकारों में से 20 बुनकरों/गृहिणियों/दर्जी के रूप में कार्यरत पाए गए या कृषि में लगे हुए पाए गए थे (**परिशिष्ट 4.2**), लेकिन उन्हें सन्निर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- चार नमूना-जाँचित जिलों में से दो में, पंजीकृत कर्मकार संघ या नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्रों द्वारा 111 आवेदनों[29] को समर्थित (किसी भी भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे दिनों की संख्या) पाया गया। तथापि, पूर्वी सिंहभूम में यह देखा गया कि मनरेगा जॉब कार्डों के प्रथम पृष्ठ, जिनसे रोजगार के दिन सत्यापित नहीं किए जा सकते थे, 39 आवेदनों के साथ संलग्न किए गए थे। इसके अलावा, रांची और बोकारो में, सभी 150 आवेदनों को कार्य के नाम का उल्लेख किए बिना रोजगार के स्व-प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया गया था। रांची के 16 आवेदनों में कर्मकारों ने स्वयं घोषणा की थी कि उन्होंने केवल 67 से 89 दिनों के लिए काम किया था, जो पंजीकरण के लिए आवश्यक 90 दिनों से कम था।

इस प्रकार, अपात्र कर्मकारों के लिए पंजीकरण और लाभों के विस्तार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कर्मकारों को यह सुनिश्चित किए बिना पंजीकृत किया गया था कि वे पेशे या रोजगार के दिनों की संख्या के बारे में निर्धारित शर्तों को पूरा करते थें।

4.3.6 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए पंजीकरण हेतु अपूर्ण पहचान

विभाग ने बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2016)। तदनुसार, बोर्ड ने सभी सहायक श्रम आयुक्तों

[28] रांची: 48, धनबाद: 54, पूर्वी सिंहभूम: 40 और बोकारो: 34।

[29] धनबाद: 75 और पूर्वी सिंहभूम: 36.

और श्रम अधीक्षकों को निर्देश दिया (मई 2016) कि वे बोर्ड द्वारा बनाए गए डेटाबेस में लाभार्थियों के विवरण को उनके आधार नंबर और बैंक खातों के साथ अद्यतन करें, ताकि डीबीटी को लागू किया जा सके।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड डीबीटी माध्यम से लाभ प्रदान नहीं कर रहा था (दिसंबर 2022 तक)। इसके बजाय, मार्च 2022 तक एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे राशि स्थानांतरित करके विभिन्न योजनाओं (शर्ट-पैंट के कपड़े और साड़ी के वितरण को छोड़कर) के तहत सहायता प्रदान की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने 2,52,723 लाभार्थियों के कम्प्यूटरीकृत डेटा का विश्लेषण किया, जो राज्य में 31 मार्च 2022 तक ऑफ़लाइन माध्यम से पंजीकृत थे, ताकि उनके आधार नंबर और बैंक खाते की उपलब्धता का पता लगाया जा सके। निष्कर्षों को **चार्ट 4.2** में संक्षेपित किया गया है:

चार्ट 4.2: लाभार्थियों के आधार और बैंक खाते की उपलब्धता की स्थिति

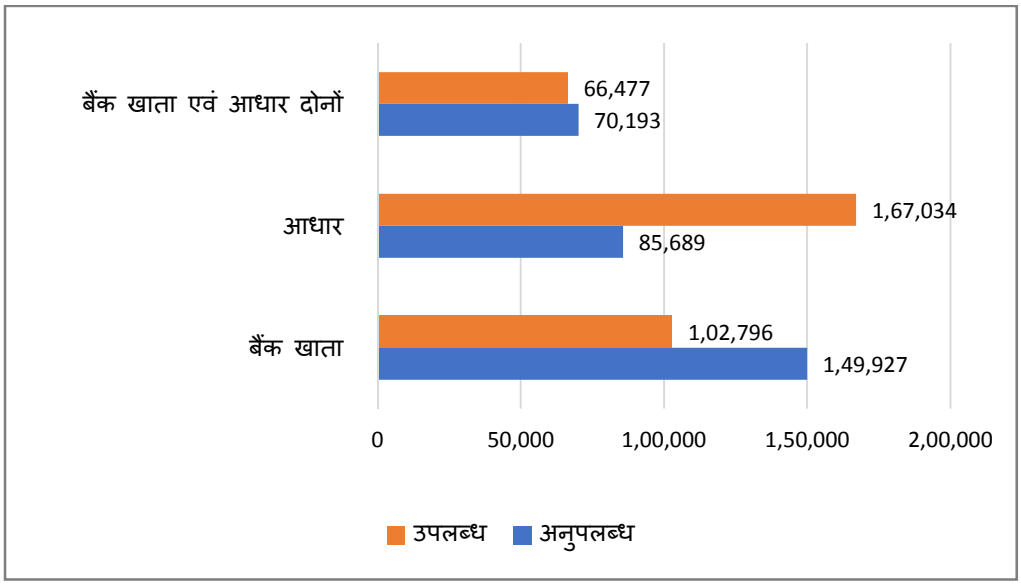

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े)

तालिका 4.2 से यह देखा जा सकता है कि आधार संख्या और बैंक खाते दोनों केवल 66,477 (26 प्रतिशत) लाभार्थियों के लिए उपलब्ध थे। 85,689 लाभार्थियों (34 प्रतिशत) के लिए आधार विवरण उपलब्ध नहीं थे, 1,49,927 लाभार्थियों (59 प्रतिशत) के लिए बैंक विवरण उपलब्ध नहीं थे और 70,193 लाभार्थियों (28 प्रतिशत) के लिए बैंक विवरण और आधार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

बैंक खाता विवरण के अभाव में, 59 प्रतिशत लाभार्थियों को एनईएफटी के माध्यम से भी लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, बोर्ड 74 फीसदी लाभार्थियों के आधार और बैंक खाते के विवरण को अद्यतन करने में विफल रहा था, जबकि ये विवरण डीबीटी माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक थे।

अनुशंसा 6: बोर्ड वेब पोर्टल में ऑफलाइन डेटाबेस के एकीकरण में तेजी ला सकता है, जिसमें आधार संख्या और आधार के साथ मैप किए गए बैंक खातों सहित सभी पहचान शामिल हों।

4.3.7 पंजीकृत कर्मकारों की प्रतिवेदित संख्या में विसंगतियां

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार, एक भवन सन्निर्माण कर्मकार, जिसे बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया है, अगर वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, या जब वह भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में वर्ष में कम से कम नब्बे दिनों के लिए नहीं लगा होता है, तो वह पंजीकृत कर्मकार नहीं रह जाएगा। इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 57 में निर्धारित है कि, बोर्ड को समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हैं जैसी उनकी आवश्यकता होगी।

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बोर्ड को पंजीकृत कर्मकारों की मासिक विवरणियां प्रस्तुत करनी थीं। आंकड़ों के संकलन के बाद, बोर्ड को तिमाही आधार पर भारत सरकार की निगरानी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार, मार्च 2022 तक राज्य में 12.57 लाख पंजीकृत कर्मकार थे।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि जुलाई 2008 में अपनी स्थापना के बाद से बोर्ड ने मार्च 2022 तक 3,589 पंजीकृत कर्मकारों के संबंध में मृत्यु पर सहायता लाभ का भुगतान किया था। इसके अलावा, चार नमूना-जाँचित जिलों में, 10,710 पंजीकृत कर्मकार थे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। तथापि, बोर्ड की प्रतिवेदनों में कर्मकारों की उपर्युक्त श्रेणियों में पंजीकृत पाया गया था।

इस प्रकार, बोर्ड कर्मकारों के पंजीकरण विवरण की समीक्षा करने में विफल रहा था, जिनकी बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के तहत सदस्यता समाप्त होने वाली थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जिलों के सभी श्रम अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नगर निगमों के तहत सूचीबद्ध एजेंसियों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यालयों के साथ, बड़े निर्माण-स्थलों/कर्मकारों के जमावड़े वाले महत्वपूर्ण स्थलों/ चौक/ अड्डों पर बोर्ड की योजनाओं के विज्ञापन दर्शाने वाले तख्तों/ होर्डिंग्स लगाने के लिए समन्वय स्थापित करे। आगे यह भी बताया गया कि सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने पंजीकरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के बाद पंजीकरण के लिए आवेदनों का समय पर निपटान के लिए निर्देश जारी किए थे कि अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्धारित अपेक्षित पात्रता पूरी की गई है। वर्तमान में, पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए आधार और बैंक खाता संख्या अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आधार और बैंक खाता संख्या के अद्यतन के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं जो पहले ऑफलाइन माध्यम से किए

गए थे। इसके अलावा, जिलों के सभी श्रम अधीक्षकों को बोर्ड की स्थापना के बाद से 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सक्रिय/निष्क्रिय कर्मकारों और मृत्यु लाभ प्राप्त करने वाले कर्मकारों की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। संकलित आंकड़ों को एसएसी और बोर्ड के समक्ष उनके पंजीकरण की स्थिति पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुशंसा 7: वेब पोर्टल के डेटाबेस को समय-समय पर उन पंजीकृत कर्मकारों के संबंध में अद्यतन किया जा सकता हैं, जिन्होंने पेंशन योग्य आयु प्राप्त कर ली है, जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जो बीओसी कर्मकार नहीं रह गए थे।

4.4 अंशदान का गैर-भुगतान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 16(1) में पंजीकृत लाभार्थी द्वारा अंशदान के भुगतान की परिकल्पना की गई है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 17 निर्देशित करता है कि, एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अंशदान का भुगतान न करने से लाभार्थी के रूप में योग्यता तबतक समाप्त रहेगी, जब तक कि बोर्ड के सचिव लाभार्थी द्वारा अंशदान के भुगतान नहीं किए जाने के उचित कारणों से संतुष्ट होकर उसे इस शर्त के साथ कि कर्मकार बकाया राशि के भुगतान करने के लिए तैयार था, उसे पुनः बहाल नहीं कर देता। राज्य सरकार ने अधिसूचित (सितम्बर, 2011) किया था कि प्रत्येक पंजीकृत लाभार्थी को कल्याण कोष में ₹ 100 वार्षिक या ₹ 50 अर्ध-वार्षिक की दर से अंशदान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित जिलों में बड़ी संख्या में पंजीकृत कर्मकार नियमित रूप से वार्षिक अंशदान का भुगतान नहीं कर रहे थे, जैसा कि **तालिका 4.5** में दिखाया गया है।

तालिका 4.5: अंशदान की स्थिति

वित्तीय वर्ष	योगदान देने वाले कर्मकारों का विवरण									
	रांची		धनबाद		बोकारो		पूर्वी सिंहभूम		कुल	
	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कर्मकारों की संख्या	भुगतान करने वाले कर्मकारों की संख्या (प्रतिशत)
2017-18	21,581	1,012	42,458	16,750	45,406	2,220	42,585	3,699	1,52,030	23,681 (16%)
2018-19	28,902	314	56,817	24,136	55,563	9,536	53,329	2,173	1,94,611	36,159 (19%)
2019-20	34,955	1,950	68,582	2,251	70,958	285	68,109	3,032	2,42,604	7,518 (3%)
2020-21	48,641	5,913	74,391	0	75,353	1,471	70,587	4,283	2,68,972	11,667 (4%)
2021-22	63,270	5,116	74,391	4,386	78,492	1,357	73,587	544	2,89,740	11,403 (4%)

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

तालिका 4.5 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान केवल तीन से 19 प्रतिशत कर्मकारों ने अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान किया था। वर्षों से भुगतान करने वाले सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, न तो बोर्ड और न ही क्षेत्रीय कार्यालयों ने कर्मकारों को कल्याण कोष में नियमित रूप से अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

4.5 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पहचान पत्रों का निर्गत नहीं होना

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, बोर्ड को प्रत्येक लाभार्थी को एक पहचान पत्र देना था, जिस पर उसकी तस्वीर विधिवत चिपकाई गई हो, और उसके द्वारा किए गए भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के विवरण दर्ज करने के लिए पर्याप्त जगह हो। प्रत्येक नियोक्ता को पहचान पत्र में लाभार्थी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दर्ज करना और उसे प्रमाणित करना अपेक्षित था। एमडब्ल्यूएस व एपी में यह भी निर्धारित है कि पंजीकरण अधिकारियों को पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में पहचान पत्र प्रदान करना था, ताकि उसमें रोजगार विवरण दर्ज किया जा सके।

निर्गत किए गए पहचान पत्रों में उपलब्ध रोजगार के विवरण का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने 300 पहचान पत्रों (नमूना-जाँचित चार जिलों में से प्रत्येक से 75) की जाँच की, जिसमें ऑफ़लाइन पंजीकरण के बाद निर्गत किए गए 200 कार्ड और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद निर्गत किए गए 100 कार्ड शामिल थे। यह देखा गया कि, ऑफ़लाइन पंजीकरण के मामले में, एक पृष्ठ (पत्रक) हार्ड कार्ड जारी किया गया था, जिसमें लाभार्थी का विवरण[30], लाभार्थी की तस्वीर और पंजीकरण अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर थे। ऑनलाइन पंजीकरण के मामले में, पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड के रूप में थे, जिसमें लाभार्थी के विवरण और तस्वीरें थीं। विभिन्न प्रकार के निर्गत पहचान पत्रों को **चित्र 3** से **8** में दिखाया गया है।

[30] नाम, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम, सेवानिवृत्ति की तारीख, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

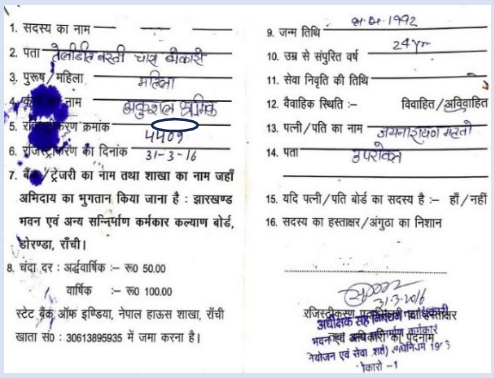

चित्र 3

चित्र 4

ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से निर्गत पहचान पत्र

चित्र 5

चित्र 6

ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से निर्गत पहचान पत्र

चित्र 7

चित्र 8

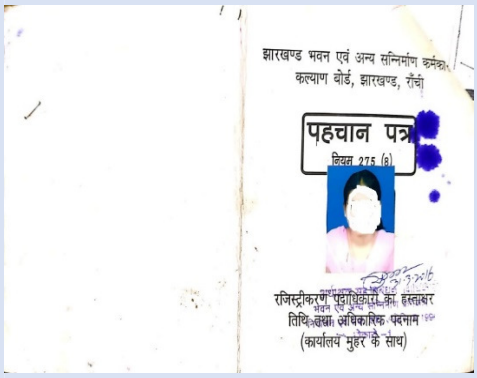

ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से निर्गत पहचान पत्र

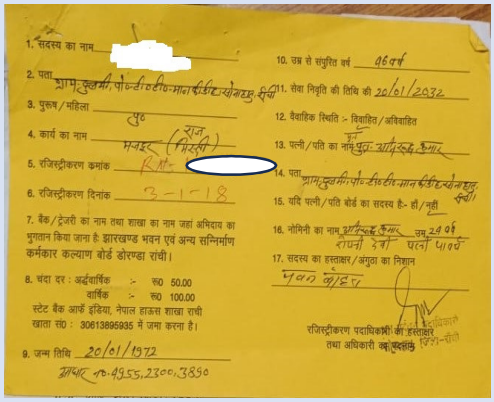

ऊपर की चित्रों से, यह स्पष्ट है कि पहचान पत्र पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में निर्गत नहीं किए गए थे, ताकि कार्ड पर रोजगार के विवरण को दर्ज करना सुनिश्चित की जा सके, इस उद्देश्य से कि कर्मकार भवन या अन्य सन्निनिर्माण कार्य में अपेक्षित दिनों के लिए नियोजित था। इसके अलावा, निर्माण कार्य में कर्मकार के कार्यरत दिवसों की संख्या दर्ज करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

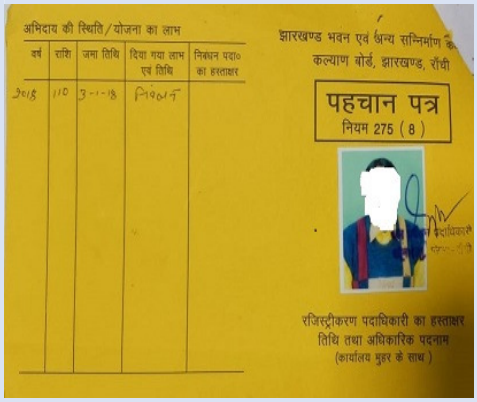

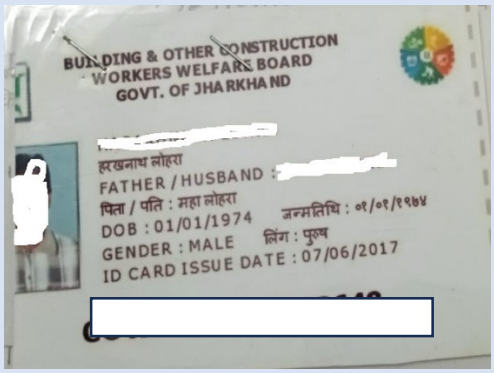

इस प्रकार, बोर्ड ने अपेक्षित प्रपत्र में पहचान पत्र निर्गत नहीं किए थे, जिसमें कार्य दिवसों की संख्या दर्ज करने के लिए पर्याप्त स्थान हो, ताकि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए पंजीकृत कर्मकारों की नियुक्ति, जो निधि की सदस्यता को जारी रखने के लिए आवश्यक थी, का सत्यापन किया जा सके।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (अक्टूबर 2023) कि पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड के रूप में निर्गत किए जाते हैं। तथापि, पासबुक/रोजगार डायरी के रूप में पहचान पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव उपयुक्त निर्णय हेतु बोर्ड/एसएसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि कर्मकारों को राज्य स्तरीय विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्रदान की जा रही है जो राष्ट्रीय पोर्टल 'ई-श्रम' पर अपलोड किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

अनुशंसा 8: बोर्ड पासबुक या रोजगार डायरी के रूप में कर्मकारों को पहचान पत्र निर्गत करना सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें नियोक्ताओं के लिए कर्मकारों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दर्ज करने हेतु पर्याप्त स्थान हो। पंजीकृत कर्मकारों को लाभ के प्रावधान को पहचान पत्रों में दर्ज कार्यों के ब्यौरे के साथ जोड़ा जा सकता है।

अध्याय 5

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय 5

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

विभाग ने नियमों की अधिसूचना के साथ-साथ पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनाथ पेंशन, नि: शक्तता पेंशन, मातृत्व लाभ, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता और विवाह सहायता के भुगतान से संबंधित आठ कल्याणकारी योजनाओं को अधिसूचित किया (अगस्त 2007)। इसके बाद, बोर्ड ने अन्य और चौदह कल्याणकारी योजनाओं[31] को अधिसूचित किया (मार्च 2011 और दिसंबर 2021 के बीच)। लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इन 22 कल्याणकारी योजनाओं में से 10 योजनाओं का चयन उनके कार्यान्वयन के विश्लेषण के लिए किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में 400 लाभार्थियों[32] का एक सर्वेक्षण भी किया गया, ताकि उन्हें प्रदान किए गए लाभों के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

5.1 कर्मकारों की मृत्यु या नि:शक्तता पर सहायता

पंजीकृत कर्मकार की स्वाभाविक मृत्यु होने पर उनके आश्रित, झारखण्ड भवन सन्निर्माण कर्मकार मृत्यु पर/नि:शक्तता सहायता (जेबीडब्ल्यूडीडीए) योजना के तहत नवम्बर 2015 से जून 2017 तक 30 हजार रुपये की एकमुश्त राशि का लाभ प्राप्त करने का हकदार थे। जुलाई 2017 से इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गयी।

इसके अलावा, लाभार्थी का पति/पत्नी ₹ पांच सौ प्रति माह (जुलाई 2017 से संशोधित) की पारिवारिक पेंशन का पात्र था और आश्रित/नामांकित व्यक्ति अंत्येष्टि सहायता (मार्च 2018 में अधिसूचित) के रूप में ₹ दस हजार की एकमुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार था।

लाभार्थियों के आश्रितों को तीन प्रकार की सहायता अर्थात् मृत्यु पर सहायता (डीए), अंत्येष्टि सहायता (एफए) और परिवारिक पेंशन (एफपी) प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होता है। मृत्यु पर और अंत्येष्टि सहायता जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक द्वारा स्वीकृत की जाती है, जबकि पारिवारिक पेंशन आयुक्त स्तर पर उप श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती है।

---

[31] (1) साइकिल सहायता (2) श्रम टूलकिट सहायता (3) सिलाई मशीन सहायता (4) मेधावी बच्चों की छात्रवृत्ति (5) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (6) आम आदमी बीमा योजना (7) रोजगार प्रशिक्षण योजना (8) बाल श्रमिक शिक्षा सहायता (9) लड़कियों की शिक्षा के लिए सरस्वती योजना, (10) मृत्यु पर सहायता (11) श्रम सुरक्षा किट सहायता (12) प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना (13) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (14) साड़ी/शर्ट-पैंट के लिए कपड़ों का वितरण

[32] प्रत्येक चयनित योजना के दस लाभार्थी, नमुना-जाँचित चार जिलों में से प्रत्येक से।

5.1.1 एमडब्ल्यूएस व एपी के अनुसार सहायता राशि का गैर-संरेखण

एमडब्ल्यूएस व एपी में निर्धारित है कि राज्य कल्याण बोर्ड को मृत लाभार्थी के आश्रितों को दुर्घटना में मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये और स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में दो लाख रुपये की न्यूनतम आच्छादन प्रदान करनी चाहिए। एमडब्ल्यूएस व एपी ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना[33] (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना[34] (पीएमएसबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के कर्मकारों के आच्छादन की भी अनुशंसा की थी, जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है|

नमूना-जाँचित जिलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मृत्यु पर सहायता के स्वीकृत मामलों का विवरण **तालिका 5.1** में विस्तृत है।

तालिका 5.1: वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मृत्यु पर सहायता के स्वीकृत मामले

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	रांची	बोकारो	धनबाद	जमशेदपुर	कुल
1	2017-18	11	शून्य	58	शून्य	69
2	2018-19	35	शून्य	87	10	132
3	2019-20	10	शून्य	29	18	57
4	2020-21	57	69	63	46	235
5	2021-22	83	115	147	56	401
कुल		**196**	**184**	**384**	**130**	**894**

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ₹ 5,202 की एकमुश्त राशि[35] अंतरित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2016) था, ताकि वे अपने नियमित वार्षिक प्रीमियम[36] का भुगतान कर सकें और इस उद्देश्य के लिए ₹ 15.65 करोड़[37] स्वीकृत (अप्रैल 2017) किए गए थे। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों को प्रीमियम के नवीनीकरण के भुगतान के लिए, या लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रीमियम राशि के सीधे अंतरण के लिए ₹ 29.23 करोड़[38] और दिए। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 से

[33] ₹ 330 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर, किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹ दो लाख के आच्छादन के साथ।

[34] ₹ 12 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर, आकस्मिक मृत्यु पर ₹ दो लाख के आच्छादन के साथ।

[35] पीएमएसबीवाई के लिए ₹ 201 और पीएमजेजेबीवाई के लिए ₹ 5,001 की एकमुश्त राशि।

[36] आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का पीएमजेजेबीवाई के साथ, अभिसरण के बाद (जून 2017)/ 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को पीएमजेजेबीवाई के तहत आच्छादन किया जाना था, जबकि 51 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को एएबीवाई में बने रहना था। इसके अलावा, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों को पीएमएसबीवाई के तहत भी आच्छादन किया जाना था।

[37] पीएमजेजेबीवाई के लिए 29,994 लाभार्थियों हेतु ₹ 15 करोड़ और पीएमएसबीवाई के लिए 32,000 लाभार्थियों हेतु ₹ 65 लाख।

[38] जिसमें 31 मार्च 2017 तक ₹ 9.05 करोड़ का अव्ययित शेष शामिल है।

2021-22 के दौरान लाभार्थियों की ओर से बोर्ड द्वारा बीमा कंपनी[39] को कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया । बोर्ड के पास उन लाभार्थियों का विवरण भी नहीं था, जिनके बैंक खातों में प्रीमियम राशि सीधे अंतरित की गई थी।

इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बोर्ड को सूचित (मई 2020) किया कि वह ऐसी किसी भी बीमा का नवीनीकरण नहीं करेगा, जिसके संबंध में आधार से जुड़े आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और अभिसारित पीएमजेजेबीवाई एवं आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)[40] के अंतर्गत जून 2019 तक के प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। एलआईसी ने आगे सूचित किया कि वह जुलाई 2019 से अभिसरीत पीएमजेजेबीवाई और एएबीवाई के तहत कोई नई पालिसी शुरू नहीं करेगी। एलआईसी ने बोर्ड से बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया, जिसमें बीमा प्रीमियम की अप्रयुक्त राशि ₹ 4.24 करोड़ वापस की जा सके। चूंकि बोर्ड द्वारा एलआईसी को बैंक खाते का विवरण प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए बोर्ड को राशि वापस नहीं की गई (मार्च 2023 तक)। इस प्रकार, मार्च 2022 तक किसी भी लाभार्थी को किसी भी बीमा योजना के तहत आच्छादन नहीं किया गया।

नमुना-जाँचित चार जिलों में से दो[41] में, यह पाया गया कि श्रम अधीक्षकों ने विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत 78,123 लाभार्थियों[42] के आच्छादन के लिए एलआईसी को ₹ 120.86 लाख[43] के प्रीमियम का भुगतान (अप्रैल 2017 और अगस्त 2018 के बीच) किया था, लेकिन इन लाभार्थियों के आवश्यक आंकड़े[44] प्रस्तुत नहीं किये गए थे। आवश्यक आंकड़ों के अभाव में लाभाथियों का बीमा नहीं हो सका। इसके अलावा, दोनों जिलों ने प्रीमियम राशि को किसी भी लाभार्थी के बैंक खातों में अंतरित भी नहीं किया, ताकि वे स्वयं प्रीमियम का भुगतान कर सकें। जिसके कारण लाभार्थी बीमा आच्छादन से वंचित रह गए थे।

इस प्रकार, लाभार्थियों के बीमा आच्छादन के बिना, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से जेबीडब्ल्यूडीडीए योजना के तहत लाभार्थियों के आश्रितों को केवल एक लाख रुपये, मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया, हालांकि वे स्वाभाविक मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये या आकस्मिक मृत्यु के मामले में चार लाख रुपये एलआईसी से प्राप्त करने के पात्र थे, जैसा कि योजना में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा बनाई गई

---

[39] भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एएबीवाई और पीएमजेजेबीवाई को अपने दम पर चला रहा था। पीएमएसबीवाई के लिए, एलआईसी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (एनआईएसी) के साथ टाई-अप किया था।

[40] अभिसरण योजना के तहत, वित्त मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने एएबीवाई (18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लिए) के लाभार्थियों को पीएमजेजेबीवाई के साथ विलय करने का निर्णय लिया। तथापि, 51 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को एएबीवाई के मौजूदा फार्मेट में बने रहने की अनुमति दी गई थी।

[41] बोकारो और धनबाद

[42] धनबाद: 52,306 और बोकारो: 25,817

[43] धनबाद: ₹ 78,59,450 और बोकारो: ₹ 42,26,320

[44] लाभार्थी विवरण के साथ आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर

जेबीडब्ल्यूडीडीए स्कीम के अंतर्गत स्वाभविक/दुर्घटना मृत्यु के लिए सहायता की राशि को भी संरेखित नहीं किया गया है जैसाकि एमडब्ल्यूएस व एपी के अंतर्गत अनुशंसा की गई है।

5.1.2 लाभार्थियों के मृत्योपरांत आश्रितों को लाभ की गैर-अदायगी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पति/पत्नी अन्य दो योजनाओं के लिए भी मृत्योपरांत लाभ के लिए पात्र होते हैं, जबकि पति या पत्नी के अलावा अन्य आश्रित, अन्य दो योजनाओं में से केवल एक के लिए पात्र हैं।

नमुना-जाँचित चार जिलों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान आश्रितों को प्रदान की गई मृत्यु पर सहायता (डीए) और अंत्येष्टि सहायता (एफए) का विवरण **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: लाभार्थियों की संख्या जिन्हें डीए और एफए को स्वीकृत और भुगतान किया गया

जिला	सहायता	स्वीकृत लाभार्थियों की संख्या					कुल		
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	भुगतान किया	न्यूनतम पात्र[45]	भुगतान नहीं किया गया
रांची	मृत्यु पर सहायता	11	35	10	57	83	196	222	26
	अंत्येष्टि सहायता	22	28	25	52	83	210		12
धनबाद	मृत्यु पर सहायता	58	87	29	63	147	384	437	53
	अंत्येष्टि सहायता	64	108	40	78	69	359		78
बोकारो	मृत्यु पर सहायता	0	0	0	69	115	184	245	61
	अंत्येष्टि सहायता	24	28	8	70	97	227		18
पूर्वी सिंहभूम	मृत्यु पर सहायता	0	10	18	46	56	130	192	62
	अंत्येष्टि सहायता	21	33	36	39	54	183		9
उप योग	**मृत्यु पर सहायता**						**894**	**1,096**	**202**
	अंत्येष्टि सहायता						**979**		**117**

(स्रोत: संबंधित संस्वीकृतिदाता अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.2 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान क्रमशः 894 और 979 लाभार्थियों के आश्रितों को मृत्यु पर सहायता और अंत्येष्टि सहायता का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, न्यूनतम 1,096 पात्र लाभार्थियों में से शेष 319 लाभार्थियों के आश्रित मृत्यु पर सहायता (202) और अंत्येष्टि सहायता (117) से वंचित रह गए थे।

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिलों में मृत्यु पर सहायता का भुगतान पाने वाले 894 लाभार्थियों के संबंधित आवेदन में से 778 आवेदनों का विश्लेषण किया और पाया कि 672 मृत लाभार्थियों के पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र थे। हालांकि, पात्र लाभार्थियों में से केवल 217 पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन मंजूर की गई थी। इस

[45] 2017-22 अवधि के दौरान एक वित्त वर्ष में किसी भी दो योजनाओं के तहत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या (2017-18: 131; 2018-19: 204; 2019-20: 109; 2020-21: 251; और 2021-22: 401) की, जिन्हें सहायता राशि का भुगतान किया गया

प्रकार, शेष 455 पति/पत्नी पेंशन के लिए पात्र होने के बाबजूद भी लाभ से वंचित रह गए थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, आठ[46] मृत कर्मकारों के पति/पत्नी ने संयुक्त सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के साथ आए बोर्ड के अधिकारियों से अपनी पारिवारिक पेंशन शुरू करने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि लाभार्थियों के आश्रितों से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनों का जिला कार्यालयों में डायरी नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी कि सभी तीन लाभों के लिए आवेदन एक साथ प्राप्त किए गए थे और एक समकालीन तरीके से संसाधित किए गए थे, ताकि पंजीकृत कर्मकारों की मृत्यु पर आश्रित व्यक्ति सभी स्वीकार्य लाभों को प्राप्त कर सकें।

इस प्रकार, प्रस्तुत आवेदनों की प्राप्ति के उचित दस्तावेजीकरण के लिए प्रणाली के अभाव के कारण पात्र लाभार्थी सभी तीन लाभों के अनुदान से वंचित हो गए। इसके अलावा, बोर्ड ने मृत कर्मकारों के आश्रितों को मृत्योपरांत मिलने वाले सभी लाभों का प्रावधान भी सुनिश्चित नहीं किया था।

5.1.3 सहायता भुगतान में विलम्ब

एमडब्ल्यूएस व एपी (अक्टूबर 2018 में निर्गत) के अनुसार, मृत्योपरांत मिलने वाली सहायता कर्मकार के निधन के 60 दिनों के भीतर प्रदान की जानी है।

नमूना-जाँचित चार जिलों में मृत्यु पर सहायता के 778 आवेदनों की नमूना-जाँच से वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान लाभ के प्रावधानों में विलंब का पता चला, जैसा कि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: सहायता के भुगतान में विलंब

क्र.सं.	जिला	कुल आवेदन	विलंब के कुल मामले (प्रतिशत)	विलंब की अवधि (विलंब से दर्ज कुल मामलों का प्रतिशत)				
				तीन वर्ष से अधिक	दो से तीन साल	एक से दो साल	छह महीने से एक वर्ष तक	61 दिन से छह महीने
1	धनबाद	384	381 (99%)	18	94	135	98	36
2	बोकारो	184	170 (92%)	11	31	41	51	36
3	रांची	80	78 (98%)	2	16	41	14	5
4	पूर्वी सिंहभूम	130	130 (100%)	0	6	20	75	29
कुल		**778**	**759 (97%)**	**31 (4)**	**147 (20)**	**237 (31)**	**238 (31)**	**106 (14)**

(स्रोत: संबंधित श्रम अधीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.3 दर्शाती है कि 97 प्रतिशत मामलों में विलंब हुआ था, जिनमें 55 प्रतिशत मामले ऐसे थे, जिनमें एक वर्ष से अधिक का विलंब हुआ था।

[46] पाxxxx देxx, फxx बीxxx, वxकxxx कुxर, सxबxxह मxx, और अxटx कxमxx, सिल्ली प्रखंड, रांची से; और बलियापुर प्रखंड, धनबाद से काxxज फxxx, मxxxxह प्रxxx बxxxवxx तथा मो. मxकxअx xलx

इस प्रकार, जैसा कि एमडब्ल्यूएस व एपी में अपेक्षित था बोर्ड ने मृत कर्मकारों के आश्रितों को 60 दिनों के भीतर सहायता का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था।

5.1.4 अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

मृत्यु के बाद के लाभों के लिए लाभार्थियों की पात्रता को सत्यापित करने के लिए 320 आवेदनों (प्रत्येक नमुना-जाँचित जिले से 80) की लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

(अ) गैर-आश्रितों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान

मृत पंजीकृत कर्मकारों के आश्रितों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया जाना था। इसके अलावा, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 2 (डी) के अनुसार, 'आश्रित'[47] में भतीजा/भतीजी/बहू, भाई और बहन (18 वर्ष से अधिक आयु) शामिल नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11 मामलों में ₹ 10.30 लाख **(परिशिष्ट 5.1)** की मृत्यु पर सहायता का भुगतान भाइयों/बहनों (18 वर्ष से अधिक आयु) के साथ-साथ मृत कर्मकारों के भतीजों और भतीजियों को किया गया था। इसके अलावा, शपथपत्रों के आधार पर तीसरे पक्ष को बिना कोई आधिकारिक दस्तावेज, जैसे वंश प्रमाण पत्र या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के पांच लाख रुपये की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

(ब) अपात्र लाभार्थियों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के साथ पठित धारा 16 (1) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार को निर्दिष्ट दर पर कोष में वार्षिक अंशदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, धारा 17 में यह निर्धारित है कि एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अंशदान का भुगतान न करने पर लाभार्थी के रूप में पात्रता समाप्त हो जाएगी, जब तक कि इस बात से संतुष्ट होते हुए कि अंशदान का निलंबन उचित आधार के कारण था और कर्मकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है, बोर्ड के सचिव द्वारा पुन: बहाल किया जाता है,

---

[47] i) एक विधवा, एक नाबालिग वैध या दत्तक पुत्र, एक अविवाहित वैध या दत्तक पुत्री या एक विधवा मां (ii) यदि पूरी तरह से उसकी मृत्यु के समय कर्मकार की कमाई पर निर्भर है, एक बेटा या एक बेटी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है और जो कमजोर है (iii) यदि पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसकी मृत्यु के समय कर्मकार की कमाई पर निर्भर है- (क) एक विधुर (ख) एक विधवा माँ के अलावा अन्य माता-पिता (ग) एक नाबालिग नाजायज बेटा, एक अविवाहित नाजायज बेटी या एक बेटी वैध या नाजायज या गोद ली हुई अगर विवाहित और नाबालिग या विधवा और नाबालिग (घ) एक नाबालिग भाई या एक अविवाहित बहन या एक विधवा बहन, अगर एक नाबालिग (ङ) एक विधवा बहू (च) एक पूर्व-मृत बेटे का नाबालिग बच्चा (छ) एक पूर्व-मृत बेटी का नाबालिग बच्चा जहां बच्चे के माता-पिता जीवित नहीं हैं या (ज) एक पैतृक दादा-दादी यदि काम करने वाले के माता-पिता जीवित नहीं हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

➢ 17 कर्मकारों के आश्रितों **(परिशिष्ट 5.2)**, जिन्होंने एक वर्ष की निरंतर अवधि तक अंशदान नहीं दिया था, को ₹ 17 लाख की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

➢ 16 आवेदन **(परिशिष्ट 5.2)** पंजीकरण शुल्क की भुगतान रसीदों द्वारा समर्थित नहीं पाए गए, जैसा कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत आवश्यक है। तथापि, इन लाभार्थियों को 16 लाख रुपए की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

➢ एक कर्मकार के आश्रितों[48] को 18 वर्ष से कम आयु में पंजीकृत कर दिया गया था और दूसरे कर्मकार[49], जिसकी 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो गई थी, को दो लाख का भुगतान किया गया था।

➢ दो आश्रितों की बैंक पासबुक[50], जिन्हें ₹ दो लाख की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था, से पता चला कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/सरकारी कर्मचारी थे **(परिशिष्ट 5.2)।** इसके अलावा, लाभ प्राप्ति के लिए आवेदनों से पता चला कि आवेदक पंजीकृत कर्मकारों के विधुर थे। एक विधुर को कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2 (डी) के तहत आश्रित तभी माना जाता है, जब वह पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्मकार की कमाई पर निर्भर हो। इन आवेदकों को पंजीकृत कर्मकारों पर उनकी वित्तीय निर्भरता सुनिश्चित किए बिना इस तथ्य के बावजूद कि वे सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी थे, आश्रितों के रूप में लाभ की अनुमति दी गई थी।

इस प्रकार, 37 लाभार्थियों के अपात्र आश्रितों को ₹ 37 लाख की मृत्यु पर सहायता का भुगतान किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए**,** विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि: (i) एम. डब्लु. एस एवं एपी के तहत निहित मृत्यु के बाद के लाभों की राशियों के युक्तिकरण और योजनाओं के एकीकरण का प्रस्ताव बोर्ड और एस.ए.सी. के समक्ष रखा जाएगा (ii) सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने भी मंजूरी देने वाले अधिकारियों को सभी मृत्यु के बाद के लाभों के समय पर निष्पादन और आवेदकों की पात्रता के सत्यापन के बाद ही इसका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश निर्गत किए हैं (iii) इसके अतिरिक्त, उन आवेदनों की जाँच करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा अयोग्यता का उल्लेख किया गया है।

अनुशंसा 9: बोर्ड यह सुनिश्चित कर सकता है कि एमडब्ल्यूएस व एपी के तहत, दुर्घटना/स्वाभाविक मृत्यु पर पंजीकृत कर्मकारों को अनुशंसित न्यूनतम आच्छादन प्रदान

---

[48] धनबाद: निबंधन संख्या - 3x24/12

[49] धनबाद: निबंधन संख्या - सीओडब्लू1xएम001x27x546

[50] धनबाद: निबंधन संख्या - बीएलपी-2x56/14 और एनआईएस-4xx5/16

किया गया है। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करे कि मृत्यु के बाद के लाभों का भुगतान, जो कि एमडब्ल्यूएस व एपी के तहत अनुशंसित राशि से कम नहीं हो और समय सीमा के भीतर, पंजीकृत कर्मकारों के आश्रितों को प्रदान किया जाय।

5.2 पेंशन का आच्छादन

झारखण्ड नियमावली के नियम 282 के साथ पठित बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 (1) (बी) में यह परिकल्पना की गई है कि पेंशन का भुगतान उन लाभार्थियों को किया जाएगा, जो साठ वर्ष की आयु पूरी होने के अनुवर्ती महीने तक कम से कम तीन वर्ष के लिए निर्माण कर्मकारों के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, झारखण्ड नियमावली के नियम 284, 289 और 290 में लाभार्थियों को विकलांगता पेंशन, पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन और आश्रितों को अनाथ पेंशन का प्रावधान है।

नमूना-जाँचित चार जिलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

5.2.1 सामान्य पेंशन के तहत पेंशनभोगियों का कम आच्छादन

वर्ष 2018 से 2022 के 31 मार्च को 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पंजीकृत कर्मकारों की संख्या और स्वीकृत सामान्य[51] पेंशन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: सामान्य पेंशन के तहत पेंशन योग्य कर्मकारों का आच्छादन

	रांची		धनबाद		बोकारो		पूर्वी सिंहभूम		कुल		
वित्तीय वर्ष	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	60 वर्ष पूरे करने वाले कर्मकारों की संख्या	स्वीकृत पेंशनों की संख्या	स्वीकृत पेंशन का प्रतिशत
2017-18	797	13	683	4	717	2	1133	9	3,330	28	1
2018-19	278	10	230	14	322	2	315	4	1,145	30	3
2019-20	383	2	538	3	392	1	698	6	2,011	12	1
2020-21	507	5	466	5	446	9	726	21	2,145	40	2
2021-22	481	3	458	26	529	6	611	14	2,079	49	2
कुल	**2,446**	**33**	**2,375**	**52**	**2,406**	**20**	**3,483**	**54**	**10,710**	**159**	**1**

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.4 से, यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, 60 वर्ष की आयु होने पर केवल एक से तीन प्रतिशत पंजीकृत कर्मकारों को पेंशन स्वीकृत की गई थी। इस प्रकार, पेंशन योजना का कार्यान्वयन अप्रभावी रहा था। इसके

[51] नियमित/सामान्य पेंशन (पारिवारिक पेंशन/नि:शक्तता पेंशन/अनाथ पेंशन के अलावा)

अलावा, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पेंशनभोगियों के नगण्य आच्छादन के पीछे के कारणों की कोई समीक्षा नहीं की थी।

अनुशंसा 10: बोर्ड पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकता है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों के लिये पेंशन आच्छादन का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

5.2.2 पेंशन का गैर-भुगतान

नमूना-जाँचित चार जिलों में स्वीकृत पेंशन के 440 मामले[52] थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि, यद्यपि पहला भुगतान आम तौर पर मंजूरी के तुरंत बाद किए गए थे, अनुवर्ती भुगतान नियमित रूप से नहीं किए जा रहे थे। यह भी देखा गया कि यद्यपि पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण-पत्रों को पेंशन जारी रखने के लिए संबंधित श्रम अधीक्षकों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष नवंबर में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, तथापि 440 पेंशनभोगियों में से केवल 54 (12.27 प्रतिशत) ने ही उन्हें प्रस्तुत किया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 440 मामलों में से 384 (87 प्रतिशत) में पेंशन का भुगतान, 31 मार्च 2022 तक एक महीने से लेकर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया रहा था, जैसा कि **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: 31 मार्च 2022 तक पेंशन की गैर-भुगतान

जिला का नाम	देय भुगतान					
	तीन वर्ष से अधिक	दो से तीन साल	एक से दो साल	छह महीने से एक वर्ष तक	तीन से छह महीने	एक से तीन महीने
रांची	16	15	54	28	0	13
बोकारो	0	0	4	0	16	0
धनबाद	7	5	8	0	130	0
पूर्वी सिंहभूम	0	0	0	42	46	0
कुल	**23**	**20**	**66**	**70**	**192**	**13**

(स्रोत: संबंधित जिला श्रम आयुक्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

तालिका 5.5 से देखा जा सकता है कि 109 मामलों (440 का 25 प्रतिशत) में पेंशनभोगियों को भुगतान एक वर्ष से अधिक समय तक बकाया रहा। इसमें 23 ऐसे मामले शामिल हैं, जहां भुगतान तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया था।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के 40 में से 11 पेंशनभोगियों[53] ने जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं, निर्गतकर्ता प्राधिकारियों के बारे में जानकारी की कमी या दूर अवस्थित जिला कार्यालयों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में शिकायत की।

---

[52] सामान्य पेंशन: 159, पारिवारिक पेंशन: 276, नि:शक्तता और अनाथ पेंशन: 5.

[53] (1) कxकxलx दxवx (2) सxदxईx मxहxतx (3) नxनx लXल माxxओ (4) सxरxलx दxxई (5) रxकxअ दxxई (6) सxनxओतx दxवx (7) सxईxइसxxवxर मxहxतx (8) पxशxअ दxवx (9) रxकxअनx दxवx (10) मxहxनx दxxई और (11) लxदxअणxथ मxहxओ।

इसके अलावा, कोविड महामारी[54] के दौरान, भारत सरकार ने बोर्डों को निर्देश[55] (जुलाई 2020) दिया था कि वे कर्मकारों की भौतिक उपस्थिति पर जोर न दें, प्रक्रियाओं को आसान बनाएं और महामारी से निपटने के लिए कर्मकारों को प्रोत्साहित करें। हालांकि, बोर्ड ने महामारी की अवधि के दौरान भी पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित नहीं किया था।

5.2.3 नि:शक्तता और अनाथ पेंशन

नि:शक्तता पेंशन उन लाभार्थियों को प्रदान की जानी है जो लकवा, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, दुर्घटनाओं आदि के कारण स्थायी रूप से विकलांग हैं। यह शुरू में ₹ 500 प्रति माह (मार्च 2011 से) की दर से देय था, लेकिन बाद में संशोधित (अप्रैल 2018) कर ₹ 1,000 प्रति माह कर दिया गया था । स्थायी आंशिक नि:शक्तता के मामले में, संबंधित लाभार्थी मासिक पेंशन के लिए पात्र थे, जिसकी गणना नि:शक्तता के प्रतिशत के आधार पर कुल पेंशन के अनुपात में अर्जन क्षमता की हानि पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी निःशक्तता की प्रतिशतता के आधार पर ₹ 10,000 की अनुग्रह राशि के भुगतान का भी पात्र था। इसी प्रकार, लाभार्थी अथवा पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में, उसके अठारह वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे, अनाथ पेंशन के रूप में, प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन की राशि के बराबर भुगतान के लिए पात्र थे, जिसे सभी बच्चों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। पारिवारिक पेंशन की दर जुलाई 2017 से ₹ 500 प्रति माह, अनाथ पेंशन भी ₹ 500 प्रति माह की दर से देय थी।

नमूना-जाँचित चार जिलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि:

- नि:शक्तता पेंशन के चार मामले[56] और अनाथ पेंशन का एक मामला[57] था , लेकिन किसी भी मामले में पेंशन का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। मार्च 2022 तक, प्रत्येक मामले में पेंशन की मंजूरी के बाद से स्वीकार्य 244 महीनों के विरुद्ध केवल 132 महीनों के लिए इसका भुगतान किया गया था। इसके अलावा, एक मामले[58] में, नि:शक्तता पेंशन की गणना 75 प्रतिशत की विकलांगता के बजाय 100 प्रतिशत की विकलांगता पर विचार करते हुए की गई थी, हालांकि लाभ के लिए आवेदन में इसका उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, दो मामलों[59] में, विकलांगता पेंशन का भुगतान 8 महीने (अप्रैल 2017 से नवंबर 2017) के लिए संशोधित दरों

---

[54] मार्च 2020 से जनवरी 2021 और मार्च 2021 से जुलाई 2021

[55] श्रम और रोजगार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को निर्गत बीओसीडब्ल्यू सलाहकार मार्गदर्शिका (डीओ संख्या जेड-20012/09/2020-बीओसीडब्ल्यू दिनांक 14 जुलाई 2020

[56] रांची: (1) पंजीकरण संख्या- आरएनxxx/ एसओएन /2016 (2) आरएनx15/टीएमआर/2017 (3) आरएनx46/एसओएन/2017 और धनबाद: (4) सीओडब्ल्यू17M000xxx3548

[57] धनबाद: जीओवी-6x1/13

[58] धनबाद: सीओडब्ल्यू 17एम000xxx3548

[59] रांची: आरxx43/एसओएन /2016 और (2) आरxxx46/एसओएनxxx17

(₹ 1,000 प्रति माह) पर और एक मामले[60] में, सात महीने (अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017) के लिए भुगतान नहीं किया गया था।

- रांची जिले में अभिज्ञात चार मामलों में से तीन [61] मामलों में ₹ 30,000 की अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं करने वाले बड़ी संख्या में कर्मकारों के मुद्दे की जाँच करने के लिए एक समिति के गठन हेतु बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाएगा और पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मुद्दे को हल करने की विधि की जाँच की जाएगी।

5.3 मातृत्व लाभ

झारखण्ड नियमावली में पंजीकृत महिला लाभार्थियों को ₹ 1,500 की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का प्रावधान है, जिसे प्रत्येक पहले दो बच्चों के लिए, मातृत्व की अवधि के दौरान भुगतान किया जाएगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना था। भुगतान की जाने वाली राशि को पहली बार मार्च 2011 में, छह सप्ताह के लिए अकुशल श्रमिकों की मजदूरी के बराबर राशि के लिए संशोधित किया गया, और फिर संशोधित (अप्रैल 2018) करके ₹ 15,000 कर दिया गया। ऐसे मामलों में श्रम अधीक्षक संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी थे।

नमुना-जाँचित चार जिलों में, 6,042 लाभार्थियों[62] को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मातृत्व लाभ प्रदान किया गया था। 200 आवेदनों (नमुना-जाँचित प्रत्येक जिले से 50) की लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये:

- एक लाभार्थी[63] को क्रमशः मई 2021 और मार्च 2022 में दो बच्चों के लिए ₹ 30,000 के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया था। पहले बच्चे के संबंध में आवेदन को सीनियर रेजिडेंट (स्त्री रोग और प्रसूति विभाग), पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, धनबाद द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसकी जन्म तिथि 27.09.2020 थी। दूसरे बच्चे के संबंध में आवेदन को चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टुंडी, धनबाद द्वारा जन्म तिथि का उल्लेख किए बिना प्रमाणित किया गया था। हालांकि, आवेदन के साथ संलग्न जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, दूसरे बच्चे की जन्म तिथि 30.01.2021 थी। इस प्रकार, दोनों बच्चों के बीच जन्म की तिथियों में अंतर केवल चार महीने था। इसी तरह, एक अन्य लाभार्थी[64] को दो बच्चों के लिए ₹ 30,000 प्रदान किया गया था ,जिसमें दो बच्चों के प्रसव की तिथियों के बीच केवल चार महीने[65]

---

[60] रांची: आरएनxx5/टीएमआर2017

[61] रांची: आरएनxx3/ एसओएन 2016, आरxx15/ टीएमआर 2017, और आरएनxx6 एसओएन 2017

[62] रांची: 868, धनबाद: 1,901, बोकारो: 1,657 और पूर्वी सिंहभूम: 1,616

[63] धनबाद: पंजीकरण संख्या-टीयूएन -2xx1/19

[64] बोकारो: पंजीकरण संख्या-1016

[65] जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 04.09.2020 और 02.01.2021

का अंतर था। इस प्रकार, लाभों के अनियमित भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है।

➢ दस लाभार्थियों को एक ही बच्चे के लिए दो बार ₹ 1.50 लाख (₹ 15,000 प्रत्येक) के मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया था। बीस लाभार्थियों को जन्म के समय लागू दरों पर भुगतान करने के बजाय बाद की तारीखों में संशोधित दरों पर भुगतान के कारण ₹ 1.34 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। इस प्रकार, 30 लाभार्थियों को उनकी हकदारी के अतिरिक्त ₹ 2.84 लाख **(परिशिष्ट 5.3)** का भुगतान किया गया था।

➢ दूसरी ओर, पूर्व-संशोधित दरों पर भुगतान के कारण पांच लाभार्थियों[66] को ₹ 22,000 कम भुगतान किया गया था।

➢ पांच लाभार्थियों[67] को झारखण्ड नियमावली के नियम 281 के तहत आवश्यक अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किसी भी चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना ₹ 48,000 का भुगतान किया गया था।

➢ श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बलियापुर, धनबाद के प्रतिवेदन के अनुसार, 01.08.2019 को पंजीकृत एक लाभार्थी[68] को पंजीकरण की तारीख से पहले 09.11.2018 को पैदा हुए बच्चे के लिए ₹ 15,000 का भुगतान (मार्च 2021) किया गया था। हालांकि, 22.01.2019 को निर्गत किए गए जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 09.11.2019 बताई गई थी, जिसका उल्लेख आवेदन में भी किया गया था। इस प्रकार, विरोधाभासी प्रतिवेदनों और दस्तावेजों के आधार पर लाभ का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, ₹ 0.93 लाख[69] के लाभ का भुगतान संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर अथवा अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त किए बिना किया गया था और इसलिए इस राशि के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, हकदारी से अधिक ₹ 2.84 लाख का भुगतान किया गया था।

5.4 कर्मकारों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 (1) (ई) लाभार्थियों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बोर्ड ने इस संबंध में अध्ययन की विभिन्न श्रेणियों के लिए मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना (मेधावी बाल छात्रवृत्ति योजना) नामक एक योजना तैयार की थी (मार्च, 2011)।

---

[66] (i) सीओडब्ल्यू 17एफ0xx3xx3643 (ii) सीओडब्ल्यू 17एफ00xxxx3640 (iii) आरएन-2xxx4/ एसआईएल (iv) आरएन-8x3/ एसआईएल (v) आरएन-2xx/ एसआईएल

[67] आरएन-xx3/टीएमआर, आरएन-5xx/बीयूएन, आरएन-xx8/ एसओएन, आरएन-6xx/ टीएमआर और आरएन-xx7/ टीएमआर

[68] धनबाद: पंजीकरण संख्या-बीआईपी-7x8x-019

[69] (₹ 0.15 लाख + ₹ 0.15 लाख + ₹ 0.48 लाख + ₹ 0.15 लाख)

लेखापरीक्षा ने नमूना-जाँचित जिलों में पाया कि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, कुल 35,943 बच्चों[70] को पढ़ाई के लिए कुल ₹ 20.80 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई थी। 3,123 बच्चों[71] के संबंध में स्वीकृत[72] आवेदनों की जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उन्हें ₹ 1.89 करोड़ वितरित किए गए थे, जिनमें से केवल 16 बच्चों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 3.20 लाख की छात्रवृत्ति मिली थी और चार बच्चों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए दो लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिली थी। शेष बच्चों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को छोड़कर, स्नातक स्तर तक अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी।

इस प्रकार, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का आच्छादन न्यूनतम था।

5.5 अन्य कल्याणकारी योजनाएं

मृत्यु/नि:शक्तता सहायता, पेंशन/परिवारिक पेंशन, मातृत्व लाभ और छात्रवृत्ति योजना के अलावा, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में बताया गया है, तीन[73] अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

5.5.1 अधिक/अपात्र भुगतान

बीओसीडब्ल्यू नियमों के अनुसार, एक पंजीकृत कर्मकार अगस्त 2017 से, कार्य संबंधित टूल-किट की खरीद के लिए पात्र है, टूल-किट खरीदने के पश्चात क्रय रसीद जमा करने पर कर्मकार को ₹ 2,500 की अनुग्रह राशि देय थी। दिसंबर 2021 से राशि को संशोधित कर ₹ 3,000 कर दिया गया था। इसके अलावा, कर्मकार सुरक्षा-किट (हेलमेट, जूते आदि) खरीदने के भी पात्र हैं, जिसके लिए अप्रैल 2016 से ₹ 1,000 की अनुग्रह राशि देय थी।

लेखापरीक्षा द्वारा चार नमूना-जाँचित जिलों में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान क्रमशः 51,673 और 77,438 लाभार्थियों को टूल-किट और सुरक्षा-किट खरीदने के लिए सहायता राशि का भुगतान किया गया था। टूल-किट और सुरक्षा-किट (नमूना-जाँचित जिलों में से प्रत्येक से 100 आवेदन) के 400 आवेदनों की नमूना-जाँच में यह पाया गया कि:

- नमूना-जाँचित जिलों में 400 लाभार्थियों में से 77 (19 प्रतिशत) लाभार्थियों को सुरक्षा-किट के लिए सहायता प्रदान की गई थी। इनमें से 68 लाभार्थियो को दो बार सुरक्षा किटों के लिए सहायता प्रदान की गई जिससे ₹ 68,000 का अमान्य भुगतान

[70] रांची में 2,834, धनबाद में 15,437, बोकारो में 10,088 और पूर्वी सिंहभूम में 7,584 मामले सामने आए हैं.

[71] 20 स्वीकृति पत्रों के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की,

[72] 20 स्वीकृति पत्रों के माध्यम से वितरित

[73] (1) श्रम टूलकिट योजना; (2) साइकिल सहायता योजना; और (3) सन्निर्माण कर्मकार सुरक्षा किट सहायता योजना।

किया गया। इसके अलावा, 68 लाभार्थियों में से 59 ने एक ही प्रखण्ड से और नौ ने विभिन्न प्रखण्डों से लाभ उठाया।

उपरोक्त 68 लाभार्थियों के अलावा, नौ अपात्र लाभार्थियों को ₹ 9,000 की सहायता का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभ प्राप्त करते समय एक लाभार्थी[74] की आयु साठ वर्ष से अधिक होने के बावजूद, चार लाभार्थी[75], जिनकी आयु पंजीकरण के समय 60 वर्ष से अधिक थी और चार लाभार्थी[76], जिनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, सहायता का भुगतान किया गया था। हालांकि वे इसके लिए पात्र नहीं थे।

➢ इसके अलावा, श्रम उपकरण किट सहायता योजना के लिए नमूना-जाँचित 400 आवेदनों में से लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ लाभार्थियों को टूल-किट खरीदने के लिए ₹ 9,000 की टूल-किट सहायता प्रदान की गई थी। इनमें से छः लाभाथयों[77] को लाभ के लिए दो बार ₹ 15,000 की सहायता प्रदान की गई थी, दो लाभार्थी[78], जिनकी आयु लाभ प्राप्त करते समय साठ वर्ष से अधिक थी, ₹ 5,000 और एक लाभार्थी[79], जिसकी आयु पंजीकरण के समय 60 वर्ष से अधिक थी, ₹ 2,500 की सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार, तीन अपात्र लाभार्थियो को ₹ 7,500 और छः लाभार्थियों को ₹ 15,000 की सहायता का भुगतान किया गया, जो उनकी पात्रता से अधिक था।

इस प्रकार, 74 लाभार्थियों को उनकी पात्रता से अधिक ₹ 83,000 का लाभ प्रदान किया गया। साथ ही, 12 अपात्र लाभार्थियों को ₹ 16,500 की सहायता का भुगतान भी किया गया।

5.5.2 साइकिल सहायता योजना (बीएएस)

बोर्ड ने साइकिलों की खरीद के लिए 18 से 45 वर्ष की आयु की महिला पंजीकृत कर्मकारों और सभी आयु वर्ग के सभी पुरुष पंजीकृत कर्मकारों को ₹ 3,500 का भुगतान करने का निर्णय लिया (जनवरी 2015)। लाभार्थियों द्वारा उक्त नकद लाभ की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर क्रय रसीद सौंपा जाना आवश्यक था। इस समयावधि को बाद में संशोधित (अप्रैल 2018) कर तीन महीने कर दिया गया, भुगतान की दर को भी संशोधित (दिसंबर 2021) कर ₹ 5,000 कर दिया गया।

---

[74] रांची: आरएन(एसडीआर) 0xx1246

[75] (1) पंजीकरण संख्या-सीओडब्ल्यूxxएम001xxx3576 (2) सीओडब्ल्यू17एफ000xxx3571 (3) सीओडब्ल्यू19एम00xxxx3574 और (4) सीओडब्ल्यू17एफxx03xx3571

[76] (1) पंजीकरण संख्या- सीओडब्ल्यू20एमxx016xx573 (2) सीओडब्ल्यू20एमxx04xx3579 (3) सीओडब्ल्यू17एमxx00xx3574 और (4 सीओडब्ल्यू2xx00xx33xx73

[77] बोकारो: (1) पंजीकरण संख्या-4xx5 (2) 2xx4 (3) 3xx4 और पूर्वी सिंहभूम: (4) 38x1 (5) 4xx4 और (6) 3xx3

[78] पंजीकरण संख्या: सीओडब्ल्यू17एफxx19xx3649 और सीओडब्ल्यू 17एमxx102xx6x0

[79] सीओडब्ल्यू 20एम0004x2x579

लेखापरीक्षा ने चार नमूना-जाँचित जिलों में पाया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 15,854 लाभार्थियों[80] को साइकिल की खरीद के लिए नकद लाभ का भुगतान किया गया। 200 आवेदनों (प्रत्येक नमूना-जाँचित जिलों से 50) की नमूना-जाँच से पता चला कि:

- 200 लाभार्थियों को दिसंबर 2018 और मई 2020 के बीच कुल ₹ 7 लाख का भुगतान किया गया। हालांकि, उनमें से किसी ने भी मार्च 2022 तक क्रय रसीदें जमा नहीं किया।

- 200 लाभार्थियों में से स्वीकृति की तारीख को 45 वर्ष से अधिक आयु की 14 महिला कर्मकारों को ₹ 49,000 का भुगतान किया गया था और एक पुरुष कर्मकार को स्वीकृति की तारीख को 60 वर्ष से अधिक आयु के होने के बावजूद ₹ 3,500 का भुगतान किया गया था (**परिशिष्ट 5.4**)।

इस प्रकार, ₹ 7 लाख की राशि के लाभ का भुगतान, आवश्यक क्रय रसीद से समर्थित नहीं था। इसमें 15 अपात्र लाभार्थी भी शामिल थे, जिन्हें ₹ 0.53 लाख का भुगतान किया गया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी संस्वीकृतिदाता अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए हैं कि वे प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के संबंध में आवेदनों की गहन जाँच के बाद ही सभी प्रकार के लाभों के भुगतान की अनुमति दें। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति प्राधिकारियों को अपात्र भुगतानों के मामलों की जाँच करने और उन पर उपयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, साइकिल सहायता योजना के लिए अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किए गए ₹ 3,500 की वसुली कर ली गयी है।

5.6 लाभार्थियों के आच्छादन में कमी

बोर्ड ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष आच्छादित लाभार्थियो की संख्या के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए थे। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 10 कल्याणकारी योजनाओं[81] के तहत लक्ष्यों और लाभार्थियों के आच्छादन का विवरण **चार्ट 5.1** में दिखाया गया है।

---

[80] धनबाद: 5,905, पूर्वी सिंहभूम: 5,514, बोकारो: 2,290 और रांची: 2,145

[81] जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य प्रदान किए गए थे।

चार्ट 5.1: लक्ष्य और उपलब्धियां

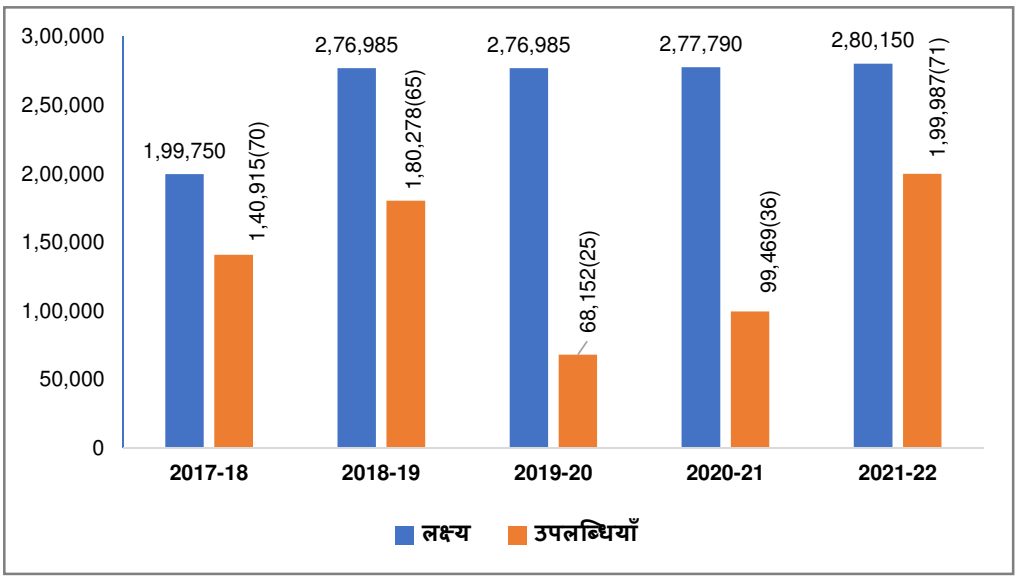

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े। कोष्ठक में आंकड़े उपलब्धि के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करते है)

चार्ट 5.1 से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्धियां 25 से 71 प्रतिशत के बीच रही। यह उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 65 प्रतिशत से भारी गिरावट के साथ घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25 प्रतिशत रह गई। श्रम एवं रोजगार विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सभी पात्र सन्निर्माण कर्मकार को उपकर निधि का बेहतर उपयोग करते हुए लाभ प्रदान करने के निर्देश (जून 2020) के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्धि केवल 36 प्रतिशत रही।

आगे लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि श्रम अधीक्षकों (एलएस) ने एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ की राशि के अंतरण के लिए लाभार्थियों की सूची के साथ बैंकों को चेक जारी किए थे। तथापि, बैंक खातों (एलएस द्वारा संचालित) के विवरणों की जाँच से पता चला कि तीन[82] नमूना-जाँचित जिलों (रांची को छोड़कर) में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 2,268 लाभार्थियों[83] से संबंधित ₹ 163.61 लाख[84] का रिवर्स क्रेडिट[85] हुआ था। संबंधित संस्वीकृति प्राधिकारियों ने अपनी रोकड़ बही में इन अभुगतेय राशि को प्राप्ति के रूप में दर्ज किया है।

आगे श्रम अधीक्षक, बोकारो की रोकड़ बही की जाँच से पता चला कि विभिन्न योजनाओं[86] से संबंधित ₹ 17.20 लाख के तीन लेनदेन (29.11.2017 और 26.05.2021) की राशि

---

82 धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम

83 धनबाद-570, बोकारो-86 और पूर्वी सिंहभूम-1,612

84 एलएस, धनबाद: ₹ 38.82 लाख, एलएस, बोकारो: ₹ 48.31 लाख और डीएलसी, बोकारो: ₹ 29.03 लाख, एलएस, पूर्वी सिंहभूम: ₹ 28.52 लाख, डीएलसी, पूर्वी सिंहभूम: ₹ 18.93 लाख

85 लाभार्थियों के बैंक ब्यौरे में त्रुटियों के कारण राशि को बैंक द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय संस्वीकृति अधिकारियों के खाते में वापस लौटा दिया जाता है।

86 टूल किट: ₹ 8.88 लाख, साइकिल: ₹ 3.22 लाख, सिलाई मशीन: ₹ 5.10 लाख

को वापसी के तौर पर दर्ज किया गया जो गलत बैंक खातों, गलत आईएफएससी कोड और अन्य कारणों से अंतरित नहीं किया जा सका। तथापि, अधिकांश मामलों में, असफल लेनदेन का कारण एवं प्रासंगिक योजनाएं के ब्यौरे रोकड़ बही में उल्लिखित नहीं पाए गए। लाभों का अंतरण न किए जाने के बावजूद, संबंधित श्रम अधीक्षक ने भविष्य में पुनःभुगतान सुनिश्चित करने के लिए वंचित लाभार्थियों के विवरण का आकलन नहीं किया।

अत: बोर्ड ने उन लाभार्थियों को लाभ का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, जिनके बैंक खातों में लाभ अंतरित नहीं किए जा सकता था।

अध्याय 6

प्रभाव आकलन

अध्याय 6 प्रभाव आकलन

लेखापरीक्षा द्वारा चार नमूना-जाँचित जिलों में 24 निर्माण स्थलों **(परिशिष्ट 6.1)** का संयुक्त भौतिक सत्यापन[87] (जे. पी. वी.) किया गया (अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच)। स्थल दौरों के दौरान निर्माण स्थलों पर उपस्थित कर्मकारों (220 कर्मकार) से उनकी पंजीकरण स्थिति और उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। इसके अलावा, पंजीकृत कर्मकारों को लाभ प्रदान करने और उनकी शिकायतों (यदि कोई हो) के निवारण में बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच) 400 पंजीकृत कर्मकारों का एक लाभार्थी सर्वेक्षण किया, जिन्होंने 10 कल्याणकारी योजनाओं के तहत कोई लाभ प्राप्त किया था। सर्वेक्षण एक अनुकूलित प्रश्नावली के माध्यम से आयोजित किया गया था, जो बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं पर आधारित था।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन और लाभार्थी सर्वेक्षण से निम्नलिखित उद्घटित हुई:

6.1 मूलभूत सुविधाओं का अभाव

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 40 के अनुसार, राज्य सरकार सन्निर्माण कर्मकारों की उनके रोजगार के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में नियम बनाती है, साथ ही उन्हें उपकरणों, जिन्हें प्रदान करने की आवश्यकता है, उपलब्ध कराना है। झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड नियमावली को अधिसूचित (अगस्त 2007) किया था जिसमें कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण से संबंधित उपायों को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- जिन 24 निर्माण स्थलों का दौरा किया गया, वहां काम करने वाले 220 कर्मकारों में से केवल 34 कर्मकारों (15 प्रतिशत) को बोर्ड के साथ पंजीकृत पाया गया। शेष कर्मकार अपंजीकृत पाए गए और उन्हें बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस प्रकार, 186 कर्मकारों को पंजीकरण की जानकारी नहीं थी और वे बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए लाभों से वंचित रहे।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 47 और 55 के अनुसार, नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की गई थी कि कर्मकार निर्माण कार्य करते समय सुरक्षा जूते, जलरोधक जूते/कोट, हेलमेट, जैकेट आदि जैसे उपयुक्त सुरक्षा सामग्री पहनें। तथापि, किसी भी

---

[87] लेखापरीक्षा दल के सदस्य, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के एक कर्मचारी और भवन निर्माण विभाग के एक कर्मचारी शामिल हैं।

स्थल पर कर्मकारों को उचित सुरक्षा सामग्री के साथ कार्य करते हुए नहीं पाया गया, जैसा कि **चित्र 9** से **12** में देखा जा सकता है।

चित्र 9	चित्र 10
दलादली, रांची में केंद्रीकृत रसोई का निर्माण स्थल (23 नवंबर 2022)।	
चित्र 11	चित्र 12
अमृतपार, चास, बोकारो के पीछे हेल्प प्लस अस्पताल का निर्माण स्थल (2 दिसंबर 2022)	जिला स्कूल, धनबाद का निर्माण स्थल (23 दिसंबर 2022)

- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 33 में प्रावधानित है कि प्रत्येक स्थान पर, जहां भवन या अन्य निर्माण कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर नियोक्ता पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध करायेगा, जैसा कि निर्धारित है, और ये ऐसी सुविधाजनक स्थिति में हों, जो निर्माण कर्मकारों के लिए हमेशा सुलभ हो, जब वे ऐसे स्थान पर हों। तथापि, दौरा किए गए किसी भी निर्माण स्थल पर शौचालय और मूत्रालय नहीं पाए गए।

- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 34, में प्रावधानित है कि नियोक्ता, और कार्य स्थल के भीतर या जितना नजदीक संभव हो सके, सभी निर्माण कर्मकारों को अस्थायी आवास नि: शुल्क प्रदान करेगा, जो उसके द्वारा ऐसी अवधि के लिए नियोजित किया गया है जैसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथापि, दौरा किए गए 24 स्थलों में से केवल चार स्थलों पर निर्माण कर्मकारों के लिए अस्थायी आवास पाए गए।

इसके बजाय, कर्मकारों को निर्माणाधीन इमारतों में रहते हुए देखा गया, जैसा कि **चित्र 13** में दिखाया गया है।

चित्र 13

पूर्वी सिंहभूम के बिरसा नगर में पीएम आवास योजना के निर्माण स्थल पर निर्माणाधीन भवन में रहने वाले कर्मकार (23 नवंबर 2022)।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 241 और 255 के अनुसार, एक नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एक सूचना, जो मजदूरी का भुगतान किये जाने वाली अवधि को दर्शाता हो, ऐसी मजदूरी के संवितरण का स्थान और समय, उसके निर्माण स्थल के एक विशिष्ट स्थान पर अंग्रेजी, हिंदी में और ऐसे निर्माण स्थलों पर नियोजित अधिकांश निर्माण कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, दौरा किए गए किसी भी निर्माण स्थल पर ऐसा कोई सूचना नहीं पायी गयी।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 234 (ए) में कहा गया है कि नियोक्ता अपने निर्माण स्थल पर निर्माण कर्मकारों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उपचार पेटी या अलमारी सुनिश्चित करेगा। तथापि, दौरा किए गए किसी भी स्थल पर प्राथमिक उपचार पेटी/अलमारी उपलब्ध नहीं पाए गए।

- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत, प्रत्येक प्रतिष्ठान को उसके प्रारंभ होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के अंदर पंजीकृत किया जाना था। तथापि, दौरा किए गए 24 निर्माण स्थलों में से केवल 8 स्थलों को प्रतिष्ठानों के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 40 में कहा गया है कि पचास या अधिक सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नीति का एक लिखित विवरण तैयार करना होगा, और मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत करना होगा। ऐसी नीति में भवन निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण तथा निर्माण कर्मकारों की संगठनात्मक व्यवस्था, प्रमुख नियोक्ता, संवेदक, ट्रांस्पोर्टर या अन्य एजेंसियो की

ज़िम्मेदारियां, सुरक्षा के जोखिम का आकलन के लिये तकनीको और तरीको के सम्बंध में प्रतिष्ठान के इरादे और प्रतिबद्धतायें, स्वास्थ्य और पर्यावरण और उसके उपचारात्मक उपाय तथा भवन निर्माण कर्मकारों, प्रशिक्षको, पर्यवेक्षको, या निर्माण कार्य में लगे अन्य व्यक्तियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है।

पांच निर्माण स्थलों[88] में 50 से अधिक कर्मकार कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने बोर्ड को सन्निर्माण कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे।

- चार नियोक्ताओं[89] को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत आवश्यक श्रम लाइसेंस निर्गत किए गए थे, लेकिन उन्हे बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया गया था।

- झारखण्ड नियमावली के नियम 107 में कहा गया है कि नियोक्ता किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि कंक्रीट कार्य के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार व्यक्ति कार्य का नियमित निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के दौरान निरीक्षक को सभी अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

जेपीवी के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि दौरा किए गए किसी भी स्थल पर ऐसे किसी भी अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, बोर्ड के नामित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण भी नहीं किए जा रहे थे।

इस प्रकार, बोर्ड ने नियोक्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण, पंजीकरण के लिए कार्यरत कर्मकारों के बीच जागरूकता, निर्माण स्थलों का निरीक्षण और निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया था। इसके अलावा, निर्माण कर्मकारों के लिए निर्माण स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं, जैसे अस्थायी आवास, शौचालय, मूत्रालय और प्राथमिक उपचार पेटी, निर्माण स्थलों पर उपलब्ध नहीं किए गए थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश (नवंबर 2022) निर्गत किए हैं, जिसमें नियोक्ताओं के पंजीकरण, निर्माण स्थलों का निरीक्षण, सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और निर्माण स्थलों पर कर्मकारों के लिए आश्रय, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा पेटी जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है।

---

[88] (1) मेसर्स केxसी इंटरनेशनल लिमिटेड, चंxxक्याx, बोxरो (2) एनसीसी लिमिटेड, सुलxxनxर बोxरो (3) मैxन प्रोजेक्ट लिमिटेड, निxसा, धxबाx के लिए रेलवे इन्xxस्ट्रक्चx (4) 500-शैxx वाले एमxएम मेxxल कॉxx एवं अस्पxx, डीxना, जमxxशेxxर का निर्माण और (5) मनिxल टाx मेडिxxल कॉलx, बxडीह, जमxxशेxxर में अकादमिक भवन का निर्माण

[89] (1) ग्लोxल इन्xx, अxगोx, राँx (2) 320 आवाx इxई, बिxसा नxर, जमxxशेxxर का निर्माण (3) केxxयकृx रसोई, का प्रस्तावित निर्माण राँx और (4) 300-शैx वाले होx गाx बैxक, धुर्वा, रांx का निर्माण

6.2 चार सौ पंजीकृत कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

चार सौ पंजीकृत कर्मकारों के लाभार्थी सर्वेक्षण में निम्नलिखित का पता चला:

- बीस कर्मकार **(परिशिष्ट 4.2)** गैर-बीओसीडब्ल्यू कार्य में लगे हुए पाए गए थे, हालांकि उन्हें निर्माण कर्मकारों के रूप में पंजीकृत किया गया था और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, जिनकी राशि ₹ 2.48 लाख थी, उन्हें प्रदान की गई थी।

- सर्वेक्षण में शामिल 40 आश्रितों में से जिन्हें पंजीकृत कर्मकारों की मृत्यु के उपरांत मृत्यु पर सहायता राशि मिली थी, छः आश्रितों ने स्वीकार किया कि उनके भाई-बहन भी थे। तथापि, यह देखा गया था कि मृत्यु पर सहायता अन्य आश्रितों/भाई-बहनों की सहमति प्राप्त किए बिना केवल एक आश्रित को दी गई थी, हालांकि झारखण्ड सरकार की अधिसूचना[90] के अनुसार मृत्यु पर सहायता की राशि सभी आश्रितों को देय थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी मंजूरी देने वाले अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए हैं कि प्रत्येक योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के संबंध में आवेदनों की गहन जाँच के बाद ही सभी प्रकार के लाभों के भुगतान की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, मंजूरी देने वाले अधिकारियों को अमान्य भुगतानों के मामलों की जाँच करने और उन पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अनुशंसा 11: बोर्ड निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए वार्षिक योजना बना सकता है, ताकि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की पहचान की जा सके और उस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

[90] ज्ञापांक 02/(बीओसीडब्ल्यू अधिनियम)-11/2015 दिनांक 04.11.2015

अध्याय 7

उपकर का संग्रहण और जमा

अध्याय 7 उपकर का संग्रहण और जमा

भारत सरकार की अधिसूचना (अक्तूबर, 1996) के अनुसार, उपकर को निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से आरोपित तथा संगृहीत किया जाना था। उपकर नियमावली, 1998 के नियम 3 के अनुसार, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन और अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर उपकर की कटौती की जानी थी। जहां निर्माण कार्यों का अनुमोदन स्थानीय प्राधिकरण को करना था, वहाँ उन्हें अग्रिम रूप में उपकर संगृहीत करना था।

इसके अलावा, उपकर नियमावली के नियम 5 के अनुसार, उपकर की प्राप्तियों को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत उनके संग्रहण के 30 दिनों के अंदर बोर्ड को अंतरित किया जाना था।

7.1 संगृहीत उपकर का गैर-अंतरण

झारखण्ड सरकार ने राजस्व प्राप्ति शीर्ष सृजित करने के बाद मुख्यशीर्ष 0230-लघु शीर्ष 106 (ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970)-उपशीर्ष 02 और 03 (बीओसीडब्ल्यू उपकर अधिनियम के अंतर्गत उपकर की प्राप्ति) के अंतर्गत उपकर का संग्रहण शुरू किया (दिसम्बर 2008)। सरकारी कार्यालयों ने स्रोत पर कटौती की गई उपकर राशि को या तो लेखा अंतरण के माध्यम से, या सीधे प्रेषण के माध्यम से इस प्राप्ति शीर्ष को अंतरित किया।

तत्पश्चात्, झारखण्ड सरकार ने विभिन्न कार्यालयों द्वारा स्रोत पर काटे गए उपकर की राशि को सीधे बोर्ड के बैंक खाते में जमा करने के बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमोदित (मार्च 2010) कर दिया। तदनुसार, एक बैंक खाता खोला गया था और श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने सभी विभागों से उपकर की राशि सीधे नामित बैंक खाते में जमा करने का अनुरोध (मार्च 2011) किया था।

हालांकि, मार्च 2022 तक, उपकर दोनों माध्यम से जमा किया जा रहा था, अर्थात कार्य प्रमंडलों[91] द्वारा लेखा अंतरण के माध्यम से और अन्य कार्यालयों द्वारा बोर्ड के उक्त बैंक खाते में सीधे जमा कर, किया जा रहा था। नामित राजस्व प्राप्ति शीर्ष के तहत संगृहीत उपकर राशि और बोर्ड को अंतरित की जाने वाली बकाया राशि की स्थिति, **तालिका 7.1** में दर्शाई गई है।

[91] राज्य लोक निर्माण लेखा संहिता के अनुसार।

तालिका 7.1: संगृहीत और बोर्ड को अंतरित उपकर की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व प्राप्ति शीर्ष में जमा की गई राशि*	ठेका श्रम अधिनियम से संबंधित राशि	बीओसीडब्ल्यू अधिनियम से संबंधित राशि	बोर्ड को अंतरित राशि	अंतरित की जाने वाली उपकर की बकाया राशि
31 मार्च 2017 तक	312.90	4.25	308.64	शून्य	308.64
2017-18	80.77	0.05	80.72	शून्य	80.72
2018-19	79.81	0.26	79.55	शून्य	79.55
2019-20	76.70	0.33	76.36	शून्य	76.36
2020-21	59.15	0.30	58.85	शून्य	58.85
2021-22	54.86	0.31	54.55	शून्य	54.55
कुल	**664.19**	**5.50**	**658.67**	**शून्य**	**658.67**

(*स्रोत: संबंधित वर्षों के विभागीय आंकड़े और वित्तीय लेखा)

तालिका 7.1 दर्शाती है कि राज्य सरकार ने ₹ 658.67 करोड़ की उपकर राशि बोर्ड को अंतरित नहीं की थी। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 तक संगृहीत उपकर के संबंध में झारखण्ड सरकार से ₹ 468.90 करोड़ की मांग की (सितंबर 2021)। झारखण्ड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाली अगले तीन वित्तीय वर्षों में तीन किस्तों में उपकर विमुक्त करने पर सहमति (अक्टूबर 2021) व्यक्त की और बोर्ड को ₹ 154 करोड़ विमुक्त किए। शेष ₹ 504.67 करोड़ की राशि बोर्ड को अंतरित किया जाना था (मार्च 2023 तक)। झारखण्ड सरकार द्वारा बोर्ड को उपकर का गैर-अंतरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के **कंडिका 4.1** में भी चिन्हांकित किया गया था।

जवाब में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि झारखण्ड सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक लेखा अंतरण के माध्यम से ₹ 468.91 करोड़ की उपकर राशि के कुल संग्रह में से बोर्ड को ₹ 308 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। ₹ 160.91 करोड़ की शेष राशि अभी भी प्राप्त होनी है। इसके अलावा, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए संगृहीत उपकर की शेष राशि के अंतरण से संबंधित मामले को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के साथ उठाया गया है।

हालांकि, तथ्य यह है कि बोर्ड को झारखण्ड सरकार से 2021-22 तक संगृहीत उपकर की ₹ 350.67 करोड़ की शेष राशि प्राप्त होनी बाकी थी (अक्टूबर 2023 तक)। इसके अलावा, बोर्ड ने अधिशेष निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों या प्रतिभूतियों में निवेश करने का अवसर खो दिया था, जैसा कि झारखण्ड नियमावली के नियम 294 के तहत अनुमति दी गई थी।

7.2 स्थानीय निकायों द्वारा उपकर का संग्रहण और जमा

लेखापरीक्षा ने चार नमूना-जाँचित जिलों में भवन योजनाओं को मंजूरी देने वाले आठ शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.)[92] द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान

[92] (1) रांची नगर निगम (2) रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, (3) देवघर नगर निगम (4) धनबाद नगर निगम (5) जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (6) जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर (7) चास नगर निगम, बोकारो (8) मानगो नगर निगम, जमशेदपुर।

अनुमोदित भवन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जाँच की। इसके अलावा, बोर्ड के माध्यम से अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से जानकारी एकत्रित की गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

7.2.1 उपकर की गैर-उगाही

उपकर नियमावली के नियम 4(4) में प्रावधानित है कि भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ स्थानीय प्राधिकरणों को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने हैं, जो उस स्टेशन पर देय है जहाँ बोर्ड अवस्थित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए), रांची ने उपकर के संग्रहण के विरुद्ध, अपने नाम पर, पोस्ट डेटेड चेकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के चेकों[93] को स्वीकार किया था। यह देखा गया था कि ₹ 28.79 लाख **(परिशिष्ट 7.1)** की राशि के ऐसे 53 पोस्ट डेटेड चेकों को संबंधित बैंकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था और उनकी उगाही नहीं की जा सकी थी।

आरआरडीए, रांची द्वारा बोर्ड के पक्ष में क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर जोर न देने के कारण ₹ 28.79 लाख की राशि का उपकर की उगाही नहीं हुई।

7.2.2 स्थानीय निकायों द्वारा उपकर जमा न करना

उपकर नियमावली के नियम 5(3) में यह अधिदेश दिया गया है कि उपकर संग्रहण प्राधिकारी उपकर की संगृहीत राशि को 30 दिनों के भीतर बोर्ड के पास जमा कराएं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- चार स्थानीय निकायों[94] ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान भवन योजनाओं की स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 13.19 करोड़ की राशि का उपकर संगृहीत किया था। हालांकि, उन्होंने दिसंबर 2022 तक बोर्ड के पास उपकर की राशि जमा नहीं की थी।

- उपकर नियमावली के नियम 4(3) में यह प्रावधान है कि जहां उपकर का उद्ग्रहण किसी सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित है वहां ऐसी सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अधिसूचित दरों पर देय उपकर ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किये गये विपत्रों में से कटौती करेगा अथवा कटौती करवाएगा। तदनुसार, पांच यूएलबी ने निर्माण गतिविधियां शुरू की थीं और वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान विक्रेताओं/संवेदकों के भुगतान विपत्रों से ₹ 24.18 करोड़ की राशि का उपकर संगृहीत किया था। हालांकि, उन्होंने मार्च 2022 तक बोर्ड के खाते में राशि जमा नहीं की थी **(परिशिष्ट 7.2)।**

- छब्बीस स्थानीय निकायों ने उनके द्वारा की गई निर्माण गतिविधियों पर ₹ 10.33 लाख (**परिशिष्ट 7.3**) की राशि का उपकर संगृहीत (वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22) किया

---

[93] योजनाओं की स्वीकृति मिलने पर श्रम उपकर की वसूली के लिए पोस्ट-डेटेड चेक स्वीकार किए गए थे।

[94] रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, रांची: ₹ 6.60 करोड़, देवघर नगर निगम: ₹ 0.40 करोड़, चास नगर निगम, बोकारो: ₹ 1.57 करोड़ और धनबाद नगर निगम: ₹ 4.62 करोड़।

था। हालांकि, उन्होंने मार्च 2022 तक राशि अपने पास रखी थी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के बैंक खाते की जानकारी और विवरण के अभाव में राशि जमा नहीं की गई थी।

- बोर्ड ने उपकर संग्रहण प्राधिकारियों द्वारा संगृहीत उपकर का आवधिक अभिलेख और विवरणियां प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था, यद्यपि एमडब्ल्यूएस व एपी ने अनुशंसा की थी कि बोर्ड, उपकर के आकलन, संग्रहण और जमा हेतु स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है।

इस प्रकार, स्थानीय निकायों ने बोर्ड के खाते में ₹ 37.47 करोड़ की राशि जमा नहीं की थी, जबकि इसे संग्रहण के 30 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अध्यक्ष ने, सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया है, कि वे भवन निर्माण योजना का अनुमोदन करते समय, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1998 एवं उपकर नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप, उपकर के संग्रहण के लिए, अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश निर्गत करें और इसे तीस दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड के बैंक खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, अनुमोदित योजना के क्षेत्र/स्थान के ब्यौरे और बोर्ड के बैंक खाते में जमा उपकर की राशि के संबंध में आवधिक सूचना प्रदान करने के लिए योजना अनुमोदन प्राधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसा 12: राज्य सरकार, बोर्ड को उपकर की संगृहीत राशि का अंतरण सुनिश्चित कर सकती है। बोर्ड, स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर सकता है, ताकि संगृहीत उपकर की राशि को अपने खाते में ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जा सके।

7.3 उपकर की गैर-वसूली

उपकर अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान है कि नियोक्ता से किसी ब्याज या दंड सहित अधिनियम के अंतर्गत देय राशियों की वसूली उसी तरीके से की जाए जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया राशि की वसूली की जाती है। आगे, उपकर नियमावली के नियम 13 में यह प्रावधान है कि भुगतान न किए गए उपकर, ब्याज अथवा जुर्माना के कारण देय राशियों की वसूली के प्रयोजन के लिए निर्धारण अधिकारी को, देय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए, उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिकेट तैयार करना है और उसे संबंधित जिले के जिलाधिकारी को भेजना है, जो भू-राजस्व बकाया के रूप में उस राशि की वसूली[95] के लिए कार्यवाही करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद ने निर्धारण अधिकारी (सहायक श्रम आयुक्त, धनबाद) को सूचित किया था (अक्टूबर 2013 से जुलाई 2018) कि

[95] सार्वजनिक मांग वसूली (पीडीआर) अधिनियम, 1913 की धारा 4 और 6 सार्वजनिक मांग (भू-राजस्व का बकाया) की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है।

16 आवेदकों ने भवन योजनाओं के अनुमोदन के समय कुल देय उपकर ₹ 100.64 लाख के विरुद्ध, आंशिक उपकर के रूप में ₹ 25.16 लाख जमा किए थे। निर्धारण अधिकारी ने उपकर की शेष ₹ 75.48 लाख राशि जमा करने हेतु, संबंधित आवेदकों को नोटिस (नवंबर 2014 से मई 2019) जारी किया था। अंततः, ₹ 75.48 लाख **(परिशिष्ट 7.4)** की कुल बकाया मांग के साथ, निर्धारण अधिकारी ने, प्रत्येक मामलों में, अनंतिम निर्धारण आदेश निर्गत किया और बकाया उपकर की वसूली के लिए, प्रत्येक आवेदक के विरुद्ध, जिला सर्टिफिकेट अधिकारी, धनबाद के पास सर्टिफिकेट केस (सितंबर 2015 से जून 2019) दायर किया था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने सर्टिफिकेट केस पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की और तीन से आठ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी, दिसंबर 2022 तक, बकाया राशि की वसूली अभी बाकी थी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अध्यक्ष ने सहायक श्रम आयुक्त, धनबाद को मामले की जाँच करने और बोर्ड को प्रतिवेदित करने का निर्देश निर्गत किया है।

राँची
दिनांक: 30 सितम्बर 2024

(इन्दु अग्रवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 23 अक्टूबर 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
(भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक)

परिशिष्ट

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.3 पृष्ठ 32 में संदर्भित)

राज्य में बीओसी कर्मकारों के रूप में अधिसूचित कर्मकारों की श्रेणियां

क्रम. सं.	कर्मकारों की श्रेणी
1	पत्थर काटने, तोड़ने और पीसने में लगे मजदूर
2	राजमिस्त्री या ईंटें बिछाने में लगे लोग
3	निर्माण कार्यों के लिए पेंटर
4	बढ़ई
5	फिटर या बार बेंडर
6	सड़कों पर पाइप मरम्मत में जुटे प्लंबर
7	इलेक्ट्रीशियन
8	मेकैनिक
9	कुआं खोदने वाले
10	वेल्डर
11	मुख्य मजदूर
12	सड़क निर्माण में स्प्रेमैन या मिक्सर मैन
13	लकड़ी/पत्थर पैकर्स
14	कुओं से तलछट हटाने वाले गोताखोर
15	हथौड़ा चलाने वाला आदमी
16	घास-फूस से छप्पर बनाने वाला
17	तकनीकी कारीगर
18	लोहार
19	लकड़ी चीरने वाले
20	कॉलकर
21	मिक्सर (मशीन) ऑपरेटर
22	पंप ऑपरेटर
23	कंक्रीट मिश्रण करने वाले
24	रोलर ऑपरेटर
25	भारी मशीनरी के संचालन में शामिल हेल्पर
26	चौकीदार
27	मोज़ेक पालिश करने वाला
28	सुरंग कर्मकार
29	संगमरमर का काम करने वाला
30	पथ निर्माण कर्मकार
31	जो पत्थर तोड़ने या खदान में लगे हुए कर्मकार
32	निर्माण कार्यों में मिट्टी के कामों में लगे लोग
33	चूना उत्पादन में लगे कर्मकार
34	बाढ़ प्रबंधन में लगे सभी प्रकार के श्रमिक
35	बांधों, पुलों, सड़कों या किसी अन्य भवन के निर्माण से संबंधित योजना में लगे हुए लोग
36	वे कर्मकार जो कारखाना अधिनियम 1948 (केंद्रीय अधिनियम 63) के अंतर्गत ईंटों के उत्पादन के अलावा अन्य कार्यों में लगे हुए हैं
37	पंडाल निर्माण में लगे कर्मकार
38	सीवरेज कार्य
39	बिजली के काम (वायरिंग, वितरण, और पैनल फिक्सिंग आदि सहित)

क्रम. सं.	कर्मकारों की श्रेणी
40	अग्निशमन प्रणाली की स्थापना और मरम्मत
41	शीतलन और हीटिंग सिस्टम की स्थापना और मरम्मत
42	सुरक्षा उपकरण मशीन की स्थापना और मरम्मत
43	लिफ्ट, एस्केलेटर आदि की स्थापना और मरम्मत
44	लोहे या किसी अन्य धातु से बने ग्रिल/दरवाजे/खिड़कियों की स्थापना और मरम्मत
45	जल संरक्षण संरचनाओं की स्थापना और मरम्मत
46	आंतरिक कार्य और कालीन लगाने, फॉल्स सीलिंग, प्रकाश व्यवस्था, प्लास्टर ऑफ पेरिस से संबंधित कर्मकारों इत्यादि
47	ग्लास पैनलों की स्थापना, काटने और ग्लेज़िंग
48	सौर पैनलों सहित ऊर्जा संरक्षण संरचना की स्थापना
49	रसोई में उपयोग किए जाने वाले मॉड्यूलर इकाइयों सहित मॉड्यूलर की स्थापना
50	पूर्व-निर्मित कंक्रीट मॉड्यूल का निर्माण और स्थापना
51	खेल/मनोरंजन सुविधाओं (स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स आदि) का निर्माण
52	सड़क संकेतों, सड़क सहायक उपकरणों, बस स्टॉप, डिपो, स्टैंड, संकेतक प्रणाली इत्यादि का निर्माण।
53	रोटरी, फव्वारे का निर्माण और स्थापना
54	सार्वजनिक पार्कों, पैदल मार्गों, भूदृश्यों आदि का निर्माण।

(स्रोत: झारखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1051 दिनांक 05/04/2011 और अधिसूचना संख्या-1951 दिनांक 04/11/2015)

परिशिष्ट 4.2

(कंडिका 4.3.5 और 6.2; पृष्ठ 37 और 67 में संदर्भित)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पंजीकृत कर्मकारों की सूची जिन्होंने गैर-बीओसी कार्य में लगे रहने की बात स्वीकार की थी

क्रम.सं.	कर्मकार का नाम	प्रखंड का नाम	पंजीकरण सं.	योजनाओं/लाभों के नाम	पेशा	प्राप्त लाभ (₹)
1	सxबxटx कxxरx	नवाडीह	1x2/एनडब्ल्यूडी/16	साइकिल/लेबर टूल किट/साड़ी	गृहिणी	6,600
2	सxअxटx डxवx	नवाडीह	2x4/एनडब्ल्यूडी/16	साइकिल/ लेबर टूल किट/सुरक्षा किट	गृहिणी	7,600
3	उxx डीxxआई	नवाडीह	5xx/एनडब्ल्यूडी/16	साइकिल/ लेबर टूल किट/सुरक्षा किट	गृहिणी	7,600
4	लxलxटx डीxxआई	नवाडीह	3xx/एनडब्ल्यूडी/15	साइकिल/लेबर टूल किट/साड़ी	गृहिणी	6,600
5	टxxसx हेम्ब्रम	पोटका	xx83/01.09.22	साइकिल/ लेबर टूल किट/मृत्यु सहायता	कृषि	1,06,000
6	सxx. बरxx टxxx	धालभूमगढ़	xxx34डीएच	सुरक्षा किट/ लेबर टूल किट/साइकिल	कृषि	7,000
7	सxत. मेxxअ महतो	धालभूमगढ़	xxx30डीएच	सुरक्षा किट/ लेबर टूल किट/साइकिल	कृषि	7,000
8	सxx. छxमxx डxx	धालभूमगढ़	xxx61डीएच	लेबर टूल किट/सुरक्षा किट/साइकिल	कृषि	7,000
9	बxxरxम दxस	धालभूमगढ़	सी ओ डब्ल्यू 22एमxx07xx3577	सुरक्षा किट	होटल मजदूर	1,000
10	सxअxxज़ पxवxxन	धालभूमगढ़	सी ओ डब्ल्यू 19एफxx06xx3579	सुरक्षा किट	बुनकर	1,000
11	नxजxअ कxअxओxन	धालभूमगढ़	सी ओ डब्ल्यू 22Fxx02xx3571	सुरक्षा किट	बुनकर	1,000
12	सxx. छxxनी नxxxक	धालभूमगढ़	xx39DH	सेफ्टी किट/लेबर टूल किट, साइकिल	कृषि	7,000
13	सxx. जोसxxहना माxतx	धालभूमगढ़	xx26/डीएच	सुरक्षा किट/ लेबर टूल किट/साइकिल/वजीफा	कृषि	22,000
14	सxx बxxअनxx महxx	धालभूमगढ़	xx25/डीएच	सुरक्षा किट/ लेबर टूल किट/साइकिल/ छात्रवृत्ति	कृषि	22,000
15	कxतxxxन	मुसाबोनी	सी ओ डब्ल्यू 22एफओxxxxx3571	साइकिल	बुनकर	3,500
16	जाxxलx कxअxओxन	मुसाबोनी	xxx44/18	सुरक्षा/ लेबर टूल किट/साइकिल	बुनकर	7,000
17	सxxगxxता मxxतो	बेको	सी ओ डब्ल्यू 000x3578	सुरक्षा किट/ लेबर टूल किट	बुनकर	3,500
18	सxxmxxअद अxxम	मुसाबोनी	सीओxxएफ00xxxx3575	सुरक्षा/श्रम उपकरण किट	बुनकर	3,500
19	सxअxतxई देवी	बोकारो	1xx/जेआरडी/एलxx7 बी के आर	सेफ्टी किट/लेबर टूल किट/साड़ी/ छात्रवृत्ति	दर्जी	14,100
20	कxनxx देवी	बोकारो	8xx/7RxxL/18 बी के आर /28.09.18	सुरक्षा किट/साड़ी/छात्रवृत्ति	कृषि	6,600
					कुल	**2,47,600**

परिशिष्ट 5.1

(कंडिका 5.1.4 (अ) में संदर्भित; पृष्ठ 50)

गैर-आश्रितों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान

(राशि ₹ में)

क्रम.सं.	आवेदक का नाम	मृतक पंजीकृत कामगार का नाम	पंजीकरण सं.	पंजीकरण की तिथि	मृतक के साथ संबंध	मृत्यु तिथि	भुगतान की गई राशि (₹)
1	पंxxज सxx	टुनी कxxअxई , गांव- गंजागली, पोस्ट-चिरकुंडा जिला धनबाद	एनआईएस-xx20/15	29/04/2015	बहन	16/05/2016	30,000
2	अxxल बxxरी	पाxxर्ती बौरी, गांव तांटिकलानी, चिरकुंडा, धनबाद	एनआईएस-xx49/15	26/10/2015	भतीजा	18/02/2018	1,00,000
3	छूxxxयू एसxx	सीxx खातून, गांव-तलडांगा, चिरकुंडा, धनबाद	सीओडब्ल्यू 16xx00xxx3547	16/11/2016	भाई	27/05/2018	1,00,000
4	पxxxल बाxxई	सुxxश बाउरी, गांव-आमकुंडा, मैथन, धनबाद	एनआईएस-xx52/14	24/11/2014	बहन	19/11/2017	1,00,000
5	शxxxxर मxलxxxक	सxxल मल्लिक, गांव- उपर कांडा, चकरीपाड़ा, मोतीनगर, झरिया, धनबाद	जेएचए-XX40/17	19/12/2017	भतीजा	05/05/2018	1,00,000
6	राटxx डxxxxर	माxxनी धीबर, गांव- लायकडीह, चिरकुंडा, धनबाद	सीओडब्ल्यू xxएफ000xxx3546	19/03/2017	भाई	17/01/2019	1,00,000
7	सxxदीxx कxxxर मxxतो	प्रxxप कxxर महतो, गांव- आमकुडा, मैथन, धनबाद	सीओडब्ल्यू 17एम000xxx3542	04/03/2017	भाई	24/11/2019	1,00,000
8	काxxई बxxरी	अxxका बौरी, गांव- बथनबाड़ी, चिरकुंडा, धनबाद	एनआईएस-xx60/15	30/05/2015	भतीजा	29/07/2019	1,00,000
9	याxxxदx बाxxई	बुxxनी बौरी, गांव- गोपीनाथपुर, मुगमा, धनबाद	सीओडब्ल्यू 18एफxx1xxx3544	26/07/2018	भतीजा	29/09/2019	1,00,000
10	निxxअ दxxई	प्रxxxxद महतो, बारा जमुआ, कल्याणपुर, बरवड्डा, धनबाद	जीओ भी -xx93/18	30/11/2018	बहन	12/07/2019	1,00,000
11	मिxxxला डxxई	दुxxनी दxxx, रायडीह, तमाड़	आरएन (टीएमआर) xxx2691	06/02/2020	बहू	20/10/2021	1,00,000
	कुल						**10,30,000**

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 5.2

(कंडिका 5.1.4 (ब) में संदर्भित; पृष्ठ 51)

अपात्र लाभार्थियों को मृत्यु पर सहायता का भुगतान

क्रम. सं.	जिला	कर्मकार का नाम	पंजीकरण सं.	मृत्यु की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ में)	टिप्पणी	
						क्रम संख्या- 1 से 17 के तहत लाभार्थी एक वर्ष से अधिक के अंशदान नहीं देने के कारण अपात्र थे (कॉलम 7 के अंतर्गत वर्ष से कॉलम 8 तक)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धनबाद	टूxxली डxx	ब ए जी-3xx8/15	30/01/2019	1,00,000	2016	2017
2		चxxता दxx	डीएचएन-1xx7/13	04/01/2020	1,00,000	2016	2017
3		निरxxला दxx	डीएचएन-5xx3/16	17/02/2020	1,00,000	2017	2018
4		रेxxअ दxxई	एनआईएस-5xx9/16	09/04/2021	1,00,000	2017	2018
5	बोकारो	सोनxxअ दxxई	6xx0/बोकारो	26/01/2020	1,00,000	2017	2019
6		सुxxई दxxई	1xx1	29/10/2020	1,00,000	2016	2018
7		नxxकxxथ गोxxई	4xx7	06/03/2021	1,00,000	2014	2018
8		महाxxव सिxxह	1xx5	21/11/2020	1,00,000	2018	2020
9		परxxई दxxइ	सीबीएचएस/3xx4	23/03/2021	1,00,000	2018	2020
10	पूर्वी सिंहभूम	पैxxओ सरxxर	6xx8	20/06/2017	1,00,000	2018	2020
11		अमxxदा सxxदार	40x2	03/02/2016	1,00,000	2017	2020
12		गxxx चौxxन मा मxxतो	7xx3	20/12/2015	1,00,000	2016	2018
13		गंगxxxर मxxतो	1xx6	25/03/2013	1,00,000	2014	2018
14		सुरxxxली हंxxदा	3xx9	30/04/2016	1,00,000	2017	2019
15		कxxली प्रxxxनिक	3xx5	2011	1,00,000	2012	2017
16		नुxxर बxxअ मxxतो	7x26	24/12/2012	1,00,000	2013	2017
17		कुxxम प्रxxनीक	4xx3	20/02/2012	1,00,000	2014	2018
18	धनबाद	शxxधxxई रxxम	3xx4/12	08/11/2019	1,00,000	संलग्न आधार कार्ड *में जन्म तिथि 01/01/1958 लिखी गई थी* : श्रमिक की आयु उसकी मृत्यु की तारीख को 60 वर्ष से अधिक थी	
19		प्रaxxव मल्लxxक	सी ओ डब्ल्यू 18एम001127xx46	05/10/2020	1,00,000	26/07/2018 को कम उम्र पंजीकरण	
20		तxxx ली दxxई	बी ए जी-3xx8/15 (30/11/2015)	30/01/2019	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 30/11/2015 को भुगतान किया गया	
21		भxxहाली दxxई	बीएजी-2xx6 (30/04/2014)	12/03/2019	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया	
22		संxxश बौरी	बीएलपी-2xx5/14 (24/05/2014)	20/06/2019	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 24/06/2014 को भुगतान किया गया	
23		मxxटी दxxई	बीएलपी-6x2/13 (27/07/2013)	28/06/2019	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; ₹ 100 का केवल वार्षिक अंशदान 30/07/2013 को भुगतान किया गया	

क्रम. सं.	जिला	कर्मकार का नाम	पंजीकरण सं.	मृत्यु की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹ में)	टिप्पणी
						क्रम संख्या- 1 से 17 के तहत लाभार्थी एक वर्ष से अधिक के अंशदान नहीं देने के कारण अपात्र थे (कॉलम 7 के अंतर्गत वर्ष से कॉलम 8 तक)
24		सुxxअ दxxई	बीएलपी-2xx6/14 (25/07/2014)	30/09/2019	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 25/06/2014 को भुगतान किया गया
25		चिxxअ दxxई	डीएचएन-1xx7/13 (19/08/2013)	04/01/2020	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 19/08/2013 को भुगतान किया गया
26		विरेंxxx कुमार	डीएचएन-1XX9/13 (19/08/2013)	27/06/2020	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 30/12/2013 को भुगतान किया गया
27		निर्xxला दxxई	डीएचएन-5xx3/16	17/02/2020	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 19/09/2016 को भुगतान किया गया
28		लिलxxनी दxxइ	डीएचएन-7x9/13 (28/05/2013)	30/06/2020	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 21/08/2014 को भुगतान किया गया
29		किxxन तुरी	एनआईएस-4xx5/16 (31/03/2016)	29/04/2021	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 का वार्षिक अंशदान 22/06/2016 को भुगतान किया गया
30		रेxxअ दxxई	एनआईएस-5xx9/16 (02/05/2016)	09/04/2021	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया
31		बxxयू रxxई रजक	सी ओ डब्ल्यू 20एफxx0468xx75 (02/09/2020)	15/11/2020	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया
32		अंजxxई बxxकत	9xx9 (15/05/2018)	10/02/2019	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया
33		मेxxअ सxxदार	6xx0 (24/08/2017)	16/04/2021	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया
34		बxxxओ सxxxर	5xx8 (01/06/2017)	01/05/2021	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया
35		सxxन मxxदी	2xx2 (16/10/2015)	27/11/2018	1,00,000	कोई पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं; केवल ₹ 100 की वार्षिक अंशदान का भुगतान किया गया
36		सुxxअ दxxई	बीएलपी-2xx6/14 (25/07/2014)	30/09/2019	1,00,000	आश्रित एक सरकारी कर्मचारी है
37		कxxxन तxxई	एनआईएस-4xx5/16 (31/03/2016)	29/04/2021	1,00,000	आश्रित एक पीएसयू कर्मचारी है
	कुल				**37,00,000**	

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 5.3

(कंडिका 5.3 पृष्ठ 56 में संदर्भित)

मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत अपात्र भुगतान

क्रम. सं.	लाभार्थी	पंजीकरण सं.	जिला	प्रसव की तिथि	स्वीकार्य राशि (₹ में)	भुगतान की गई राशि *(₹ में)*	भुगतान की गई अयोग्य राशि *(₹ में)*	टिप्पणी
1	प्रxxतxxअ दxxई	बीएलपी-4xx0/16	पूर्वी सिंहभूम	04/03/2018	8,276	15,000	6,724	बढ़ी हुई दरों पर भुगतान के कारण अधिक भुगतान
2	रxxकxअ प्रवीण	बी ए जी-5xx3/17		18/08/2021	8,276	15,000	6,724	
3	पुxxल गxxई	5xx6		26/03/2018	8,276	15,000	6,724	
4	पxxअ सरxxर	5xx8		14/03/2018	8,276	15,000	6,724	
5	सxxभारxxई पxxमाxxक	सी ओ डब्लू 17एफ000409xx71		13/03/2018	8,276	15,000	6,724	
6	लxxमी पxxया बxअxxत	8xx8		10/03/2018	8,276	15,000	6,724	
7	सुनxxअ गxxइ	8xx8		09/03/2018	8,276	15,000	6,724	
8	सxxहाxxअ पाxxअ	82x1		01/01/2018	8,276	15,000	6,724	
9	बxxदxअ बxxकत	7xx3		22/02/2018	8,276	15,000	6,724	
10	रेनxxअ हो	87x7		26/01/2018	8,276	15,000	6,724	
11	मेxअ कxxईxxई	6xx6		26/02/2018	8,276	15,000	6,724	
12	बीसxxयू प्रxxअ दxxर	सी ओ डब्ल्यू 21एफ003227xx73		08/03/2022	8,276	15,000	6,724	
13	रxxयू कुमxxई	1xx3	बोकारो	08/10/2017	8,276	15,000	6,724	
14	सxxबेजन खा xx न	सी ओ डब्ल्यू 17एफ0000x8xx59		17/01/2018	8,276	15,000	6,724	
15	बxxय दxxई	2एक्सएक्स8		08/03/2018	8,276	15,000	6,724	
16	नxxx दxxई	3x0		30/03/2018	8,276	15,000	6,724	
17	रxxअ दxxई	3xx6		10/02/2018	8,276	15,000	6,724	
18	गxxत्री दxxई	3x1		01/02/2018	8,276	15,000	6,724	
19	सज xxअ बxxई	6x1		07/02/2018	8,276	15,000	6,724	
20	पxxकी दxxई	341/बीआरएम/एल/XX		26/09/2017	8,276	15,000	6,724	
21	बxx ई ता सxx दार	5xx6	पूर्वी सिंहभूम	23/07/2018	15,000	30,000	15,000	दोहरा भुगतान
22	मxxअ सxxह	5xx5		02/08/2018	15,000	30,000	15,000	
23	कxxला सxxह	5xx3		30/11/2018	15,000	30,000	15,000	
24	बxxमई हxxसदा	1xx2		18/04/2019	15,000	30,000	15,000	
25	नxxलु पxxअर	6x0		24/01/2019	15,000	30,000	15,000	
26	बxxxवxxअ पxल	5x9		09/11/2018	15,000	30,000	15,000	
27	सxxxलमxxई मxxxली	2xx7		17/08/2019	15,000	30,000	15,000	
28	रेxxअरxxई बxxकत	सी ओ डब्ल्यू 19एफ0007x8xx76		15/11/2019	15,000	30,000	15,000	
29	भरxxई गxxप	8x00		07/07/2018	15,000	30,000	15,000	
30	राxxई देxxई	474/जीओएम/एल/xx	बोकारो	02/10/2019	15,000	30,000	15,000	
कुल					**3,15,520**	**6,00,000**	**2,84,480**	

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 5.4

(कंडिका 5.5.2 में संदर्भित; पृष्ठ 59)

साइकिल सहायता योजना के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों की सूची

क्रम. सं.	प्रखंड	लाभार्थी	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	पंजीकरण संख्या/तिथि	भुगतान की गई राशि *(₹ में)*	अपात्रता का कारण
1	चास	चxxउ दxxई	शxxरxxन मxxतो	01/01/1972	7X7/29-04-16	3,500	अधिक उम्र
2		म xxअ द xxई	मुकxxशx xर मxxतो	01/01/1969	4XX8/31-03-2016	3,500	
3		उxxईला दxxई	कxलु मxxतो	01/01/1968	4XX3/31-03-2016	3,500	
4		अxxरी दxxई	लxxउ पxxमीxx क	01/01/1964	2XX8/07-01-2016	3,500	
5		निxxअला दxxई	शxxउ नापित	01/01/1961	2XX0/07-01-2016	3,500	
6		चxxता दxxई	मेxxउ मxxतो	01/01/1973	2XX2/15-09-2016	3,500	
7		चxxअ दxxई	दुर्यxxहन मxxतो	01/01/1969	4XX3/31-03-2016	3,500	
8		रxxअ बxxई	फxx द अंxxरी	01/01/1973	1XX8/15-09-2015	3,500	
9		अxxउxअ बxxई	मxxरxxद xन अंxxरी	01/01/1971	1XX7/15-09-2015	3,500	
10		यxxतxई दxxई	दोxxन मxxई	01/01/1967	1X0/26-04-2016	3,500	
11	ओरमांझी	मxनी दxxई	अदxxनु ब xxहा	01/01/1974	सी ओ डब्लू 18एफ0001XX3XX2/ 10.02.2018	3,500	
12		सिxxवा दxxई	सुकxxअम बxxईया	01/01/1973	आरएन (ओआरएम)0000XX4/ 06.01.2018	3,500	
13	कांके	जxमxxअ खxxयून	सोहिxxन अxxरी	01/01/1967	सी ओ डब्लू 17एफ00XX403XX8 /14.09.2017	3,500	
14	बुंडू	जxय सिxxह मxxदा	सुखxxल सxxह मुxxअ	01/01/1959	आरएन (बुन)000XX0/ 06.09.2016	3,500	
15	रातू	सxxरदा दxxई	गxxश सxxउ	01/01/1975	आरएन (आरटीयू)0001XX6/ 28.09.2019	3,500	
					कुल	**52,500**	

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 6.1

(कंडिका 6 पृष्ठ 63 में संदर्भित)

संयुक्त भौतिक सत्यापन हेतु लिये गये स्थलों की सूची

क्रम.सं.	जिला	कार्यस्थल का नाम	पंजीकृत/अपंजीकृत
1	पूर्वी सिंहभूम	1. एल.एवंx कॉनसxxकxxन. कॉनसxxकxxन.ऑफ मxम मेडीxxल कxलxxज एवं हxxपिxअल 5x0-बेडxxड, मxxगो, जाxxहxदxxर	पंजीकृत
2		2. पxxअ रेxx3रxxस पर मxxईपxल टxxअ मxxईकल कxलxxज बxxडीह, जxxहxदxxर	पंजीकृत
3		3. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी*) के अंतर्गत संरचनात्मक डिजाइन सहित जी 8+ ब्लॉक की 1 संख्या में 3x2 दxइxxइंग इकाइयों का प्रस्तावित कंसxxxकxxxन*, बीरxxनाxxर, जxमxदxर (पैकेज-1)	अपंजीकृत
4		4. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी*) के अंतर्गत संरचनात्मक डिजाइन सहित जी 8+ ब्लॉक की 1 संख्या में 3x2 इवेलक्सिंग इकाइयों का प्रस्तावित कंसxxxकxxxन*, बxxसनxxअर, जxमxदxर (पैकेज-2)	अपंजीकृत
5		5. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी*) के अंतर्गत संरचनात्मक डिजाइन सहित जी 8+ ब्लाक की 1 संख्या में 3x2 इवेलक्सिंग यूनिटों का प्रस्तावित कंसx*, बxसाxxर, जैक्सएक्सआर (पैकेज-3)	अपंजीकृत
6		6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी*) के तहत संरचनात्मक डिजाइन सहित जी 8+ ब्लॉक की 1 संख्या में 3x2 इवेलक्सिंग इकाइयों का प्रस्तावित कंसक्स*, बक्सxxxर, जxxनxxxर (पैकेज-4)	अपंजीकृत
7		7. अxxहा रेजीडेंसी, माxxओ, जमxxxदxxर	अपंजीकृत
8	बोकारो	8. ईएसएल सियाल जोरी जोगीxxह, बोकxxओ के पीxxम ईxएस में मैसर्स केxसी इंटरनेशनल लिमिटेड	पंजीकृत
9		9. रxxअ, अxxओ प्राइवेट लिमिटेड कxxअटxxन, कxxस, बोकारो	पंजीकृत
10		10. रx बxxडकॉन प्राइवेट लिमिटेड सुलxx नxxर, कxxस, बोकारो	पंजीकृत
11		11. कxब रेxxडेनxxल स्कूल, कxय, बोकारो का रxxओवाटxxन	पंजीकृत
12		12. एनसीसी लिमिटेड (विद्युतीकरण) सुxxअन नाxxर, बोकारो	पंजीकृत
13		13. वोxxन का कोल्xxइ, बोxxरओ	अपंजीकृत
14		14. पxxअ सxxअ रेxxवे इंफ्रा, जोगिडीह, सी के वाई, बोकारो	अपंजीकृत
15		15. बिल्डीxxग कंसxxअकxxटxxन का चxxस नxxअर नxxआम, अमxxत पार्क, बोकारो के सामने	अपंजीकृत
16	धनबाद	16. एम.पी.एल., नxxसा धनबाद के लिए एलएवंटी रxxलxxवे इन्फ़xxस्ट्रxxअर	पंजीकृत
17		17. बxxxमxxई सवxxअxxम बxxक्वेट हॉल, धनबाद	अपंजीकृत
18		18. बxxxमुरी एच.पी. पेटxxल पxम्प के बगल, न्यू अxxरतxxन्त कxxस्ट्रकxxन, धनबाद	अपंजीकृत
19		19. अxहाxxई होxxईटअल नवाxxह, नवीन अxअरटxxट, धनबाद के सामने	अपंजीकृत
20		20. नाxxडीह अxxअरफी हxxपीटल, धनबाद के पास सxरीxxम कंस्xxनxxxxन	अपंजीकृत
21		21. बिल्डिंग कंस्ट्रxxसन, ज़xxअ स्कूxxल, धनबाद के परिसर में	अपंजीकृत
22	रांची	22. वर्ष 2021-22 के लिए रांची में सेxxरालxxड किxxहेन का निर्माण	अपंजीकृत
23		23. गलxxअल ईxxरा अर्गxxअ काxxअल मxxए, रांची	अपंजीकृत
24		24. 3x0-बxदxxद होxइ गुवाxद बxर्रxxक धुx3xxवा, रांxxइ का प्रस्तावित कxन्सxxअकxxन	अपंजीकृत

परिशिष्ट 7.1

(कंडिका 7.2.1; पृष्ठ 71 में संदर्भित)

बैंकों द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए पोस्ट-डेटेड चेकों का विवरण

क्रम.सं.	फ़ाइल संख्या	मालिक का नाम	राशि (₹ में)	चेक.सं.	तिथि
1	rxxअ/xx/0xx7/201x	सxxसxउxxल सxनxह	5,90,581	027682	21/08/2020
2	rxxxअ/xx/0xx8/20x8	ज़xrxxअ कxआतxxन	8,689	033062	14/12/2020
3	rxxxअ/xx/0xx1/2xx8	शxxम कxxहxxइ तिxrxx	26,350	000523	10/01/2021
4	rxxअ/xx /0xx4/2xx8	रंxxxत तिxxxकी	15,717	125954	15/03/2021
5	rxxअ/xx /0xxx4/2xxx9	कxमxxहxxr पxxदxxन	73,966	073299	19/06/2021
6	rxxअ/xx /0xx3/2xx9	सxxवxxअंxxr मxxशxx	69,165	000025	19/07/2021
7	rxxअ/xx /0xx9/2xx0	अxxदxxअ कुxxरी	1,15,666	000767	14/08/2021
8	rxxअ/xx /0xx3/2xx0	प्रxxई दीx	14,019	382901	11/08/2021
9	rxxअ/xx /0xx9/2xx0	सxजxx कुxxr	11,560	782260	08/10/2021
10	rxxअ/xx //0xx1/2xx0	तxxअxxति दxxई	9,729	033056	03/01/2022
11	rxxअ/xx /0xxx4/2xxx0	rxमxxहxxr दxxल सिंxxह	11,538	948265	22/12/2021
12	नxxxसक/xx/0xx3/202x	राxxशxxr दxxल सिंxxह	11,350	948257	22/12/2021
13	rxxअ/xx/0xx4/xx20	मxxxम	8,250	169976	10/01/2022
14	rxxअ/xx/0xx0/20x0	बxउxxन विxxxल	2,06,944	021051	08/01/2022
15	rxxअ/xx/xxx8/20x8	अxहxxह लx बxतtxअ	2,35,178	018190	24/08/2021
16	rxxअ/xx/00xxx/2xx9	शxxहुxxल सxनxह	5,90,581	027684	22/08/2021
17	rxxअ/xx/0xx3/2xx0	अxटx मुxxडा	19,844	000009	09/02/2022
18	rxxअ/xx/0xx8/2xx1	अxपxxअ सxअxxअ	11,033	377833	01/03/2022
19	rxxअ/xx/0xx8/2xx1	पxसxxअ सxxrxअ	10,784	748500	21/03/2022
20	rxxअ/xx/0xx2/2xx1	कxमxxहxxr सxव	18,270	373381	09/04/2022
21	rxxअ/xx/0xx3/2xx0	rxनxxन & ओxxएxस	1,37,700	285467	24/08/2022
22	rxxअ/xx /0xx8/2xx1	जुxxवीxxअ कुxxमxxई	4,025	233641	03/08/2022
23	rxxअ/xx/0xx8/2xx1	xपx शवसा	11,033	377832	01/07/2022
24	rxxअ/xx/0xx2/2xx0	लxxx डीxxई	14,396	742722	15/07/2022
25	rxxअ/xx/0xx3/2xx0	प्रxxई दxxई	14,019	382902	11/08/2022
26	rxxअ/xx/xxx13/2xx0	सxxतोxx प्रxxद	15,250	549388	17/11/2022
27	rxxअ/xx/0xx2/2xx0	भxxउ कxअउxxन	10,948	00000	17/11/2022
28	rxxअ/xx/0xx3/2xx0	अxxक कxxचxxप	13,042	064257	04/12/2022
29	rxxअ/xx /0xx8/2xx0/एएलटी-I	कxxयंxxडी तिxxकी	42,825	000358	01/12/2021
30	rxxअ/xx/0xx1/2xx0	अxxतोxxx कु. सिxxघ	16,150	789119	22/11/2022
31	rxxअ/xx/0xx5/2xx0	rxमेंxxवxr दxxxल सिxxघ	11,538	948261	22/12/2022
32	rxxअ/xx/0xx4/2xx0	rxमेंxxवxr दxxxल सिxxघ	11,538	948264	22/12/2022
33	rxxअ/xx/0xx3/2xx0	rxमेंxxवxr दxxxल सिxxघ	11,350	948254	22/12/2022
34	rxxअ/xx/0xx1/2xx9	असxxक कु मxxxr और ओxxएxस	1,32,785	044327	15/12/2022

क्रम.सं.	फ़ाइल संख्या	मालिक का नाम	राशि (₹ में)	चेक.सं.	तिथि
35	rxxअ/xx/0xx8/2xx0	rxमेंxxवxr dxxxल सिxxघ	11,538	948267	22/12/2022
36	rxxअ/xx/0xx0/2xx0	rxमेंxxवxr dxxxल सिxxघ	11,538	948255	22/12/2022
37	rxxअ/xx/0xx2/2xx0	rxमेंxxवxr dxxxल सिxxघ	11,538	948268	22/12/2022
38	rxxअ/xx/0xx9/2xx0	rxमेंxxवxr dxxxल सिxxघ	11,538	948263	22/12/2022
39	rxxअ/xx/0xx1/2xx0	rxमेंxxवxr dxxxल सिxxघ	11,350	948258	22/12/2022
40	rxxअ/xx/0xx1/2xx1	तxxअवxxई देxxवx	9,279	033057	03/01/2023
41	rxxअ/xx/0xx7/2xx0	साxxई सxमxxन गxxह	18,881	000024	12/01/2023
42	rxxअ/xx/0xx0/2xx9	प्रेxxन rxम	7,467	311691	20/01/2023
43	rxxअ/xx/0xx2/2xx0	कxrxxद कxअं	12,485	093461	25/01/2023
44	rxxअ/xx/0xx4/2xx1	पxxतिxxअ कxमxxई	25,236	833162	22/01/2023
45	rxxअ/xx/0xx6/2xx1	रेxx पxxना	17,663	222451	22/01/2023
46	rxxअ/xx/0xx9/2xx1	सxअrxxxएxxअ कxमxxई	12,852	083864	05/01/2023
47	rxxअ/xx/0xx8/2xx2	अxxउ dxxई	8,307	087182	27/01/2023
48	rxxअ/xx/0xx5/2xx1	कxशxxए rxम	21,976	013819	08/02/2023
49	rxxअ/xxxx /0xx0/2xx1	प्रxxp कुx बxअगxत	16,762	672301	10/02/2023
50	rxxअ/xxxx /0xx9/2xx1	अंxxल कxमxर	1,20,575	304415	10/02/2023
51	rxxअ/xxxx /0xx6/2xx1	ब्रीx कxशxxर rxxअ	12,859	251355	07/02/2023
52	rxxअ/xxxx /0xx3/2xx1	कxxपxना सxनxह	10,347	058435	03/02/2023
53	rxxअ/xxxx /0xx0/2xx0	rxxइंxxअ कु. और ओxxस	21,104	736944	20/12/2022
		कुल	**28,79,108**		

(स्रोत: रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

परिशिष्ट 7.2

(कंडिका 7.2.2; पृष्ठ 71 में संदर्भित)

संवेदकों से संगृहीत श्रम उपकर को बीओसीडब्ल्यू के खाते में अंतरित नहीं करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विभाग	कार्यालय	(वित्तीय वर्ष)		बीओसीडब्ल्यू के खाते में एकत्र किए गए श्रम उपकर का अंतरण न होना
			से	तक	
1	नगर विकास एवं आवास	देवघर नगर निगम	2017-18	2021-22	0.65
2	नगर विकास एवं आवास	नगर परिषद, झुमरी तिलैया	2019-20	2021-22	0.28
3	नगर विकास एवं आवास	सहायक नगर आयुक्त, रांची	2017-18	2021-22	22.26
4	नगर विकास एवं आवास	मानगो नगर निगम, पूर्वी सिंहभूम	2017-18	2021-22	0.20
5	नगर विकास एवं आवास	चास नगर निगम, बोकारो	2017-18	2021-22	0.79
			कुल		**24.18**

(स्रोत: संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 7.3

(कंडिका 7.2.2 पृष्ठ 71 में संदर्भित)

योजनाओं के निष्पादन के लिए विपत्रों से कटौती की गई श्रम उपकर की राशि, जिसे कल्याण बोर्ड के पास जमा नहीं की गई

(राशि ₹ में)

क्रम. सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	योजनाओं की संख्या	प्राक्कलित राशि	व्यय राशि	कटौती की गई श्रम उपकर
1	बोकारो	चास	हेसाबातु	4	14,55,400	14,52,851	12,792
2			पुपुंकी	7	21,79,300	21,71,564	19,093
3			उलगोरा	4	13,10,450	13,06,132	12,404
4		नवाडीह	गोनियातो	20	44,29,500	43,90,743	43,619
5			मुन्गोरंगामाटी	4	3,49,000	3,35,798	3,358
6	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	हाथीबिंदा	3	4,41,127	4,31,904	8,457
7			कालिकापुर	1	1,36,000	1,35,500	1,178
8	गिरिडीह	तिसरी	पलमारुवा	3	10,80,682	9,02,092	8,959
9	हजारीबाग	बरकट्ठा	चेचकापी	4	10,83,350	10,81,029	10,763
10			गंगपंचो	7	13,38,500	12,74,779	13,283
11			तुइयो	40	92,47,659	88,80,371	3,31,293
12		चौपारण	ताजपुर	13	28,43,200	28,23,698	27,373
13			बेलाही	43	80,30,100	78,43,959	76,378
14			जगदीशपुर	10	28,38,900	24,61,025	23,965
15		कटकामदाग	कटकमदाग	10	20,79,300	20,57,048	20,542
16		सदर	उड़िया	28	71,67,900	64,93,007	60,452
17			चुटियारो	12	32,52,782	29,24,964	28,876
18			भेलवाड़ा	7	24,23,500	23,97,460	23,680
19	रांची	रातू	टिगरा	1	2,48,900	2,48,361	2,459
20			रातु पूर्व	3	7,47,100	7,34,700	6,966
21			चटकपुर	5	19,23,455	15,74,450	11,650
22	साहिबगंज	बरहरवा	हरिहर	68	96,74,300	94,26,435	88,899
23			पटना	63	98,08,059	89,24,727	91,497
24		राजमहल	कासवा	6	10,54,200	9,90,900	10,214
25			सैदपुर	15	21,43,311	19,06,327	19,535
26		उधवा	राधा नगर	51	1,41,12,095	1,36,43,066	74,940
कुल							**10,32,625**

(स्रोत: संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

परिशिष्ट 7.4

(कंडिका 7.3 पृष्ठ 73 में संदर्भित)

उपकर निर्धारण के मामले जिनके विरुद्ध पीडीआर अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट निर्गत किए गए थे

क्रम.सं.	प्रमाणपत्र देनदारों का नाम	सर्टिफिकेट देनदार का पता	राशि (₹ लाख में)	तब से बकाया उपकर	सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने की तिथि
1	श्री गोxxल प्xxद सxxह, पुत्र श्री ब्रxxमोxxन सxनxह & श्रीमती सxxओज सxxहा, पत्नी श्री x.x.सxxहा	झाxxडीह, कारxx सकxxल रxxद, धxxxअद	10.19	15/05/2015	19/09/2015
2	श्री रxxइxश सxxह, पुत्र श्री पxxसxउxxम सिxxह & श्रीमती नxxही सxनxह, पत्नी श्री राxइxश सxनxह	राxxअxवxxई दxवxxxपxxsस अxबxxअ अपार्टमेंट, सxरxxधxxअ, धxxनxxद	2.04	30/11/2017	9/01/2018
3	श्री पxरxxउxxम सxxह, पुत्र स्व. काxईxदxव नxरxयxन सxxह & श्री जxयxईxअस पxxडxय, पुत्र स्व.यxमxxअ पxनxय	नxxर लxxदxxय कxब, धxxनxxद	2.13	30/11/2017	9/01/2018
4	श्रीमती पxxxम सिxxह, पत्नी श्री नाxxनदxअ कxमxर सxनxह & श्री रxxइxश चxxधxxई, पुत्र श्री xम पxअxअxह चxxधxxई	कोxxकुxxअ, सxरxxधxxअ	2.33	07/12/2018	24/05/2019
5	श्री उमxxह कुxxर अxरxवxल, पुत्र स्व.सxxनxxर,प्रxxxद अxxवxxल श्री विxxक कxमxर अxxअxxल, पुत्र श्री वxxxल कुxxर अxxअxxल, श्री मxxxश कुxxर दxव, पुत्र श्री रxमxxxअनxxअ दxव & श्री नxxएxxरा कुxxर, पुत्र स्व.दाxxदxर पxxसxद	सxxअलxxर, धxxनxxद	5.82	07/12/2018	29/05/2019
6	श्री अxवxxद कुxxर सxनxह, पुत्र श्री साxxअ रxम सxनxह श्री अxईxह कxxअर, S/o बxलxxम पxxसxद सxxरxअ	कोxxएxxटxxए कxलxxय, सxरxxधxxअ, धxxनxxद	5.46	29/09/2018	22/05/2019
7	श्री पxxवxxन कxxxर जxxन, श्री अxवxxद कुxxर जxxन, श्री संजय कxxxxर जxxन, सुपुत्र स्व.सुxxचxxअ डीxxई जxxxन, श्री x.x. जेxxन श्री अxxरxxह कुxxर, पुत्र श्री बxअxxनxxन प्xअxxद सिxxह	भxxहनxxह र xx द पाxxअ	8.7	01/11/2018	22/05/2019

क्रम.सं.	प्रमाणपत्र देनदारों का नाम	सर्टिफिकेट देनदार का पता	राशि (₹ लाख में)	तब से बकाया उपकर	सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने की तिथि
8	श्रीमती रxxई अxराxxल, पत्नी श्री मोxxन लxल अxxअxxल.	सxxअxधxxअ, धxxनxxद	11.04	30/09/2018	19/06/2019
9	श्री नंxxकिxxर साxxxया, पुत्र स्व.राxनिxxस सावरिया, श्री पxxदxxप कुxxर, पुत्र स्व. मुxहxनxय सxनxह & श्री जxxमxxगxल सxनxह, पुत्र स्व. मxxबxxह सिxxह	मा वxxशxxव, ईxफxxसतxxकटxxइ पxरटxxरसxxप फxxम, रxxई सxxई जxवेxxइxस, अxxलxपxxअ, झरिया, दxxनबxद	9.25	07/12/2018	22/05/2019
10	श्री कxईसxxन मxरxxई चxxधxxरी, पुत्र श्री राxxरंxxअ चxxधxxई	हxरxपxर, धxxनxxद	2.2	28/09/2018	19/06/2019
11	श्री रxजxxश मxxअं माxxअल, पुत्र श्री हीxxनxxउ मोxxन मxनxxल, श्रीमती रxxहाxxनी माxxael, पत्नी श्री हxxअंxxउ मxहxन मxनxxल & श्री गxयूxxव किxxन पxxडxय, पुत्र श्री अxधxxह कxxxर पxनxxय	नxव कxxxनय सxरxxधxxअ, धxxबxद	4.2	29/09/2018	22/05/2019
12	श्रीमती जेxxई गुप्ता, पत्नी श्री मxxओजे गुxxअ	नxxअxxनाxxर, धxxबxद	1.89	30/09/2018	31/05/2019
13	श्रीमती सxxअ दxxई, पत्नी श्री लxx सिxxह, प्रxxईxअ दxxई, पत्नी श्री सxxबाxxन सिxxह & श्री रxxईकxxट सिxxह, पुत्र श्री कxxइxxवxर सिxxह	ओxxईxxर कxलxनी, लुxई कीxxउxxर रxxड, धxxबxद	1.17	30/09/2018	31/05/2019
14	श्रीमती रxxअxई मxxडxल, पत्नी श्री दxसxxथ मxxडxल	कुxxम बxxअर, बxxल, टोxxसxxप सxरxxडxxला, धxxबxद	4.74	20/03/2015	4/07/2015
15	श्री भxxइसxxर याxxव, पुत्र स्वर्गीय राxxवरxप याxxव, श्री सxxओx ह कुxxर, पुत्र श्री सxxअर जीxxइ& श्री अxरxxडxxअ खxxडेxxअल, पुत्र श्री लxxइ माxxन लxxल खxxदेxxअल	सxxयxxई पxxपxरतxxस पxx. लxx., x.x मxलxxक रोड, हxरxxउर, धxxबxद	2.34	20/09/2015	6/11/2015
16	श्री योxxनदर सxxxअ, पुत्र श्री सxxxम लाल सिंह, श्रीमति सxxगxxअ साxxअ पत्नी श्री रxxइxह कxxअर &श्रीमती रxxजु दxxई, पत्नी यxxइनxxर साxxअ	बैxxदxई, पीओ- बी पxलयxxचxxक, धxxबxद	1.98	20/09/2015	6/11/2015
कुल			**75.48**		

(स्रोत: जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख)

संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर	
एएबीबाई	आम आदमी बीमा योजना
बीएएस	साइकिल सहायता योजना
बीओसीडब्ल्यू	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार
सीओआर	पंजीकरण का प्रमाण पत्र
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
भा.स	भारत सरकार
झा.स.	झारखण्ड सरकार
जैप-आईटी	झारखंड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी
जेपीवी	संयुक्त भौतिक सत्यापन
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलटीकेएएस	श्रमिक औजार किट सहायता योजना
एमडब्ल्यूएस व एपी	मॉडल कल्याण योजनाएं और कार्य योजना
एनआईएसी	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
पीआईपी	कार्यरत बल
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
आरआरडीए	रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण
एसएसी	राज्य सलाहकार समिति
एसकेएस	सुरक्षा किट योजना
एसएस	स्वीकृत बल
टीडीएस	स्रोत पर कर की कटौती
यूआईएन	विशिष्ट पहचान संख्या

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi